सप्तदश माला, खंड 5, अंक 2 मंगलवार, 19 नवम्बर, 2019

28 कार्तिक,1941(शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 5 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 2019 / 1941 (शक)

अंक 2, मंगलवार, 19 नवम्बर, 2019 / 28 कार्तिक, , 1941(शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
[1]*तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 25	13-39
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 26 से 40	
अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460	

[1]*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 41-43

विधेयकों पर अनुमति 43-45

कार्य मंत्रणा समिति

8वां प्रतिवेदन 46

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति

325वां प्रतिवेदन 47

समितियों का निर्वाचन

1. लोक लेखा समिति 48
2. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 49
3. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 50

नियम 377 के अधीन मामले 109-137

(एक) उत्तर प्रदेश के सीतापुर और हरदोई जिले में '84 कोसी परिक्रमा पथ' का विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार रावत 110

(दो) मध्य प्रदेश के सतना जिले में पट्टे पर दी गई तथा अनुपयुक्त पड़ी हुई सरकारी भूमि की पुनर्प्राप्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह 111

(तीन) कर्नाटक में वाइडफील्ड से चित्तूर वाया मुलाबबगाले रेलवे लाइन बिछाए जाने के बारे में

श्री एस मुनिस्वामी 112

(चार) महाराष्ट्र के लातूर संसदीय क्षेत्र में पेयजल की कमी की समस्या को सुलझाए जाने आवश्यकता।

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे 113

(पांच) बिहार के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता।

श्री सुशील कुमार सिंह 114

(छह) राजस्थान में सरकारी एजेंसियों द्वारा मूंग की खरीददारी की ऊपरी सीमा में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता।

सुश्री दिया कुमारी 115

(सात) मौजूदा मुक्त व्यापार करारों की उपयोगिता के बारे में

श्री जी.एस. बसवराज 116

(आठ) त्रिपुरा में भूमि पट्टों के बारे में

श्री रेबती त्रिपुरा 117

(नौ) आवासीय परिसरों के व्यावसायिक उपयोग को प्रतिबंधित करने वाली विधियों के कार्यान्वयन की निगरानी संबंधी समिति को भंग किए जाने की आवश्यकता।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा 118

(दस) राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ट्यूबवैल के लिए किसानों को बिजली के कनेक्शन दिए जाने की आवश्यकता।

श्री राहुल कस्वां 119

(ग्यारह) राउरकेला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए

जाने के बारे में

श्री जुएल ओराम 120

(बारह) उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 121

(तेरह) ओडिशा के रायगढ़ जिले में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किए जाने के बारे में

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका 122

(चौदह) विशेष सांस्कृतिक धरोहर तीर्थयात्री पर्यटन सर्किट के बारे में

श्री टी. एन. प्रथापन 123-124

(पंद्रह) बोरवेल में गिरने के कारण होने वाली मौतों के बारे में

डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन 125

(सोलह) पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय क्षेत्र में तारकेश्वर रेलवे स्टेशन को विकसित करने की आवश्यकता है

श्रीमती अपरूपा पोद्दार 126

(सत्रह) निजी सुरक्षा उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्या के बारे में

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू 127

(अठारह) सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे 128-129

(उन्नीस) बिहार के बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बरभिगा से पंजवाड़ा तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 333क के खंडों पर चल रहे निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता।

श्री गिरिधारी यादव 130

(बीस) उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धान की फसल पर कीट आक्रमण के बारे में

श्री रितेश पाण्डेय 131

(इक्कीस) तेलंगाना में विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि आबंटन के बारे में

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी 132

(बाईस) बी.पी.सी.एल. के निजीकरण के बारे में।

एडवोकेट ए.एम. आरिफ़ 133

(तेईस) केरल में कोल्लम जंक्शन रेलवे स्टेशन के विकास के बारे में।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन 134

नियम 193 के अधीन चर्चा वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन 135-207

श्री मनीष तिवारी 135-140

श्री पिनाकी मिश्रा 141-145

श्री प्रवेश साहब सिंह वर्मा 146-155

डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन 156-162

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार 163-171

श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी	170-173
श्री अरविंद सावंत	173-178
श्री दिलेश्वर कामैत	179-180
कुंवर दानिश अली	181-183
श्री नामा नागेश्वर राव	184-186
डॉ. अमर सिंह	187-190
श्री गौतम गंभीर	191-192
एडवोकेट ए.एम. आरिफ	193-195
श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार	196-197
श्री मनोज तिवारी	198-199
डॉ. संजय जायसवाल	200-204

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्रीमती मीनाक्षी लेखी

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

मंगलवार, 19 नवम्बर, 2019 / 28 कार्तिक, 1941 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 21- श्री बी. एन. बचेगौडा - उपस्थित नहीं।

श्री एंटो एन्टोनी - उपस्थित नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(इस समय श्री कोडिकुन्नील सुरेश और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

(प्रश्न संख्या 21)

[हिन्दी]

श्रीमती संगीता आजाद: महोदय, सरकार किसानों की आय को दोगुना करने की बात करती है, किन्तु मौजूदा समय में किसान धान की कटाई कर चुका है और गेहूँ, मटर, चना, सरसों आदि फसलों की बुआई शुरू करने में डर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि आवारा पशु उसकी फसल को नष्ट कर देंगे। क्या सरकार आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसल बर्बाद करने से होने वाली क्षति को किसानों की क्षतिपूर्ति के रूप में देने पर विचार करेगी? साथ ही साथ क्या सरकार किसानों को डीजल व बिजली पर सब्सिडी देने पर विचार करेगी?... (व्यवधान)

श्री परषोत्तम रूपाला: माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जो प्रश्न है, वह मूल प्रश्न से अलग है, मगर माननीया सांसद ने आवारा पशुओं से जो किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है, उसके संबंध में जानकारी लेनी चाही है और बिजली और डीजल में सब्सिडी मुहैया कराने की बात कही है। ... (व्यवधान)। मैं आपके माध्यम से माननीया सांसद को बताना चाहूँगा कि राज्य सरकारों द्वारा इस विषय में कई कदम उठाए गए हैं और अगर इसमें राज्य सरकार की ओर से किसी भी स्कीम के तहत इस प्रश्न को किसी प्रोजेक्ट के रूप में भारत सरकार के सामने रखने का प्रयास होगा तो हम अवश्य इसे देखेंगे और आगे के लिए कोई कार्यवाही करेंगे। पेट्रोल, डीजल आदि में अभी सब्सिडी देने का कोई विचार नहीं है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री टी. आर. बालू जी। आपने आग्रह किया था कि आप प्रश्नकाल में सवाल पूछना चाहते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया अपनी सीट पर जाकर इस महत्वपूर्ण विषय पर सवाल पूछें। ... (व्यवधान)

श्री दुष्यंत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पद संभालने के बाद कई काम किए हैं। प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना इन्होंने शुरू की है। ... (व्यवधान)। इन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में बात की है। मैं सरकार से यह जानना चाहूँगा कि क्रॉप

डायवर्सिफिकेशन और क्रॉप को बढ़ाने का जो काम आप कर रहे हैं, उसमें ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे किसानों की आय और बढ़े। आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कहा है। हमारे किसान, जो सोयाबीन उगाते हैं, उनको आप आगे क्या देंगे? ... (व्यवधान) उनको आप आगे क्या देने जा रहे हैं? आपने कहा है कि हम आगे उत्पादन बढ़ाएंगे, लेकिन किस तरह से बढ़ाएंगे? …(व्यवधान) राजस्थान में पीएम मान धन योजना में लगभग 27 हजार लोगों का एनरोलमेंट हुआ है। इस योजना से हम किसानों को किस प्रकार से जोड़ेंगे, ताकि किसानों को लाभ पहुंचे और खेती का प्रोडक्शन बढ़ सके और हमारे क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? …(व्यवधान)

श्री परषोत्तम रूपाला: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। यह आपके प्रदेश से भी जुड़ा हुआ मसला है।... (व्यवधान) उन्होंने दो सवाल पूछे हैं। अभी पीएम किसान मान धन योजना में किसानों को तीन हजार रुपये 60 साल की उम्र के बाद मिलने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से रोलआउट हुई है। पूरे देश में इसको बहुत ही अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है। मैं राजस्थान की सरकार से और राजस्थान के कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसमें रजिस्टर करें।... (व्यवधान) इस योजना में 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मासिक अंशदान जमा करवाना होता है। 60 साल की उम्र होने पर उसको तीन हजार रुपये प्रति माह का मुआवजा सरकार की ओर से लाइफ टाइम मिलता है। ... (व्यवधान) एक प्रकार से उसको 60 साल के बाद जब एक सहारे की आवश्यकता होती है तो उसको एक परमानेंट सहारा मिल सकेगा। मगर इसमें राजस्थान की सरकार को इनीशिएटिव लेकर ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए।

दूसरा सवाल माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि वहां के सोयाबीन उगाने वाले किसानों को हम किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं।... (व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि हमने राजस्थान के सभी एमपीज़ को हमारे पूसा संस्थान में बुलाकर हमारे वैज्ञानिकों से इंटरैक्ट करवाया था। उसमें उस प्रदेश के

किसानों को उस प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार सरकार की स्कीमों की जानकारी साझा की गयी थी।... (व्यवधान) इसमें सरकार के द्वारा ड्रिप इरिगेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जिस प्रकार की सहायता दी जाती है, उसको लोगों और किसानों के बीच में पहुंचा कर और इन सभी सहायताओं का लाभ उठाकर अपने खेत में प्रयोग करते हुए अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री ए. राजा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में चर्चा हो रही है, लेकिन आप किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। यह सदन की अच्छी परम्पराएं नहीं हैं।

श्री सुनील कुमार मंडल।

... (<u>व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

श्री सुनील कुमार मंडल: महोदय, आज तक भारत का किसान उपेक्षित है।...((*व्यवधान*) हम कहते हैं कि भारत के किसानों की आय दोगुनी हो गई है लेकिन देखा जाए तो अधिकांश कृषि उत्पादों की उचित कीमत नहीं मिलने से स्थिति खराब होती जा रही है।...(*व्यवधान*) इसलिए, माननीय मंत्री जी से मेरा यह सवाल है कि क्या ऐसी कोई योजना है जिसमें हर कृषि उत्पाद का उचित मूल्य निर्धारण हो और जिसमें चावल और गेहूँ आसानी से खरीदा और बेचा जा सके। क्या कृषि उद्योग स्थापित करने की कोई योजना है?...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री परषोत्तम रूपाला: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के प्राइस के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। ... (व्यवधान) मैं वैल में खड़े अपने सभी साथियों से शांति से

किसानों के इस महत्वपूर्ण सवाल के बारे में सरकार की राय सुनने की विनती कर रहा हूँ। ... (व्यवधान) आजादी के बाद पहली बार इस देश के प्रधान मंत्री के निर्देश से किसानों की फसल के दाम, जो एमएसपी तय हुआ करता था, उसमें नीतिगत निर्णय लेते हुए, उसकी लागत के ऊपर 50 प्रतिशत का मुनाफा लगा कर एमएसपी तय करने का ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। ... (व्यवधान) इसके चलते किसानों को अब उसकी जिंसों के दाम सही मिलें, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सभा पटल पर एक तथ्य को रखना चाहूँगा। ... (व्यवधान) एमएसपी के भाव तय हो जाने से किसान को क्या मिलता है, वह एक अलग विषय है। ... (व्यवधान) लेकिन मैं आपको दो फिगर्स बताऊंगा, जिससे आपको और आपके माध्यम से देश के किसानों की जानकारी में रहे कि एमएसपी के डेढ़ गुना दाम से, जब एमएसपी तय की गई, उसके बाद सन् 2009 से 2014 तक जितनी खरीद हुई थी, उसका वॉल्युम था 7.24 लाख मीट्रिक टन। ... (व्यवधान) सन् 2014-2019 के काल खंड के दौरान, जब से भाजपा की सरकार आई, जब से मोदी जी प्रधान मंत्री बने, इस पांच साल के काल खंड में जो सात लाख की खरीदी थी, वह 91.49 लाख मीट्रिक लाख टन तक पहुंच गई है। ... (व्यवधान) सात लाख के सामने करीबन सौ लाख टन, तो यह खरीदी किसानों के हित में सरकार की मदद से हो रही है और उनके दाम सीधे किसानों के खाते में जा रहे हैं। ... (व्यवधान) अब बिचौलियों को कुछ नहीं मिल रहा है। ... (व्यवधान) यह संदेश मैं आपके माध्यम से किसानों को देना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

डॉ. जी. रणजीत रेड्डी: माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी तेलंगाना सरकार किसानों के एक एकड़ के लिए दस हज़ार रुपये सब्सिडी इनपुट दे रही है। ... (व्यवधान) वहीं भारत सरकार केवल छह हज़ार रुपये प्रति पांच एकड़ के लिए दे रही है। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और कृषि मंत्री को भी कहना चाहूँगा कि अगर तेलंगाना में किसी किसान के पास पांच एकड़ है तो उसको 50 हजार रुपये इनपुट सब्सिडी मिल रही है। ... (व्यवधान) वहीं भारत सरकार के हिसाब से पांच एकड़ के लिए सिर्फ छह हजार रुपये ही

मिल रहे हैं। ... (व्यवधान) इसलिए मेरी विनती है कि इसको छह हजार रुपये से बढ़ा कर 10 हजार रुपये प्रति एकड़ किया जाए।

महोदय, ई-नैम के माध्यम से 22 हजार मंडलों में से अभी केवल 585 मंडल ही कनैक्ट हुए। मैं आपके माध्यम से यही पूछना चाहता हूँ कि सभी 22 हजार मंडलों को ई-नैम से कनैक्ट करने के लिए और कितने साल लगेंगे?

श्री परषोत्तम रूपाला: माननीय अध्यक्ष महोदय, तेलंगाना के माननीय सदस्य ने तेलंगाना सरकार के द्वारा किसानों को जो सहायता दी जाती है, उनका फिगर देते हुए भारत सरकार से अनुरोध किया है कि हम इसमें वृद्धि करें। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि यह छह हज़ार रुपये हर किसान को देने का फैसला भारत सरकार ने पहली बार किया है और यह पूरे देश के किसानों के लिए है, किसी एक राज्य के लिए नहीं है। ... (व्यवधान) कृषि वैसे तो राज्य का विषय है। ... (व्यवधान) सभी राज्य अपने-अपने किसानों के लिए अपनी-अपनी योजनाएं चलाते हैं। ... (व्यवधान) तेलंगाना सरकार किसानों की जो मदद कर रही है, उसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। ... (व्यवधान) परंतु भारत सरकार ने पहली बार यह छह हजार रुपये किसानों को देने का फैसला किया है और देश के सात करोड़ किसानों तक पहुंचाने का काम भी किया है। ... (व्यवधान)

मैं नहीं मानता हूँ कि आज से पहले कभी इतनी मात्रा में डायरेक्ट बेनिफिट किसानों के एकाउंट में दिया हो।... (व्यवधान) दूसरी बात उन्होंने यह भी कही है कि हमारे प्रोग्राम से राज्य के किसानों को क्या मदद मिल रही है, वह सारे प्रोग्राम्स इसमें हैं। वे कहेंगे तो मैं डिटेल आपके सामने रख दूंगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, किसानों की आय वर्ष 2022 तक दुगुनी हो, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। आप सभी माननीय सदस्य भी इस पर सवाल पूछते हैं। मैं अंतिम बार मौका दे रहा हूँ, अगर आप इस पर सवाल करना चाहते हैं तो अपनी सीट पर चले जाएं अन्यथा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बुलाऊँगा। मैं फिर इस महत्वपूर्ण विषय पर आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि किसानों की आय को दुगुना करने के सवाल पर

सदन में प्रश्न है, एक मौका आपको फिर दे रहा हूँ। आप अपनी सीट पर चले जाइये, अन्यथा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्वेश्चन नंबर 22- श्री कुलदीप राय शर्मा। उपस्थित नहीं।

एडवोकेट डीन कुरियाकोस।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप उत्तर दे दें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रतापराव जाधव, क्या आप सप्लीमैंट्री पूछना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 22)

[हिन्दी]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैलाश चौधरी):

(क) से (च) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

(प्रश्न संख्या 23)

[हिन्दी]

श्री धर्मवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हो रहा है, उसकी वजह से हम ऑरिजनल गेहूँ, सब्जियां या फल-फ्रूट्स नहीं खा पाते हैं।... (व्यवधान) उसी की वजह से बीमारियों ने सारे देश को बुरी तरह से घेर लिया है। करोड़ों-अरबों रुपयों की दवाइयों के बावजूद हमारा इलाज नहीं हो पाता है।... (व्यवधान) इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि हम रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों के बजाय जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए किसी प्रकार से हम खाली जमीन में 20 हजार रुपये प्रति एकड़ केन्द्र और प्रदेश की सरकार से मिलकर दें या इस प्रकार से जैविक खाद तैयार करने के लिए, जिस प्रकार से देश में बहुत सी गौशालाएं हैं, हम गौशालाओं को डायरेक्ट पैसा देकर जैविक खाद बनाने के लिए कोई कार्रवाई कर रहे हैं।... (व्यवधान) दूसरा, आज के दिन जिस प्रकार से पर्यावरण खराब है और हम रिपर के लिए, जिससे हम जीरी का बचा हुआ अवशेष या गेहूँ का अवशेष उसके लिए रिपर केन्द्र और प्रांत की सरकार मिलकर अगर उसका प्रबंध कर दें, उसी से हम जैविक खाद भी तैयार कर सकते हैं और उसी से हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि के विषय पर विपक्ष जिस तरह से हंगामा कर रहा है, इनका कोई मुद्दा नहीं है।... (व्यवधान) माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि जैविक खेती के लिए सरकार की कौन सी योजना है, जो किसान के लिए लाभकारी सिद्ध हो सके। हमारी सरकार के द्वारा किसानों के लिए पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम प्रारम्भ की गई है, जिसके अंदर किसान को एक करोड़ 60 लाख रुपये अधिकतम सीमा तक जैविक बीज किस तरह से तैयार करें, जैविक खाद किस तरह से हो, उसके लिए राज्य सरकार का भी प्रावधान है।... (व्यवधान) अगर कोई व्यक्तिगत किसान चाहता है कि मैं जैविक खेती का प्लांट

लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए भी अधिकतम 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। दूसरा, परम्परागत कृषि विकास योजना, हमारी एक योजना है।... (व्यवधान) उसके अंदर किसान को जैविक खेती के लिए 50 हजार रुपये तीन साल के लिए दिए जाते हैं, जिसमें 31 हजार रुपये सीधे किसान को दिए जाते हैं। इसी तरह से जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, उनके लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास योजना शुरू की थी। ... (व्यवधान) जिसके अंदर 25 हजार रुपये प्रति किसान तीन साल के लिए दिया जाता है।...(व्यवधान) इसी तरह से हमारे आईसीएआर के द्वारा भी प्रारम्भ किया गया है।... (व्यवधान) राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन को भी हमने चालू कर रखा है।... (व्यवधान)

महोदय, इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहता हूँ।... (व्यवधान) इस जैविक खेती के लिए हमने... (व्यवधान) जिस तरह से यह बात आयी कि इसमें आपने पराली के लिए कुछ नहीं रखा है।... (व्यवधान) गेहूँ के अवशेष खेत में बच जाते हैं, उसके लिए भी हमारी सरकार की तरफ से योजना है कि हम किस तरह से पराली को खेत के अंदर खाद के रूप में प्रयोग में ले सकें।... (व्यवधान) हम कह सकते हैं कि डीकम्पोजर का भी जैविक खेती के अंदर बहुत बड़ा महत्व है।... (व्यवधान) इसके साथ ही मैं आपको बताऊँ कि हमने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्लान भी किया है।... (व्यवधान) सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंतर्गत हमने दस बायो फर्टिलाइजर यूनिट भी स्थापित की हैं।... (व्यवधान) इसके साथ ही हमारी परम्परागत कृषि योजना है।... (व्यवधान) इसके अंदर हमने प्रथम चरण (वर्ष 2015-17) के अंदर 947 करोड़ रुपये का जैविक खेती के लिए आबंटन किया था।... (व्यवधान) उसमें से हमने 646 करोड़ रुपये खर्च किए।... (व्यवधान) इसका 6 लाख किसानों को सीधा लाभ हुआ था।... (व्यवधान) इसी तरह जो हमारा दूसरा चरण वर्ष 2018-19 के अंदर चल रहा है, इसके अंदर भी किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।... (व्यवधान) 3 लाख 50 हजार हैक्टेयर एरिया के अंदर इसको कवर किया है।... (व्यवधान) इसके साथ ही 6 लाख 85 हजार करोड़ रुपये का आबंटन भी किया है।... (व्यवधान) इसके साथ ही इसके ऊपर 2 लाख 95 हजार करोड़ रुपये खर्च भी हो चुके हैं।... (व्यवधान) इसका सीधा-सीधा 15

लाख किसानों को लाभ भी मिला है।... (व्यवधान) मैं आपसे यह कह सकता हूँ कि किसानों के लिए जैविक खेती के माध्यम से, ...(व्यवधान) आने वाले समय में हमारे किसानों के लिए, जो आज रासायनिक खाद का प्रयोग करने से बहुत नुकसान हो रहा है।... (व्यवधान) किसानों को जैविक खेती से फायदा हो सके।... (व्यवधान) किसानों को जैविक खेती की तरफ किस तरह से आकर्षित कर सकें।... (व्यवधान) सरकार का इस तरफ पूरा ध्यान है।... (व्यवधान)

श्री धर्मवीर सिंह: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ।... (व्यवधान) हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा गेहूँ और जीरी पैदा होती है।... (व्यवधान) पिछले दिनों माननीय प्रधान मंत्री जी जब ब्राजील गए थे।... (व्यवधान) हमारा एक फैसला, जिसके बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी का स्टैंड रहा था।... (व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी रासायनिक खाद खेतों में डालने की वजह से गेहूँ और जीरी बिगड़ चुकी है।... (व्यवधान) क्या कोई ऐसी स्कीम दोनों प्रदेशों हरियाणा और पंजाब के अंदर बनाई जाएगी कि किसान को कुछ डायरेक्ट पैसा दिया जाए ताकि वह रासायनिक खाद की बजाय जैविक खाद ज्यादा तैयार कर सके।... (व्यवधान) ज्यादा नहीं तो कम से कम 20 हजार रुपये प्रति एकड़ अगर आप दें तो हम दावा कर सकते हैं, हरियाणा और पंजाब का किसान दावा कर सकता है कि वे सबसे ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का चावल और गेहूँ पैदा कर सकते हैं।... (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी: महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि कृषि के क्षेत्र अंदर जैविक खेती के लिए हम किस तरह से सहायता करते हैं।... (व्यवधान) मैंने इसके बारे में अपने जवाब में कहा है।... (व्यवधान) जैविक खेती का उपयोग करने वाले किसानों के लिए हमारी सरकार की ओर से 50 हजार रुपये तक तीन साल के लिए दिए जाते हैं।... (व्यवधान) 31 हजार रुपये सीधा उसके खाते में आए हैं।... (व्यवधान) किसानों के लिए आपने चिंता की है।... (व्यवधान) निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि इससे पहले जो सरकारें रही हैं।... (व्यवधान) जो कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, उन्होंने इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया।... (व्यवधान) उस समय खेती में रासायनिक खाद का उपयोग ज्यादा किया गया। ... (व्यवधान) उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा नहीं

दिया।... (व्यवधान) उन्होंने जैविक खेती के लिए कोई योजना नहीं बनाई।... (व्यवधान) इसकी वजह से आज कई तरह की बीमारियाँ कान्स्टिपेशन आदि होती हैं।... (व्यवधान) अगर यूपीए सरकार के समय में इस बात का विशेष ध्यान दिया गया होता, तो मैं समझता हूँ कि इससे किसानों और आम आदमी के लिए बहुत बड़ा लाभ होता।... (व्यवधान) जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आज प्रयास किये जा रहे हैं।... (व्यवधान) इससे कई तरह के लाभ होते हैं।... (व्यवधान) एक तो जैविक खेती में लागत कम आती है।... (व्यवधान) इसके उत्पादन का ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट भी होता है।... (व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना है।... (व्यवधान) किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए हमारे किसानों के उत्पादन का एक्सपोर्ट अधिक से अधिक होना चाहिए।... (व्यवधान) इसके अंदर हमने उत्पादन की क्वांटिटी को बहुत बढ़ाया है।... (व्यवधान)

हमारी सरकार किसानों में जैविक खेती के प्रति जागरूकता के लिए भी प्रयास कर रही है कि जैविक खेती के माध्यम से जैव उर्वरकों का अधिक से अधिक प्रयोग करें।... (व्यवधान) इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।... (व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य है कि आने वाले समय में हम जैविक खेती को बढ़ावा दें और किसानों की आमदनी भी बढ़ाएं, इसके लिए हमारी सरकार प्रसार कर रही है।... (व्यवधान) लेकिन, विपक्ष जिस तरह से किसानों से संबंधित मुद्दों के समय आज हल्ला कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि इनका किसानों के प्रति कोई रुझान नहीं है, किसानों के प्रति कोई सोच नहीं है।... (व्यवधान) आज पूरा देश इन्हें देख रहा है कि इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ये इस तरह से अपने स्वार्थ के लिए ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है।... (व्यवधान)

महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपने जैसा कहा है, अगर आप किसी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप आइए।... (व्यवधान) हम सब मिलकर किसानों की आमदनी दुगुनी करें।... (व्यवधान) इसके लिए हम जैविक खेती को प्राथमिकता दें।... (व्यवधान) आपका विषय बहुत अच्छा था।... (व्यवधान) मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।... (व्यवधान)

श्रीमती शारदा अनिल पटेल: अध्यक्ष महोदय, जैविक खाद से किसानों एवं उपभोक्ताओं को कई अपरोक्ष लाभ होते हैं।... (व्यवधान) जैविक खाद के उपयोग से जहां मिट्टी की गुणवत्ता एवं उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, वहीं उपभोक्ताओं को बेहतर स्वादिष्ट और पोषक मूल्य वाले आहार के साथ स्वस्थ आहार मिलता है।... (व्यवधान) जैसा कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आज मानव जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व, जैसे वायु और जल काफी प्रदूषित हो चुके हैं, तब मिट्टी और अन्न को प्रदूषित होने से बचाने में जैविक खाद का महत्व बहुत बढ़ जाता है।... (व्यवधान)

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि पिछले तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों, जैसे कृभको, इफ्को, नाफेड आदि ने जैविक खाद का कितना उत्पादन किया है एवं अगले तीन सालों में जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु इन कंपनियों को सरकार ने क्या निर्देश दिया है?... (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी: माननीय सदस्या ने जो विषय उठाया है कि कंपनियां कितने जैव उर्वरक का उत्पादन कर रही हैं तो उसके आंकड़े मैं आपको अलग से दे दूंगा, लेकिन मेरा यह कहना है कि सरकार का एक ही लक्ष्य है कि हम कम लागत में किसानों को अधिक से अधिक लाभ दे सकें, उसके लिए हमारी सरकार ने सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से मिट्टी की चिंता की है।... (व्यवधान) जिस तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी ने पूरे देश के अन्दर सॉयल हेल्थ कार्ड की योजना प्रारम्भ की है, उसके अंतर्गत किस तरह से मिट्टी को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलें, उसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं।... (व्यवधान) पूरे देश के अन्दर जो सॉयल हेल्थ कार्ड्स बने हैं, उसका यही उद्देश्य है कि हम किसानों को इसके माध्यम से जैविक खाद से अधिक से अधिक जोड़ते हुए उन्हें इसका लाभ दे सकें।... (व्यवधान)

आपने किसानों की चिंता की है कि हम जैविक खेती के माध्यम से उन्हें लाभ दें तो निश्चित रूप से उन्हें आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा।... (व्यवधान) आपने कंपनियों की जिस तरह से बात की है, उसे भी हम करने की बात करेंगे और किसानों के हितों में जो भी निर्णय होंगे, वे निश्चित रूप से हमारी सरकार के द्वारा किए जाएंगे।... (व्यवधान)

डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी: माननीय अध्यक्ष महोदय, आज देश में कैंसर जैसी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं।... (व्यवधान) मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि शायद केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से ये बीमारियां बढ़ रही हैं और आई. सी. एम. आर. ने 'कीटनाशकों का स्वास्थ्य पर प्रभाव' नाम से एक अध्ययन भी शुरू किया है।... (व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैविक फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा देने के लिए, परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए हम क्या ठोस प्रयास कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, उन पर हम अंकुश लगा सकें? ...(व्यवधान) हमारी परंपरागत कृषि पद्धति से बहुत ही फायदा होता है और हमारे नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स में उसे बहुत अच्छी तरह से लागू किया जाता है।... (व्यवधान) पूरे भारत में इसे लागू करने के लिए हमारे मंत्रालय की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, यह मैं जानना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहता हूँ। सामान्य तौर पर यह चर्चा चलती रहती है कि खेती में रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड के प्रयोग से कैंसर होता है। ... (व्यवधान) लेकिन इस प्रकार की कोई अध्ययन की रिपोर्ट नहीं आई है। आईसीएआर और आईसीएमआर ने भी अभी इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं दिया है कि इससे हमारे जीवन पर किसी प्रकार का नुकसान पड़ता है। अभी आईसीएआर ने एक अध्ययन की शुरुआत की है। जब इसकी रिपोर्ट आएगी, तो उस हिसाब से सोचा जाएगा।... (व्यवधान) लेकिन मैं सामान्य तौर पर आपके माध्यम से सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूँ कि रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड इन दोनों का जब सही उपयोग होगा, तो निश्चित रूप से किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी और पानी की खपत भी कम होगी।... (व्यवधान) इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य भी मिल सकेगा।

जहां तक जैविक खेती का मामला है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अनेक स्कीमों को संचालित किया है। इसका फायदा आज पूरे देश को मिल रहा है। ... (व्यवधान) भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार कृषि निर्यात नीति बनाई गई है, जिसमें हम कृषि निर्यात को वर्ष 2022 तक दोगुना करना चाहते हैं।... (व्यवधान) जहां तक कृषि के माध्यम से कृषक की आमदनी को दोगुना करने का मामला है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर वर्ष 2022 तक कृषकों की आमदनी को दोगुना करना होगा, तो एक ही चीज पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा।... (व्यवधान) हमको कृषि के क्षेत्र में बहुआयामी प्रयास करने पड़ेंगे।... (व्यवधान) हमें उर्वरकों का भी उपयोग करना पड़ेगा, पेस्टिसाइडज़ का भी उपयोग करना पड़ेगा और जैविक खेती को भी बढ़ावा देना पड़ेगा।... (व्यवधान) इस बार बजट में माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश से जीरो बजट खेती की भी घोषणा की गई है। हमारी जो प्राकृतिक पद्धति है, जिसको आज तक उपेक्षित कर रखा था, उसकी भी घोषणा की गई है।... (व्यवधान) उसके अनुसार भी स्कीम्स बन रही हैं और उनका फायदा भी देश को मिलेगा।

श्री मारगनी भरत: माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर मेरे तीन प्रश्न हैं। सबसे पहले, मंत्रालय बाजार में उपलब्ध जैव-उर्वरक की गुणवत्ता में कैसे सुधार करने जा रहा है? दूसरा, सभी जैव-उर्वरकों के उत्पादन, विपणन और वितरण की देखभाल के लिए उद्योग द्वारा सुयोग्य सूक्ष्म-जीवविज्ञानियों को नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तीसरा, मंत्रालय देश में जैव-उर्वरक को विनियमित करने के लिए कौन सा नियामक तंत्र लाने का प्रस्ताव रखता है?

श्री कैलाश चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हमारे किसानों के लिए जीरो बजट फार्मिंग का प्रावधान रखा गया है।... (व्यवधान) इसके साथ ही उसके अंदर हमारी गाय का भी बहुत बड़ा महत्व है, जिससे हमारे किसान के लिए डिकम्पोजर का उपयोग किया जाएगा।... (व्यवधान) डिकम्पोजर से किसान की जो खाद है, उस खाद को बनाने के लिए उसके अंदर पानी तथा गुड़ को डालकर तैयार किया जाता है। ... (व्यवधान) किसान के लिए इसको बहुत बड़ा महत्व दिया

जाता है। यह आने वाले दिनों में किसान के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। यह 40 दिन तक खेत के अंदर रहेगा।... (व्यवधान) उसकी जितनी खाद या कम्पोस्ट है, गाय के गोबर से बनी जो खाद है, जब हम उसको 40 दिन तक एक जगह डालकर रखेंगे, तो उससे मित्र जीव पैदा होंगे।... (व्यवधान) इस तरह से मित्र जीव को किसान के बीज से मिक्स किया जाएगा और उसमें लिक्विड भी होगा।... (व्यवधान) इस प्रकार आईसीएआर के वैज्ञानिकों के माध्यम से कई प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं।... (व्यवधान) इसका हम जैविक खेती के अंदर किस प्रकार से अधिकाधिक प्रयोग करें। इसकी वजह से हमारे किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। हमने इस बारे में आईसीएआर के अंदर प्रयोग करके भी देखा है। इसके माध्यम से 15 से 25 प्रतिशत तक फसल का उत्पादन भी बढ़ा है।... (व्यवधान) इसलिए मैं आप से कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हमारे किसानों को 'आत्मा' योजना के माध्यम से भी काफी फायदा मिलेगा। 'आत्मा' योजना के अंदर हमारे कृषि विज्ञान केन्द्र भी हैं। वहां पर भी ट्रेनिंग दी जाती है। 'आत्मा' योजना के तहत किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि हमें जैविक खेती के अंदर किस तरह से फसल को बोना है, किस तरह से खाद का उपयोग करना है।... (व्यवधान) इस प्रकार की सारी ट्रेनिंग देकर हम किसानों को आने वाले समय में जैविक खेती की तरफ ले जाएंगे। हम विदेशों में इसका एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट के अंदर हमारे रासायनिक खाद का उपयोग करने की मांग कम है। जैविक खेती के लिए सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी तरफ से इसके लिए अलग से ट्रेनिंग भी दी जा रही है।... (व्यवधान) किसानों में जागरूकता इसके लिए महत्वपूर्ण है।... (व्यवधान) मैं सदन के सभी सदस्यों से भी कहूँगा कि वे इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अपने-अपने क्षेत्र में किसान इसका ज्यादा प्रयोग करें।... (व्यवधान) किसान पेस्टीसाइड या अन्य केमिकल युक्त उर्वरक का कम मात्रा में प्रयोग करेंगे, तो इसका फायदा होगा।... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, छोटे मंत्री और बड़े मंत्री ने जो इस विषय पर उत्तर दिया, यह सचमुच बहुत ही सराहनीय है। यह दुर्भाग्य है कि हमारे विपक्ष के लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारी देना चाहूँगा कि आज मैं अपने जिले के एक बड़े किसान के रूप में पिछले कुछ वर्षों में विकसित होकर आया हूँ।... (व्यवधान) बहुत सारे कार्यों के बीच में खेती में भी मेरा लगाव बहुत बढ़ चुका है।... (व्यवधान) आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि जैविक खेती का क्या स्वरूप हो सकता है, इसे समझने के लिए मैंने अपने आप के लिए यह किया था।... (व्यवधान) मैंने अपने आप के लिए जैविक खेती के संदर्भ में इसे किया था और जिस प्रकार से अगल-बगल के किसान उसको अपना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि यह बहुत है।... (व्यवधान) मूलत: यह राज्य सरकार का विषय होता है और राज्य सरकार को बड़ा समर्थन इसमें दें, तो उसका लाभ होता है। हमारे साथ लोगों की कठिनाई क्या है कि जो बड़ी योजनाएं जैविक फर्टिलाइजर्स के उपयोग के लिए भारत सरकार की जाती हैं, वह किसानों तक पहुंचने का जो माध्यम है, वह राज्य सरकार है और प्रखण्ड है और इन योजनाओं की रूप-रेखा क्या होगी, यह समझना कई बार हमारे लिए कठिन हो जाता है। ... (व्यवधान) प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी या जिला कृषि अधिकारी होते हैं। इस पर विस्तार से इस सदन में आप जानकारी दे दें कि आपके द्वारा जो स्वीकृत भारत सरकार की योजनाएं हैं, वह राज्य सरकार में जो कार्यान्वित हो रही हैं, उसकी रूप-रेखा क्या है, क्या मात्रा में जाता है, उसका मानक क्या है और किस बारे में है? ...(व्यवधान)

महोदय, जब मैं देहात में घूमता हूँ, तो एक चीज मैं महसूस कर रहा हूँ कि देहात में साग की खेती, बाकी खेती होती है और माननीय मंत्री ने कहा कि जब उर्वरक का इस्तेमाल संतुलन के साथ होता है, तो उसका कुप्रभाव नहीं होता है।... (व्यवधान) ऐसा उनका कहना था कि संतुलित इस्तेमाल करना चाहिए।... (व्यवधान) क्योंकि पूरी दुनिया में खाद्यान्न का बोझ बढ़ता जा रहा है, इसलिए कीटनाशक दवाओं का उपयोग, फर्टिलाइजर्स का उपयोग भी उसी अनुपात में किसान बढ़ा रहे हैं।... (व्यवधान) किसान को हमेशा यह लगता है कि अधिक खाद देने पर अधिक उत्पादकता होगी और उससे हमें अधिक लाभ होगा।... (व्यवधान) ये जो रिम्युनरेटिव प्राइसेज़ हैं, किसान को लगता है कि अधिक उत्पादकता करके हम अपना तो खर्च निकाल लेंगे, लेकिन कहीं न कहीं यह संतुलन बिगड़ जाता है।... (व्यवधान) मैं जवाब के एक संदर्भ से

थोड़ा सा चिंतित हुआ और ऐसा लगता है कि भारत की सरकार ने पहली बार यह तय किया है कि क्या इसका स्वास्थ्य पर प्रभाव है या नहीं, इसके लिए हमने आईसीएमआर को कहा है।... (व्यवधान) इस उत्तर से मैं थोड़ा असंतुष्ट हूँ, क्योंकि 70 वर्ष के इतिहास में अगर भारत की सरकार का यह उत्तर आता है कि खाद्यान्नों में उपयोग किए जाने वाले फर्टिलाइजर से क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है और उसके लिए अभी हम लोगों ने अनुसंधान किया है, तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ और ऐसा नहीं होगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर यह अनुसंधान आईसीएमआर से होता है कि फर्टिलाइजर्स के उपयोग से क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी कोई समय-सीमा निर्धारित हो जाती है और आईसीएमआर यह कहता कि अगले 6 महीने या साल भर में हम एक विस्तृत रिपोर्ट इस संदर्भ में देंगे, तो देश का भी भला होता और हम सब लोग जो खेतों के खाद्यान्न खाते हैं, शायद हमें भी लाभ होता।... (व्यवधान) हमारे मित्र ने बताया कि आज अगर सौ पेशेंट देहात से आ रहे हैं, तो 60 पेशेंट कैंसर से प्रभावित होकर आ रहे हैं। अगर सबसे ज्यादा बोझ कैंसर का दिख रहा है, तो शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में दिख रहा है, जहां लोग उर्वरक का उपयोग अधिक कर रहे हैं।... (व्यवधान)

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि जो आईसीएमआर का प्रतिवेदन तैयार होकर आना है, वह अगर एक समयावधि के भीतर देश को मिल जाए, तो सरकार भी उसका लाभ उठा सकेगी और सवा सौ करोड़ देशवासियों को भी उसका लाभ हो सकेगा। यह मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है और इस पर मैं उत्तर भी लेना चाहूँगा।... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय सदस्य ने बहुत विस्तार से अपनी बात कही है और मैं उनकी भावना से पूरी तरह सहमत हूँ। ... (व्यवधान) उनके जो दो-तीन प्रश्न हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि आम तौर पर हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में संघीय राज्य है, इसमें केंद्र सरकार को जो भी काम करना पड़ता है, वह राज्य के माध्यम से करना पड़ता है।... (व्यवधान) राज्य ठीक प्रकार से इसे इम्पिलिमेंट करे ... (व्यवधान) इस बात की कोशिश केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है और इसके लिए दिशा मोनिटरिंग कमेटी है, उसमें सांसद

अध्यक्ष होते हैं, वह भी उसकी मोनिटरिंग करते हैं। मुझे लगता है कि राजीव प्रताप रुडी जी इस मामले में एक उदाहरण हैं। वे दिशा कमेटी की बैठक का सार्थक उपयोग कर रहे हैं। ... (व्यवधान) जहां तक जैविक क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली स्कीमें हैं, उनके मापदंड और फंडिंग हैं, उसकी जानकारी उनके पास भेज दी जाएगी।

दूसरा, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, उर्वरक और पेस्टिसाइडज का जो विषय है, स्वभाविक रूप से चाहे आईसीएआर हो या आईसीएमआर जैसी संस्थाएं जब तक कोई चीज प्रमाणित नहीं कर देती तब तक हम इसे मान नहीं सकते। ... (व्यवधान) लेकिन अभी तक सामान्य तौर पर इस प्रकार के दुष्प्रभाव की रिपोर्ट नहीं दी है। अभी आईसीएमआर ने अध्ययन शुरू किया है, उर्वरक और पेस्टिसाइड की प्रभाव और दुष्प्रभाव पर रिसर्च की जानी है। ... (व्यवधान) यह कृषि के क्षेत्र में लंबा विषय होता है इसलिए उसकी अवधि क्या होगी उसकी एकदम आज मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं उनकी भावना से सहमत हूँ और उनका यह सुझाव स्वागत योग्य है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, किसानों की समस्याओं से संबंधित प्रश्न लगा हुआ है। अगला प्रश्न भी किसानों से संबंधित है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर चले जाएं ताकि किसानों की महत्वपूर्ण समस्याओं पर इस सदन में चर्चा हो सके क्योंकि हम सभी लोग किसानों की चर्चा करते हैं लेकिन सदन में इतने महत्वपूर्ण सवाल आ रहे हैं, आप अपनी सीट पर बैठिए। अगला क्वेश्चन किसानों की समस्याओं पर ले रहा हूँ।

... (व्यवधान)

श्री पी. पी. चौधरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से जवाब दिया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यहां वेल में खड़े होकर आसन से सदन में चर्चा कराने की परंपराएं रही होंगी ... (व्यवधान) किन्तु आज के बाद वेल में खड़े होकर आसन से चर्चा न करे और नहीं तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी।

श्री पी. पी. चौधरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से कृषि की समस्या पेस्टिसाइड और इनेक्टिसाइड के बारे में बताया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी पूछना चाहूँगा, मेरे तीन छोटे-छोटे सप्लीमेंटरी क्वेश्चन हैं। ... (व्यवधान) पहला, कुछ इन्सेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड सिस्टेमेटिक होते हैं जो प्लांट्स और फ्रूट के अंदर जाकर कार्रवाई करते हैं और फ्रूट में डिपोजिट हो जाते हैं। आप चाहे सब्जी या फल को लें, उसके असर से वह कैंसर का कारण बनता है। इस तरह से इन्सेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो सिसेस्टिमेटिक है, उसे दूसरी कंट्रीज ने बैन कर रखा है, क्या हमने उन चीजों को देखा है कि उनको बैन करने की जरूरत है?

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूँगा कि आर्गेनिक एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा इसे पुश करने के लिए फॉरेन कंट्रीज या एजेंसी से कलैबरेशन करने की सोचते हैं। जब तक हम आर्गेनिक का रिसर्च नहीं करेंगे, इंडिजिनस रिसर्च की रूपरेखा क्या है? मैं तीसरा सप्लीमेंटरी क्वेश्चन माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से गोवा में आर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज खोली गई है, क्या आर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जगह खोलने का सरकार का प्रस्ताव है?

श्री कैलाश चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जैविक खेती के बारे में आपने जिस तरह से कहा है। आईसीएआर के माध्यम से हमारे साइंटिस्ट हर समय यह प्रयास करते हैं और किसानों से भी सुझाव लेते हैं। कई ऐसे किसान भी हैं जो आर्गेनिक क्षेत्र में अलग-अलग प्रयोग करते हैं ताकि किसानों के लिए उसमें पेस्टिसाइड का उपयोग कम हो। हम ऐसे किसानों को सम्मानित भी करते हैं जो आर्गेनिक के अंदर काम कर रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट भी खेती के अंदर जीवाश्म के माध्यम से उत्पादन को बढ़ा सकते हैं ताकि पेस्टिसाइड का उपयोग कम हो। इस तरह से साइंटिस्ट्स द्वारा आईसीएआर में विभाग के माध्यम यह कार्यक्रम चल रहा है। ... (व्यवधान) जैसा आपने कहा कि आने वाले समय में बाहर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि आईसीएआर विश्व का माना हुआ संस्थान है जहां रिसर्च होती है। देश में साइंटिस्ट और किसान मिलकर सोच रहे हैं कि किसानों के लिए क्या

कुछ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य किसानों की आमदनी बढ़ाने का है।... (व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी की शरण में रिसर्च हो रही है, जैविक खेती और जीरो बजट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, इन 60 सालों में जिन्होंने शासन किया, अगर उन्होंने पहले यह करवाया होता तो आज कैंसर जैसी भयंकर बीमारी सुनने को नहीं मिलती। किसान की चर्चा पर ये लोग आज जिस तरह से सदन के अंदर विरोध कर रहे हैं, इन लोगों ने 60 साल में किसान की परिभाषा बदल दी। ... (व्यवधान) इन लोगों ने किसान के नाम पर राजनीति की, किसान के नाम पर वोट की बात की। किसान शब्द का अर्थ गरीब हो गया। इन्होंने किसान की परिभाषा ही गरीबी से कर दी। आज भी किसी कहानी की शुरूआत करते हैं, कहते हैं कि गांव में एक गरीब किसान रहता था। यह कभी नहीं कहा गया कि एक गांव में एक अमीर किसान रहता था। इस तरह से इन्होंने किसान की परिभाषा को ही बदलने का काम इनके रवैये से दिख रहा है। इनको किसानों की बिल्कुल चिंता नहीं है। ... (व्यवधान) आज पूरा सदन किसानों पर चर्चा कर रहा है, ये लोग विपक्ष में बैठे हैं, आज इस तरह से हंगामा कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ कि आपके सुझावों को ध्यान में रखेंगे।

(प्रश्न संख्या 24)

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील: माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न के उत्तर में दिया है कि कौशल विकास योजना के माध्यम से खेती करने वाले 56 लाख 50 हजार किसान, 12,000 पशुपालक और 65,000 मछली पालक किसानों को पिछले चार सालों में ट्रेनिंग दी है। ... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षण लेने के बाद क्या इन किसानों ने उस तरह से खेती, पशुपालन और मछली पालन करना शुरू किया है? अगर किया है तो उनके जीवन में क्या फर्क पड़ा है? उनकी आय में कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षण लेने के बाद जो खेती हुई, क्या इससे उनकी आय में क्या फर्क पड़ा? क्या इसकी कोई जानकारी लेता है? अगर लेता है तो उसके आंकड़े क्या हैं? ...(व्यवधान)

श्री परषोत्तम रूपाला: माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सांसद ने पूछा है, स्किल डैवलपमेंट से प्रशिक्षित होने के बाद जब किसान अपने खेत में उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, इससे उनको कितना बेनिफिट मिला है, उनकी आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है, ऐसा कोई सर्वे अभी नहीं हुआ है। ऐसा अभी कोई सर्वे चल भी नहीं रहा है। ... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता कि कृषि में परंपरागत रीति में ही किसान बहुत कुशल थे और कुशल हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी में नवाचार आते हैं, बीज आदि में नए नवाचार आते हैं। अगले सवाल में जैविक उर्वरकों के उपयोग में काम करने की चर्चा हो रही थी, इन सारे नवाचारों को किसानों के बीच में जाकर प्रशिक्षित करने से किसान लाभान्वित होता है और खेती में इनका प्रयोग करने से निश्चित ही उनको बेनिफिट मिलता है। ... (व्यवधान) जो किसान अपने खेत में नवाचार करते हैं, जैसे रूडी जी बता रहे थे कि वह अपने खेत में जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, उसे देखकर आसपास वाले किसान उनके बेनिफिट को लेने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से कृषक समाज में इस तरह के नवाचार को देखकर अनुसरण करने की परंपरा है। इस ट्रेनिंग से कृषि को किसानों से बेनिफिट हो रहा है।

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील: माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बजट में जीरो बजट में खेती को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या कौशल विकास योजना के माध्यम से आर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने के बारे में सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, अगर उठाए हैं तो ऐसे कितने किसानों को अभी तक इस माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है और कितने किसान आर्गेनिक खेती की तरफ आकर्षित हुए हैं? कृपया इसकी जानकारी दें।

श्री परषोत्तम रूपाला: माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्किल डेवलपमेंट और स्किल देने का काम किसानों के बीच हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा हमारी एक योजना 'आत्मा' के नाम से सारे राज्यों में बहुत ही प्रचलित है और आत्मा के माध्यम से अभी तक 56 लाख किसानों को ट्रेनिंग देने का काम हो चुका है। भारत कृषि कौशल परिषद् के माध्यम से ऐसे अभ्यास क्रम अनुमोदित किए गए हैं, जिसमें 200 घंटों की एक ट्रेनिंग दी जाती है। इसके जरिये 21162 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्स्टेंशन मैनेजमेंट के नाम से हमारी एक बहुत पुरानी संस्था है और स्किल ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, इसके तहत एसटीआरवाई नाम से वर्ष 2019 तक 14 हजार 687 ग्रामीण युवकों को ट्रेनिंग देने का काम सम्पन्न हो गया है। इन सारे ट्रेनिंगों के बावजूद सब्मीशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, इसके जरिए ट्रेनिंग, टेस्टिंग, डेमोन्स्ट्रेशन किसानों के बीच करते हुए 49 हजार 33 किसानों को ट्रेनिंग देने का काम सम्पन्न हो चुका है।

श्री रवि किशन: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यह बड़ा अजीब लग रहा है। ये वे लोग विरोध कर रहे हैं, ये वे लोग यहां ... [2] कर रहे हैं, जो किसानों के खिलाफ हैं। मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ कि दो दिन पहले हम लोगों ने गोरखपुर में पिपराइच चीनी कारखाना शुरू किया। यह चीनी कारखाना जिसको पिछली सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया था और कई लाखों किसानों को बेरोजगार कर दिया। आज हम लोगों ने जो चीनी कारखाना शुरू किया है,

[2]कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वहां रोज 50,000 क्विंटल गन्ने की पेराई हो सकती है। आज वे लोग विरोध कर रहे हैं, जिन लोगों ने किसानों का विरोध किया, किसानों को खत्म किया।

मैं आपको कुछ डिटेल बताना चाहता हूँ। वहां 27 मेगावाट बिजली भी बनेगी और तकरीबन 45 हजार लोगों को गोरखपुर में रोजगार मिलेगा। यह हमारे श्रद्धेय प्रधान मंत्री जी, हमारे अद्भुत पूज्य योगी महाराज जी और केंद्र सरकार जो किसानों के प्रति सेंसिटिव है, जो गरीब किसानों के लिए सोचती है, उसके लिए चीनी कारखाना, इससे पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे पूर्वांचल में, खुशी की लहर दौड़ गयी है। ये लोग विरोध कर रहे हैं, जहां पर आज विशेष रूप से किसानों के लिए बात की जा रही है। मैं किसान का बेटा हूँ। मैं किसानी जानता हूँ, उसी खेल से मैं पला, बढ़ा और पढ़ाई की। मैं जानता हूँ कि कि किसान की मजदूरी, किसान का खेत और किसान का मेहनताना कितना जरूरी होता है। करोड़ों रुपये पार्लियामेंट अफेयर्स का खर्च होता है और यहां पर आंदोलन हो रहा है। इस देश के साथ ये लोग क्या करना चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन केन्द्र सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा, राज्य सरकार और योगी महराज को धन्यवाद दूंगा कि पिपराइच में, पीलीभीत में और न जाने कितने अन्य गन्ना कारखाने शुरू हो रहे हैं।... (व्यवधान) मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग वहां पर ऐसा शुगर फ्री भी बना रहे हैं, जिसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, उससे हमें 200 रुपये से 300 रुपये ज्यादा मिलेंगे।... (व्यवधान) मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब गन्ना तोला जाए, उसी वक्त उनका भुगतान हो जाए, ताकि और गन्ना किसानों को प्रोत्साहन मिले, इन सारे विरोधियों का मुंह बन्द हो, जो किसानों के खिलाफ रहे हैं, जिन्होंने किसानों को खत्म किया है। ... (व्यवधान)

श्री परषोत्तम रूपाला: अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी ने गन्ना किसानों का सवाल यहां उठाने का प्रयास किया है। ... (व्यवधान) किसान कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र से काम कर रहा हो, उसकी समस्या का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है।... (व्यवधान) गन्ना किसानों का भुगतान हो, इसके लिए सरकार ने क्या -क्या काम किए हैं, वह इस सवाल से संबंधित नहीं होने के कारण उसके फिगर्स मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, मगर मैं इनकी भावना के साथ तत्वतः सहमत हूँ कि जब भी किसान की कोई उपज मार्केट में जाए, उसकी खरीद हो

जाए तो उसके पैसे तुरन्त ही उनको मिल जाएं। ... (व्यवधान) इस प्रकार की व्यवस्था करने की सरकार की मंशा है और उसके चलते, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बैठकर, माननीय सांसद की भावना के अनुरूप, इस मसले में जो कुछ करना होगा, वह करेंगे।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न 25- श्री नंदकुमार सिंह चौहान- उपस्थित नहीं।

श्री रघु राम कृष्ण राजू।

(प्रश्न संख्या 25)

श्री रघु राम कृष्ण राजू: महोदय, समय कम होने के कारण मैं सीधे प्रश्न पर आता हूँ।

मैंने माननीय मंत्री जी द्वारा कृषि क्षेत्र के प्रधान मंत्री के द्वारा की गई देखभाल के बारे में दिए गए उत्तर को पढ़ लिया था। हम इस संबंध में भारत सरकार द्वारा लिए गए सभी निर्णयों का और प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 करोड़ दिया है उसका हृदय से स्वागत करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डीजी ने एक और 6,500 करोड़ रु. जोड़ा था। माननीय प्रधान मंत्री के नाम के साथ और हमारी पार्टी के संरक्षक डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी, रायथु भरोसा और प्रधान मंत्री रायथु निधि के तहत, हमने पैसे की पहली किस्त पहले ही जारी कर दी है। जल्द ही दूसरी किस्त भी जारी कर दी जाएगी।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा ई-पोर्टल और ब्याज सब्सिडी योजना जैसी कई अन्य योजनाएं भी हैं जिनमें सरकार 3 लाख रुपये तक का ऋण दे रही है। 7 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ और शीघ्र भुगतान के लिए 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दे रही है। ये सभी बहुत ही स्वागतयोग्य कदम हैं।

जबकि मैं सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी की पहल की सराहना करता हूँ। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री के संज्ञान में दो मुद्दे लाना चाहूँगा। एक यह है कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान को तीन कार्य दिवसों के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करना होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसान एक भावनात्मक आदमी है। किसान अपनी ज़मीन की देखभाल उसी तरह करता है जैसे एक माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है। यदि कोई विपत्ति आती है तो शुरू के एक-दो दिन सदमे में रहेंगे। यदि आप उसे तीन दिन के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करते हैं, तो ऐसा कृत्य अत्यधिक असभ्य हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी को प्रस्तुत करता हूँ। आपके माध्यम से, कृपया सदमे से बाहर आने और अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए, कम से कम 10 दिनों के समय पर विचार करें।

माननीय अध्यक्ष के माध्यम से माननीय मंत्री कों एक और निवेदन है। जब भी कोई आपदा आती है या आपदा का संकेत मिलता है, तो हमारी राज्य सरकार आपदा से होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम भेजने के अनुरोध के साथ एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, लेकिन जब तक मंत्रालय के अधिकारी आते हैं, तब तक एक मौसम बीत चुका होता है। कभी-कभी पूरा सीज़न भी ख़त्म हो जाता है। परिणामस्वरूप, आपदा के वास्तविक तथ्य उन्हें दिखाई नहीं देंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ। आपके माध्यम से उन्हें 15 दिनों के भीतर वहां का दौरा करने का निर्देश देने का आग्रह किया जाए। यदि इन दो मुद्दों पर कृपया विचार किया जाए, तो माननीय प्रधानमंत्री का जो वास्तविक हित किसानो की सेवा करना है वो अवश्य पूरा होगा।

<u>मध्याह्न 12.00 बजे</u>

[हिन्दी]

श्री परषोत्तम रूपाला: माननीय अध्यक्ष जी, यह सवाल प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के संबंध में था। माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को जो नुकसान हुआ है और उस नुकसान को इंडिविजुअल फार्मर्स को कम्पनियों के समक्ष तीन दिन में अपनी बात रखने को कहा गया है। माननीय सदस्य ऐसा मान रहे हैं कि किसान तीन दिन में अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं।... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद और माननीय सभा गृह को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह पहली बार हुआ है कि व्यक्तिगत किसान को पहली बार अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। इसमें पहले तीन दिन का प्रावधान रखा गया है।... (व्यवधान) इस अनुभव से हमें पता चलेगा कि इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। अपने अनुभव को शेयर करते हुए आपके सुझाव को हमारी योजना में शामिल करने की बात हम सोचेंगे।... (व्यवधान)

इसके अलावा आपने बताया है कि किसानों के यहां सर्वे के लिए टीम भेजने में देर हो रही है। हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राज्य सरकार की ओर से सूचना मिलने के बाद एक सप्ताह में ही टीम भेजने का

काम कर रहे हैं। यदि किसी राज्य की ओर से बात आएगी, तो हम उसे आगे देखने का काम करेंगे।...

(व्यवधान)

---

[3]*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 26 से 40

अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460)

[3]* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव से संबंधित सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री जी. किशन रेड्डी।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): श्री अमित शाह की ओर से, मैं सभा पटल पर पत्र रखता हूँ—

(1) (एक) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी 12 नवम्बर, 2019 की उद्घोषणा, जो 12 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 837(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल.टी.-746/17/19]

. (दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति का 12 नवम्बर, 2019 का आदेश, जो 12 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या सा.का.नि. 838(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

. [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल.टी.-747/17/19]

(2) महाराष्ट्र के राज्यपाल के 12 नवम्बर, 2019 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल.टी.-748/17/19]

(3) जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 103 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

. (एक) जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2019 जो 30 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.3912(अ) में प्रकाशित हुआ था।

. (दो) जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों को दूर करना) दूसरा आदेश, 2019 जो 2 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3979(अ) में प्रकाशित हुआ था।

. [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल.टी.-749/17/19]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ—

(1) आर.ई.पी.सी.ओ. बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) आर.ई.पी.सी.ओ. बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल.टी.-750/17/19]

... (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.03 बजे</u>

विधेयकों पर अनुमति

महासचिव: महोदय, मैं 17वीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित ग्यारह विधेयक सभा पटल पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ क्योंकि सभा में अंतिम बार प्रतिवेदन 21 जून, 2019 को प्रस्तुत किया गया था:-

1. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2019;
2. वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019;
3. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019;
4. दिवाला और शोधन अक्षमता (संशोधन) विधेयक, 2019;
5. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019;
6. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019;
7. मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019
8. माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019;
9. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019; और
10. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2019

मैं संसद के सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित पांच विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित एक-एक प्रति भी सभा पटल पर रखता हूँ:-

1. विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) विधेयक, 2019;

2. जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019;

3. केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षकों कें काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019;

4. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019;

5. भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019;

6. दंत-चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019;

7. आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019;

8. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019;

9. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019;

10. नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र विधेयक, 2019;

11. मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019;

12. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019;

13. अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2019;

14. कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019;

15. सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019;

16. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019;

17. मजदूरी संहिता, 2019;

18. निरसन और संशोधन विधेयक, 2019;

19. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019; और

20. सार्वजनिक स्थल (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल.टी.-751/17/190]

... (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.03 ½ बजे</u>

<u>कार्य मंत्रणा समिति</u>

8वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री प्रह्लाद जोशी की ओर से कार्य मंत्रणा समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

... (*व्यवधान*)

अपराह्न 12.04 बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति

325वां प्रतिवेदन

डॉ. जयंत कुमार राय (जलपाईगुड़ी): मैं टाटा मेमोरियल केंद्र (टी.एम.सी.) के विस्तारित नेटवर्क द्वारा भारत में कैंसर उपचार में परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए विस्तृत भूमिका के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी स्थायी समिति का 325वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ।

---

* प्रतिवेदन 11 नवम्बर, 2019 को माननीय सभापति, राज्य सभा को प्रस्तुत किया गया तथा उसी दिन माननीय अध्यक्ष लोक सभा को अग्रेषित किया गया।

अपराह्न 12.04 ½ बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(1) लोक लेखा समिति

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं निम्नलिखित प्रस्तुत करना चाहता हूँ: -

"कि यह राज्य सभा को सिफारिश करती है कि राज्य सभा, सभा की लोक लेखा समिति की शेष अवधि के लिए श्री भुवनेश्वर कालिता के राज्य सभा से त्यागपत्र देने के कारण उनके स्थान पर समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित होने के लिए अपने में से एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा को सिफारिश करती है कि राज्य सभा, सभा की लोक लेखा समिति की शेष अवधि के लिए श्री भुवनेश्वर कालिता के राज्य सभा से त्यागपत्र देने के कारण उनके स्थान पर समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित होने के लिए अपने में से एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

(दो) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): मैं निम्नलिखित प्रस्तुत करती हूँ:-

"कि यह राज्य सभा को सिफारिश करती है कि राज्य सभा, सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए श्री सुरेंद्र सिंह नागर के राज्य सभा से त्यागपत्र देने के कारण उनके स्थान पर समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित होने के लिए अपने में से एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा, सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए श्री सुरेन्द्र सिंह नागर के राज्य सभा से त्यागपत्र देने के कारण उनके स्थान पर_समिति के सदस्य के रूप में सहयोजित होने के लिए अपने में से एक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331 ख द्वारा अपेक्षित रीति से, नियम 254 के उप-नियम (3) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए श्री रामचन्द्र पासवान के निधन के कारण *उनके स्थान पर* समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे।"

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331 ख द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उप-नियम (3) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए श्री रामचन्द्र पासवान के निधन के कारण *उनके स्थान पर* समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस जाएं।

<u>अपराह्न 12.07 बजे</u>

(इस समय श्री गौरव गोगोई और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए)

[हिन्दी]

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए यहां खड़ा हुआ हूँ। वैसे तो मैंने शून्यकाल के लिए बैलेट में जो विषय लगाया था, उसके पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहना कहना चाहता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों पर जो कल लाठीचार्ज हुआ है, दिल्ली के अंदर उनके ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, यह निन्दनीय है। इसकी उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। ... (व्यवधान) और सरकार माफी मांगे कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के छात्रों पर जुल्म किया है, ...(व्यवधान)

کے اُٹھانے مُدہ اہم ہی بہت ایک میں صاحب، اسپیکر محترم :(امروہہ) علی دانش کنور سبجیکٹ جو میں بیلیٹ لئے کے آور زیرو نے میں تو ویسے ہوں۔ ہوا کھڑا یہاں لئے نہروں لال جواہر کہ ہوں چاہتا کہنا اتنا صرف سے آپ میں پہلے کے اس تھا، لگایا جس اوپر کے ان اندر، کے دہلی ہے ہوا چارج لاٹھی کل جو پر طلباء کے یونیورسٹی جانچ پر سطح اعلیٰ کی اس ۔ ہے مذمت قابلِ وہ ، ہے ہوا چارج لاٹھی سے طرح سے طریقے جس اندر کے دہلی کہ مانگے معافی سرکار اور ۔(مداخلت) جائے کرائی (مداخلت) کیا ظلم پر طلباء کے جے۔این۔یو۔ نے پولس دہلی بربرتاپوروک-----

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आपका शून्यकाल का प्रस्ताव इस विषय पर नहीं था। आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। जिस विषय पर आपने शून्यकाल में प्रस्ताव दिया था, उस विषय पर आप नहीं बोल रहे हैं। अब आपका नम्बर नहीं है। आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर चौधरी जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं शुरुआत में इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे मेरी पूरी बात कहने का मौका दिया जाए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक गंभीर मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस मुद्दे को लेकर सारे हिन्दुस्तान की आम जनता चिन्ता और शंका में है, वह हमारी पार्टी के नेताओं, गांधी परिवार के सदस्यों की जान खतरे में है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप कल इस विषय पर बोल चुके हैं।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, आप सब जानते हैं कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के परिवार को जो एसपीजी प्रोटेक्शन मिला हुआ था, यह मामूली प्रोटेक्शन नहीं है। सर, मुझे मेरी बात रखने दीजिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने आपको अभी एसोशिएट करने के लिए नहीं कहा है। एसोशिएट माना भी नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, मैडम इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद यह तय किया गया था कि हिन्दुस्तान का जो पी.एम. होगा, उनको और उनके परिवार को एसपीजी प्रोटेक्शन दिया जाएगा और खासकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांधी परिवार को एसपीजी प्रोटेक्शन देने की इजाजत दी थी। वर्ष 1991 से लेकर वर्ष 2019 तक आज 28 साल हो गये हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको बोलने का मौका दिया गया, आपने किसानों के मामले में सवाल उठाया था।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपने किसानों से संबंधित समस्या के बारे में सवाल नहीं उठाए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आपने नियम-प्रक्रिया के तहत बोल दिया है।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, वर्ष 1991 से वर्ष 2019 के बीच में एनडीए सरकार एक बार नहीं, बल्कि दो बार थी, लेकिन गांधी परिवार के ऊपर से एसपीजी कवर कभी नहीं हटाया गया।... (व्यवधान) इन लोगों को क्या हो गया है?... (व्यवधान) ... *

[अनुवाद]

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

माननीय अध्यक्ष: नहीं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष जी, इनका नोटिस एडजर्नमेंट एडजर्न्मेंट मोशन के लिए है, जो आपने खारिज कर दिया है।... (व्यवधान) इनका जीरो ऑवर का विषय नहीं है, तो यह जीरो ऑवर में विषय कैसे उठा सकते हैं ?... (व्यवधान) यह पहले नोटिस दें, फिर विषय उठाएं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री पशुपति नाथ सिंह।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने यह विषय कल भी रखा था।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप नियम-प्रक्रिया के तहत आएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री पशुपति नाथ सिंह जी।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: इन लोगों की जान खतरे में है।... (व्यवधान) सोनिया गांधी जी... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि और श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले को श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री टी. एन. प्रथापन जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री टी. एन. प्रथापन जी, क्या आप बोलना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: नहीं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती गीताबेन जी।

... (व्यवधान)... *

श्रीमती गीताबेन वी. राठवा (छोटा उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में अपने लोक सभा क्षेत्र के एक अति महत्वपूर्ण विषय को रखने जा रही हूँ... (व्यवधान) मेरी संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर की जनता अभी तक इस लाभ से वंचित है। ... (व्यवधान)

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

<u>अपराह्न 01.12 बजे</u>

[अनुवाद]

(इस समय श्री अधीर रंजन चौधरी और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

[हिन्दी]

महोदय, आज हमारा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है।... (व्यवधान) हमारी संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर में सरदार सरोवर है, जहां से नर्मदा कैनाल द्वारा गुजरात में हरियाली हो रही है तथा इसके माध्यम से यहां कुदरती हरियाली भी बहुत है।... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, केवड़िया कॉलोनी नामक स्थान पर विश्व के सबसे ऊंचे सरदार वल्लभ भाई पटेल का "स्टेच्यू आफ यूनिटी" का सन 2018 में अनावरण किया गया है। इसके बनने से यह क्षेत्र बहुत बड़ा प्रचलित पर्यटन स्थल बन चुका है।... (व्यवधान) पूरे विश्व से प्रतिदिन लगभग हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं।... (व्यवधान) विश्व का सबसे बड़ा स्टेच्यू होने के कारण यह एक दर्शनीय स्थल बन चुका है, लेकिन महोदय, यहाँ आवागमन की सुविधा के लिए अभी भी हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण आज भी हमारे क्षेत्र में स्थापित पर्यटक स्थल पर आने वाले दर्शकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।... (व्यवधान) महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करती हूँ कि यहां पर एक अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाए ताकि यहाँ देश-विदेश से जो लोग आते हैं, उन्हें आवागमन की अच्छी सुविधा मिल सके और इसके साथ-साथ हमारे क्षेत्र के भाई-बहनों को भी हवाई यात्रा का लाभ मिले और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना हैं कि हवाई चप्पल पहने वाला भी हवाई यात्रा करे, वो भी पूरा हो सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्य, आपका विषय क्या है?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरम्बुदुर): महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। कोई भी चतुर व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति इसे देखते ही चिंगारी को बुझा देगा। लेकिन सत्ता पक्ष के मेरे मित्र स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। सत्तारूढ़ दल ने इस आधार पर मैडम गांधी जी को सुरक्षा नहीं बढ़ाई है कि कोई खतरा नहीं है। यहां खतरे का अंदेशा है। ...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: जी नहीं।

अब, श्रीमती. प्रतिमा मण्डल।

...(*व्यवधान*)

श्री टी.आर. बालू: सरकार ने '14 मई की अधिसूचना' के माध्यम से जो कहा है, मैं उसे उद्धृत कर रहा हूँ। गृह मंत्रालय ने 14 मई की अधिसूचना में एल.टी.टी.ई. पर प्रतिबंध बढ़ाते हुए कहा है कि समूह ने भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए हानिकारक हिंसक और विघटनकारी गतिविधियां जारी रखीं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रतिमा मण्डल जी, क्या आप बोलना चाहती हैं?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: "यह लगातार भारत विरोधी रुख अपनाए हुए है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी बना हुआ है।" महोदय, वह एक भारतीय नागरिक है। ...(*व्यवधान*)

श्रीमती प्रतिमा मण्डल (जयनगर): महोदय, मैं ट्रांसजेंडर और तीसरे लिंग के लोगों के लिए शौचालयों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। ...(व्यवधान)

महोदय, शौचालय हमारे लिए मूलभूत आवश्यकता है। सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग सबसे आम चीजों में से एक है, लेकिन ट्रांसजेंडर और तीसरे लिंग के लोगों के लिए यह आसान नहीं है। ...(व्यवधान)

पुरुष पुरुषों के कमरे का उपयोग करते हैं, महिलाएं महिलाओं के कमरे का उपयोग करती हैं। ट्रांसजेंडर लोगों को अपने सार्वजनिक शौचालयों के चयन को लेकर गंभीर दुविधा का सामना करना पड़ता है। घूरने, छींटाकशी करने, ताने मारने और हिंसा की धमकियों से निपटना ऐसी भयानक स्थितियों का सामना करना पड़ता है जिनका वे सामना करते हैं। यह कुछ ऐसा है जो शौचालय का उपयोग करने जितना ही प्राकृतिक है। ...(व्यवधान)

2014 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को 'तीसरे लिंग' का दर्जा दिया और एक व्यक्ति को यह निर्धारित करने का अधिकार दिया कि वह किस लिंग के साथ अपनी पहचान बनाना चाहता है। फैसले में अस्पतालों सहित सार्वजनिक स्थानों पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग शौचालय का निर्देश भी शामिल था। ...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू: महोदय, आपको उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ...(*व्यवधान*) यहां तक कि आप हमें बोलने भी नहीं दे रहे हैं। ....(*व्यवधान*) इसके विरोध में, हम बाहर जा रहे हैं। ...(*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.16 बजे</u>

(इस समय श्री टी.आर. बालू और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

श्रीमती प्रतिमा मण्डल: लेकिन शायद ही सार्वजनिक रूप से हमें ऐसे शौचालय दिखते हैं और भारत में लिंग-तटस्थ शौचालय ढूंढना लगभग असंभव है। ...(व्यवधान)

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि वह आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करे ताकि हमारे देश के 4.88 लाख लोग सामान्य स्थिति और सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। धन्यवाद, महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए।

माननीय अध्यक्ष: श्री एच. वसंतकुमार - उपस्थित नहीं।

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ।

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ (काकीनाडा): अध्यक्ष महोदय, मुझे आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। (व्यवधान) यह परियोजना मेरे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: अभी आपके बोलने का मौका नहीं है। दादा, आप बैठ जाइए।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: एक महिला सदस्य बोल रही हैं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप उनके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं। माननीय सदस्य ऐसा न करें।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ: महोदय, पोलावरम सिंचाई परियोजना के संशोधित अनुमानों की मंजूरी और भुगतान की प्रतिपूर्ति आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कर दी गई है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए रु. 5103 करोड़ की प्रतिपूर्ति के अनुरोध को आंध्र प्रदेश राज्य निधि के माध्यम से पूरा किया गया है।

इसके अलावा, अनुरोध है कि रु. 16,000 करोड़ को कार्यों में तेजी लाने और भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के लिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

महोदय, यह भी अनुरोध है कि 55,548.87 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की स्वीकृति प्रदान की जाये। यह धनराशि सी.डब्ल्यू.सी द्वारा स्वीकृत कर दी गयी है. रु. 55,548.87 करोड़ में से, लगभग रु. 30,000 करोड़ राहत और पुनर्वास उद्देश्य के लिए है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि यह धनराशि तुरंत स्वीकृत की जाये।

हाल ही में, पोलावरम परियोजना के संबंध में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी गारू ने सार्वजनिक निधि बचाने के लिए एक निर्णय लिया है। विशेषज्ञ समिति की राय के बाद, मौजूदा अनुबंध समाप्त कर दिए गए और बाद में रिवर्स नीलामी प्रक्रिया आयोजित की गई। इस प्रकार, कुल अनुमानित अनुबंध मूल्य रु. 5264.35 करोड़ और कुल बचत लगभग रु.838 करोड़, कार्यों की पुनः निविदा के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं। इसमें रु. 760 करोड़ हेड वर्क्स और जलविद्युत परियोजना से और रु. 58 करोड़ सुरंग कार्यों से शामिल हैं।

मैं भारत सरकार से पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए तुरंत धनराशि जारी करने का अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद एवं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्म स्थली सिवान एवं सारण जिले में मेरा संसदीय क्षेत्र महाराजगंज है। हमारे संसदीय क्षेत्र की जनता को राज्य की राजधानी पटना आने-जाने के लिए सीधे रेल मार्ग से कोई ट्रेन नहीं है। इसलिए पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के सिवान जंक्शन से दुरौंधा, महाराजगंज, मसरख एवं छपरा कचहरी होते हुए पटना जंक्शन तक एक जोड़ी डी.एम.यू. या ई.एम.यू. ट्रेन चलाये जाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त रेल मार्ग से पटना जंक्शन तक ट्रेन चलाये जाने से हमारे संसदीय क्षेत्र सहित पूरे सारण प्रमंडल के व्यवसायियों, विद्यार्थियों, नौकरी-पेशा वाले लोगों एवं आम जनता के लिए आने-जाने में काफी सुविधा होगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से इस ट्रेन की मांग इसलिए भी करता हूँ कि पूरे सारण प्रमंडल से हजारों की तादाद में प्रतिदिन लोग पटना यानी राजकीय मुख्यालय आना-जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें काफी कठिनाई होती है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के रेल मंत्रालय से निवेदन कर रहा हूँ कि आप वहां एक जोड़ी ट्रेन डीएमयू या ईएमयू शीघ्र सिवान जंक्शन से दुरौंधा-महाराजगंज, मसरख-छपरा-कचहरी होते हुए पटना जंक्शन तक चलाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से डीबीटी का जो भी पैसा है, वह डायरेक्ट लाभार्थियों के खातों में राष्ट्रीय बैंकों में जाता है।

अध्यक्ष महोदय, ये जो राष्ट्रीय बैंक हैं, इनमें से बहुत सारे बैंक्स का दूसरे बैंक्स में विलय हो रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे राष्ट्रीयकृत बैंक्स की शाखाएं बहुत जगहों पर कम हो रही हैं। डीबीटी के लाभार्थी जब पैसे लेने बैंक्स में जाते हैं, तब उन बैंक्स में बहुत भीड़ होती है। वहां किसानों को भी कर्जा जल्दी नहीं

मिल पाता है। जो व्यापारी लोग बैंक्स में अपना व्यवहार करने जाते हैं, उनको भी वहां बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बैंक्स में पूरे कर्मचारी भी नहीं होते हैं।

इसीलिए, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि डीबीटी योजना के जो भी पैसे हैं, वे अगर हम डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में लोगों के खाते खुलवाकर भेजेंगे तो इससे छोटे-छोटे लोगों को आसानी हो जाएगी। उन लोगों को गांव में पैसे मिलेंगे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की शाखाएं गांवों में दूर-दूर तक फैली होती हैं। डीबीटी - डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पैसा अगर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजा जाएगा तो पोस्ट ऑफिस को भी काम मिलेगा और लोगों को भी सहूलियत होगी। इसेक साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंक्स में ज्यादा भीड़ होने की वजह से उनके कारोबार में जो दिक्कत आ रही है, वह भी कम हो जाएगी। मैं सरकार के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री प्रतापराव जाधव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर (नांदेड़): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र नांदेड़ में अतिवृष्टि के कारण सब किसानों की शत-प्रतिशत फसलें नष्ट हो चुकी हैं, जिसके कारण क्षेत्र के किसानों को गहरा आघात पहुंचा है। इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि किसानों के इस नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें विशेष पैकेज मुआवजे के रूप में दिया जाए, ताकि किसानों को गुजर बसर करने में मदद मिल सके। सरकार किसानों के हित में जितना जल्दी कर सके, उतना उसे किसानों को मुआवजा देने का कार्य करना चाहिए, ऐसी सरकार से मेरी मांग है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है। ... (व्यवधान) माननीय सांसदों का नाम प्रमुखता से पूरे भारत में दिखता है। ... (व्यवधान) इसके लिए आपने स्क्रीन की व्यवस्था की है। ...

(व्यवधान) मैं देख रहा हूँ कि मंत्री भी अपने स्थान पर नहीं हैं, जिससे उनका नाम भी गलत जा रहा है। ... (व्यवधान) माननीय सांसद भी अगर अपने स्थानों पर बैठकर बोलें तो उनका नाम पूरे भारतवर्ष में सही जाएगा। ... (व्यवधान) आपके माध्यम से निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है। ... (व्यवधान) इसके लिए आपको व्यवस्था देनी होगी। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं पुन: आग्रह कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी सीट से बोलेंगे तो स्क्रीन पर आपका नाम आएगा, जो आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। यह व्यवस्था पहली बार की गई है, ताकि आपका नाम आपके लोक सभा क्षेत्र में और देश के सभी हिस्सों में पहुंचे।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, माननीय सदस्य को बोलने दिया जाए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप इसके लिए धन्यवाद दीजिए कि स्क्रीन पर आपका नाम आ रहा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: रघु राम कृष्ण राजू जी।

[अनुवाद]

श्री रघु राम कृष्ण राजू (नरसापुरम): महोदय, मैं शुरू कर रहा हूँ। मेरा समय अभी शुरू होता है।

माननीय. अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूँ जो हमारी राज्य सरकार के लिए समय की मांग है। यह हमारी विभिन्न उत्पादन कंपनियों को कोयले की आपूर्ति के संबंध में है। मूल रूप से, अब हम अपने कोयले की अधिकांश मात्रा आबंटन के माध्यम से सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड से प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड से कोयले की कीमत काफी अधिक है, और एमसीएल आबंटन से कोयले की हमारी वार्षिक खपत की कीमत के बीच का अंतर लगभग रु. 2,800 करोड़ है।

हमारे माननीय. मुख्यमंत्री ने कई विकासात्मक योजनाएं शुरू की हैं। कई विकासात्मक योजनाओं के साथ-साथ हम कई कल्याणकारी योजनाएं भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम किसानों को दिन में नौ घंटे बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। बिजली बोर्डों के सभी बजटीय मुद्दों को दूर करने के लिए, हम सरकार, विशेष रूप से कोयला मंत्रालय से आग्रह करते हैं कि आबंटन को सिंगरेनी कोलियरीज से एम.सी.एल में स्थानांतरित करने पर विचार करें, जो कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी भी है। इससे हमारे राज्य, विशेषकर किसानों को काफी लाभ होगा। इसलिए, इन लाभों को देखते हुए, मैं एक बार फिर कोयला मंत्रालय से हमारे राज्य के हित में इस अनुरोध पर विचार करने का आग्रह करूंगा।

[हिन्दी]

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): अध्यक्ष महोदय, सभी जानते हैं कि नागपुर का संतरा उसके खट्टे-मीठे टेस्ट के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कहीं किन्नू है, तो कहीं कुछ और है। राजस्थान में भी किन्नू है, लेकिन नागपुर का संतरा खट्टा-मीठा होने के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और नागपुर से बड़े पैमाने पर इसका एक्सपोर्ट भी होता है। इस समय जो ज्यादा बरसात हुई है, उसके कारण उस पर कीट लगी हुई है। इस कीट के कारण आज जो परिस्थिति बनी है, उससे संतरा खत्म होने की कगार पर आ गया है। पेड़ भी सूख रहे हैं। पहले यह स्थिति थी कि इसके लिए सरकार की ओर से कुछ कीटनाशक पाउडर या खाद लेने के लिए सरकार की तरफ से 50 प्रतिशत सब्सिडी किसानों को मिलती थी। आज ऐसी स्थिति बन गई है कि ज्यादा बरसात के कारण खेती भी नेस्तनाबूद हो गई है और संतरे की भी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पहले किसानों को पाउडर लेने के लिए या सल्फेट, सल्फर वगैरह, जो कि पेड़ों पर स्प्रे किये जाते थे, को लेने के लिए जो सब्सिडी मिलती थी, वह सब्सिडी भारत सरकार की तरफ से फिर से किसानों को मिलनी चाहिए और संतरा उगाने वाले किसानों का जो नुकसान हो रहा है, उनको 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलना चाहिए, यह मेरी आपसे मांग है।

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): धन्यवाद स्पीकर सर। मेरे दिन्डोरी संसदीय क्षेत्र में करीब अस्सी हजार हेक्टेयर से भी ज्यादा खेती अंगूर की होती है। अंगूर की खेती करने में किसानों को लाखों का खर्चा उठाना पड़ता है। लगभग 5 से 6 लाख मजदूर भी इसमें काम करते हैं, लेकिन जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है और अंगूर की फसल खराब होती है तो किसानों को इंश्योरेंस के माध्यम से मदद मिलती है। बीमा का प्रीमियम भरने का टाइम हर साल 30 सितम्बर से लेकर 15 अक्तूबर तक का रहा है, लेकिन इस साल वह डिले हुआ। वह 31 अक्तूबर से 7 नवम्बर तक डिले हुआ, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही साथ वेदर स्टेशन के रिकॉर्ड से यह देखा जाता है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन हर जगह वेदर स्टेशन नहीं है। काफी जगह वेदर स्टेशन से दूर के क्षेत्रों का रिकॉर्ड सही मायनों में दर्ज नहीं होता है। इसलिए बीमा कंपनी द्वारा अंगूर के खेत में जाकर वहां पर इंस्पेक्शन करना चाहिए ताकि जो नुकसान हुआ है, वह सही मायनों दर्ज हो सके।

महोदय, इसके साथ ही अर्ली स्टेज में जो अंगूर आते हैं, उनको भी कवरेज दी जाए। कम्प्लेन करने के लिए जो टॉल फ्री नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क नहीं होता है। उस पर भी ठीक तरह से मदद मिलनी चाहिए। आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि मेरे नासिक जिले में इस साल अतिवृष्टि के कारण काफी मात्रा में अंगूर की खेती को जो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, उसके लिए जल्द ही पूरी तरह से मदद मिले, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री के. सुरेश।

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आपकी सीट स्क्रीन पर वेकेंट बता रही है और राहुल गांधी जी आज छुट्टी पर हैं, इसलिए आप अपनी सीट पर चले जाएं।

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूँ।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आज उनका प्रश्न काल में नाम था और मैं इंतजार कर रहा था कि वे आएं तो मैं उनको बोलने के लिए बुलाऊं।

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: महोदय, केरल में, 9 और 13 वर्ष की दो युवा दलित लड़कियाँ, केरल के पालक्काड़ जिले के वालयार में अपने घर में संदिग्ध परिस्थिति में मृत पाई गईं। दो नाबालिग दलित लड़कियों, जो बहनें थीं, उनके बलात्कार और मौत के मामले में आरोपी सभी चार लोगों को बरी किए जाने के बाद केरल राज्य में बड़े पैमाने पर आक्रोश पैदा हो रहा है।

13 साल की बड़ी बहन 13 जनवरी, 2017 को अपने घर में फांसी पर लटकी हुई पाई गई थी। दो महीने के भीतर, 9 साल की छोटी बहन भी 4 मार्च, 2017 को अपने घर में फांसी पर लटकी हुई पाई गई। ये दोनों अनुसूचित जाति समुदाय से थे.

महोदय, मामले को सबसे अक्षम तरीके से संभाला गया और केरल राज्य पुलिस सत्तारूढ़ सी.पी.आई. (एम) पार्टी के राजनीतिक आकाओं की धुनों पर नाच रही थी जो अपने साथियों को अपराध से बचाना चाहती थी। ...(व्यवधान)

महोदय, केरल राज्य पुलिस द्वारा किए गए हेरफेर की सीमा चौंकाने वाली है क्योंकि यहां तक कि डॉ. द्वारा संभावित हमलों के बार-बार उल्लेख को भी जांच दल द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था, जिससे पता चलता है कि मामले में जानबूझकर हेरफेर की गई थी।

महोदय, पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टरों द्वारा अतीत में एनल पेनेट्रेरेशन के कई प्रकरणों के रूप में अप्राकृतिक यौन अपराध के उल्लेख को दरकिनार करना पुलिस की चौंकाने वाली अनदेखी थी।

मामला काफी गंभीर है क्योंकि पीड़िता एक बच्ची थी और यौन उत्पीड़न के पहलू को नजरअंदाज कर दिया गया। महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे का जिक्र कर रहा हूँ। जांच में तोड़फोड़ करने की साजिश का स्पष्ट मामला है क्योंकि सी.पी.आई. (एम) नियंत्रित राज्य सरकार, अभियोजन पक्ष, राज्य पुलिस - प्रत्येक राज्य तंत्र - आरोपियों का बचाव कर रही थी।

महोदय, एफआईआर कमज़ोर थी और अभियोजन मूकदर्शक बना रहा और मामला बनाने में विफल रहा। मामले में हेरफेर करने और कमजोर करने के सभी के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप आरोपी व्यक्तियों को बरी कर दिया गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है.

केरल में बड़े पैमाने पर आक्रोश है। दलित कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता और युवा कांग्रेस, के.एस.यू, दलित कांग्रेस जैसे विपक्षी दल गरीब लड़कियों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।

बच्चों के माता-पिता की दुर्दशा को नजरअंदाज करते हुए परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. परिवार को अपने घर के पुनर्निर्माण के लिए कोई सहायता नहीं दी गई। केरल सरकार आरोपियों के साथ खड़ी है और पीड़ितों को अनदेखा कर रही है ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: यही भारत की विविधता में एकता है कि यहां पर क्या और वहां पर क्या?

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: महोदय, केरल सरकार का रवैया उदासीन है और वह अनुसूचित जाति और जनजाति की सुरक्षा के संवैधानिक आदेश को दरकिनार कर रही है। अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मामले का *स्वतः* संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। इस

भयानक अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह केरल सरकार से प्रतिवेदन मांगे और इस मामले की दोबारा जांच सी.बी.आई. से कराने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कदम उठाए।...(*व्यवधान*) यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। ...(*व्यवधान*) महोदय, राज्य के माननीय गृह मंत्री यहां बैठे हैं। ...(*व्यवधान*)।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: क्या आप सी.बी.आई. से जांच चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप फिर सोच लें कि क्या आप सी.बी.आई. से जांच चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री एम. के. राघवन, श्री के. मुरलीधरन, श्रीमती राम्या हरिदास, श्री हिबी इडन, श्री वी. के. श्रीकंदन, श्री टी. एन. प्रथापन, श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन को श्री कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ... (व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से उड्डयन मंत्री एवं भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र गढ़वाल के चमोली जिले में गोचर स्थान पर बरसों-बरसों से ... (व्यवधान) विमानन क्षेत्र का विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण करना अति आवश्यक है। ... (व्यवधान) मान्यवर, यह क्षेत्र बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 58 पर स्थिति है। ... (व्यवधान) यह क्षेत्र सैन्य एवं सामरिक दृष्टि से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर आईटीबीपी, एसएसबी और जीआरईएफ जैसी बॉर्डर फोर्स तैनात रहती हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपने जो सवाल सदन में उठाया है, वह गंभीरता से उठ गया है। इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

... (व्यवधान)

श्री तीरथ सिंह रावत: मान्यवर, सन् 1948 तक तिब्बत और भारत का एक सामरिक और औद्योगिक मेला वहां चलता था। ... (व्यवधान) वहां से कच्चे माल और यहां से पक्के माल का आदान-प्रदान चलता था। ... (व्यवधान) मान्यवर, वहां मेला लगता था। ... (व्यवधान) उसके बाद आज भी वहां कृषि एवं औद्योगिक मेला निरंतर वर्षों-वर्ष चलता है। ... (व्यवधान) बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुण्ड साहब एवं फूलों की घाटी आदि क्षेत्र उससे जुड़ा हुआ है। उसका विस्तारीकरण और आधुनिकरण आवश्यक है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के उड्डयन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वहां जल्दी से जल्दी हवाई सेवा शुरू हो, जिससे देश के पर्यटक और तीर्थाटनों को ही फायदा न हों, बल्कि वहां सैन्य बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण उनको सुविधा और आसानी हो। सन् 2013 में केदारनाथ में जो भूकंप आया था, उसके बाद वहां सेना का जो विमान उतरा था, उसी के माध्यम से केदारनाथ में इस प्रकार की बड़ी-बड़ी मशीनें गईं, जिन्होंने आपदा को पूरी तरह से ठीक किया और लोगों को उससे राहत दिलाई थी। इसलिए उस विमान सेवा का होना जरूरी है एवं आधुनिकीकरण भी आवश्यक है। वहां हवाई सेवाएं शीघ्र शुरू हों, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है।

डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): स्पीकर सर, मैं राज्यों की पुलिस फोर्स में, खास कर अफसर कैडर में अनुसूचित जाति का जो बैकलॉग है, उसके बारे में आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पूरे देश के अलग-अलग राज्यों में बहुत भारी संख्या में पुलिस फोर्स के अफसर कैडर में, अनुसूचित जाति के लोगों का जो आरक्षण होना चाहिए, उसमें कमी है और बहुत भारी बैकलॉग है। 'इंडिया जस्टिस' रिपोर्ट, 2019 के मुताबिक सारे राज्यों में यह स्थित है, परंतु मैं गुजरात और केरल राज्यों को बधाई देना चाहता हूँ कि वहां ऐसे रिक्त स्थान बहुत कम हैं।

मैं आपके माध्यम से सदन में विनती करना चाहता हूँ कि अलग-अलग राज्यों में स्पेशल ड्राइव कर के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो रिक्तियां बैकलॉग में पड़ी हैं, उनको भरा जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. किरिट पी. सोलंकी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री बी. बी. पाटील (जहीराबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे मुद्दे पर बोलना चाहता हूँ जो मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र जहीराबाद से संबंधित है। तेलंगाना में सन् 2016 से यह लंबित विषय है। मैं यहां उल्लेख करना चाहूँगा कि केन्द्रीय विद्यालय जहीरासंगम, जो मेरे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सन् 2016 से एक अस्थायी भवन में चल रहा है, जिसके कारण छात्रों को कई सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है, ईवन लैट्रीन्स और बाथरूम्स वहां नहीं होने से बहुत दिक्कतें आ रही हैं, अन्यथा वे एक स्थायी स्कूल भवन में आनंद ले रहे होते।

महोदय, स्थायी स्कूल भवन के निर्माण के लिए दस एकड़ भूमि राज्य सरकार द्वारा पहले ही प्रदान की जा चुकी है और आवश्यक धनराशि का प्रस्ताव केन्द्रीय विद्यालय संगठन में भी प्रस्तुत किया जा चुका है। लेकिन अब तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा हमारे तेलंगाना राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 10 जिलों से 32 जिलों में विभाजित किया गया है। भारत की नीति में नवगठित जिलों के लिए भी केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि केन्द्रीय विद्यालय जहीरासंगम का स्थायी स्कूल भवन का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो जाए। उसी के साथ-साथ मेरे संसदीय क्षेत्र के कामारेड्डी, मेदक जिलों के साथ तेलंगाना राज्य के सभी जिलों में केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों की जल्द स्थापना की जाए।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की नीतियों के कारण मेरा राज्य झारखण्ड कराह रहा है। एक तरफ तो वह नक्सलवाद से पीड़ित है, आतंकवाद से पीड़ित है, तो दूसरी तरफ बंगलादेशी घुसपैठियों से भी पीड़ित है। पशुपति से तिरुपति तक नक्सलवाद की जो रेखा है, उस रेखा में संथाल परगना

नक्सलवादियों का एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। चीन जिस तरह से हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहा है, यहां के कुछ लोग एवं कुछ पार्टियां जिस तरह से उसको समर्थन दे रही हैं, उसके कारण से आपको आश्चर्य होगा कि सन् 2014 में मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के पहले, हमारे झारखण्ड के 24 जिलों में से 21 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। आज वह 11 पर आ गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का, तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी का और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने नक्सलवाद पर काफी हद तक काबू पाया है। लेकिन जिस इलाके से मैं हूँ, मैं पूरे सदन के ध्यान में, संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरा जो संथाल परगना है, उसमें जितने भी जिले हैं, चाहे वह पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका और जामताड़ा है, वह साइबर क्राइम की राजधानी हो गई है। आज कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, जिसकी पुलिस हमारे संथाल परगना में रोज न आए। यह चीन की एक साजिश है, आईएसआई की एक साजिश है कि इस देश और पूरे के पूरे डिजिटल सिस्टम को खंडित-विखंडित करने के लिए, जिसको माननीय प्रधान मंत्री जी आगे बढ़ाना चाहते हैं, वह साइबर क्राइम का एक अड्डा हो गया है। इस कारण से हम कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हैं।

दूसरा, आतंकवाद में, चूँकि हमारी सीमा बंगलादेश से जुड़ती है, हमारी सीमा नेपाल से जुड़ती है, हमारी सीमा भूटान से जुड़ती है, ये सारी सीमाएं ऐसी हैं, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि काफी ओपन सिस्टम है। एक तरफ बंगलादेशी घुसपैठिया आ रहा है, दूसरी तरफ धर्मांतरण का इतना जोर है, जो चर्च और मिशनरी है, वह इस तरह की एक्टिविटी करती है, जिसके कारण हमारे बेरोजगार यूथ इस आतंकवाद में शामिल हो गए हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जो पोलिटिकल पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं, जो आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा दे रही हैं, इसके ऊपर भारत सरकार को एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि कौन से पोलिटिशियन्स इसमें हैं। दूसरा, साइबर क्राइम का अड्डा हो जाने के कारण यह पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा कारण होने वाला है। मोदी जी पूरी डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वह सभी एक बड़े स्कैम की तरफ बढ़ेगा, इसलिए एनआईए का

एक ऑफिस वहां जरूर होना चाहिए। धर्मांतरण पर एक कानून बनना चाहिए, जिसके कारण झारखंड को मुक्ति मिल पाए। इन्हीं शब्दों के साथ जयहिंद, जय भारत।

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान के एक लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा गरीब किसान, मजदूर, जरूरतमंद एवं आम लोगों के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत हर व्यक्ति को आवास मिले, छत मिले। कोई भी ऐसा व्यक्ति न हो, जिसके पास आवास न हो, जिसके पास शौचालय न हो। उसके घर में नल हो तो जल हो, इसके लिए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। अध्यक्ष महोदय, बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि बैंकों ने, हमारी राजस्थान सरकार द्वारा इस तरह की एक व्यूह रचना रची गई है, ताकि जो पात्रता रखते हैं, उन पात्र व्यक्तियों को प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ न मिले। इसके लिए वे इनकम प्रूफ के लिए आईटीआर मांगते हैं, जो उनके लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने दस्तावेजों की इतनी जटिलता खड़ी कर दी है, जिसके लिए वे 12 से 15 प्रतिशत तक ब्याज ले रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इश्योरेंस के नाम से तीन से पांच प्रतिशत तक डिमांड मांगी जा रही है। राजस्थान में जो वर्तमान सरकार है, उसके द्वारा 24 फरवरी, 2019 को ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने सारे अधिकारियों/कर्मचारियों पर दबाव डाला है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनको ही उस सूची में सम्मिलित किया जाए।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार और प्रधान मंत्री जी से निवेदन है कि उन्होंने 24 फरवरी, 2019 को ग्राम सभा में जो प्रस्ताव पास किया था, उसको निरस्त किया जाए, ताकि पात्र व्यक्तियों को आवास दिला कर उनको हक मिल सकें। यही मेरा निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती रेखा वर्मा को श्री भागीरथ चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अति लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को प्रेषित ऊर्जा बीजकों से करोड़ों रुपये का बकाया प्राप्त करना है। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जल विद्युत निगम लिमिटेड को उक्त बीजकों से प्राप्त होने वाली धनराशि से कार्मिकों के वेतन हेतु भी पैसा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड के कार्मिकों को समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है। इससे जल विद्युत कर्मियों में निराशा की स्थिति व्याप्त है। फायदे का निगम होने के बावजूद विगत कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड को घाटे का निगम दिखाकर उसे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में विलय करने की कवायद की जा रही है, ताकि उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड के अस्तित्व को समाप्त किया जा सके।

उपरोक्त कार्यवाही को तत्काल रोके जाने की आवश्यकता है ताकि देश हित में एक लाभ के निगम को घाटे के निगम में मिलाकर उसके अस्तित्व को समाप्त करने की कवायद पर विराम लग सके।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती रेखा वर्मा को श्री राम शिरोमणि द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री टी. एन. प्रथापन।

माननीय सदस्य, आपका सूची में नाम था, लेकिन मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि जब आपका सूची में नाम रहे तो आप यहाँ उपस्थित रहें। ऐसा होने से अच्छा लगेगा। सदन सभी का है। सदन आपका है।

[अनुवाद]

श्री टी. एन. प्रथापन (त्रिस्सूर): महोदय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र अपने मौलिक अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में की गई शुल्क वृद्धि को कम किया जाना चाहिए।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अधिकांश छात्र अत्यंत गरीब परिस्थितियों से आते हैं। यह अलोकतांत्रिक है कि यह सरकार सी.आर.पी.एफ. और पुलिस का उपयोग करके छात्रों की आवाज को दबा रही है। यह सरकार देश के हर उच्च शिक्षण संस्थान को बर्बाद कर रही है. चाहे वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय हो या हैदराबाद विश्वविद्यालय, यह सरकार सिर्फ संस्थानों को बर्बाद कर रही है। अगर छात्र समुदाय अपने अधिकारों के लिए सामने आ जाए तो आपका अहंकार खत्म हो जाएगा।

मैं इस सरकार से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को वापस लेने और मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा के अधिकार की रक्षा करने का अनुरोध करता हूँ। कल छात्रों पर जो अत्याचार हुआ, उसकी उच्चस्तरीय जांच निश्चित तौर पर जरूरी है. मैं आपको चिली और हांगकांग की याद दिलाता हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री टी. एन. प्रथापन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): महोदय, मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूँ कि आपने मुझे मेरे क्षेत्र के लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया है।

मैं धनबाद से आता हूँ। धनबाद को देश में कोयले की राजधानी कहा जाता है। वहाँ कई केन्द्रीय प्रतिष्ठान हैं। वहाँ इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, आईआईटी, (सीएमआरआई) सेन्ट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट

है। वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी है। वहाँ ऐसे कई प्रतिष्ठान हैं। कोलकाता और रांची के बाद धनबाद सबसे महत्वपूर्ण जगह व्यापार के लिए भी है। ऐसे स्थल पर हवाई अड्डा नहीं रहने के कारण बहुत परेशानी होती है। यहाँ सरकारी अधिकारी, कर्मचारी हैं, डीवीसी के लोग हैं, फर्टिलाइजर का मुख्यालय सिंदरी में रहने के कारण, यहाँ सभी लोगों को बहुत असुविधा होती है।

महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि वहाँ पर हवाई अड्डा बनाया जाए और हवाई सेवा शुरू की जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: मैं प्रयास करूँगा कि शून्यकाल में सभी माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गए विषय को बोलने का मौका दूँ। इसमें मेरे आपसे दो आग्रह हैं। पहला आग्रह यह है कि शून्यकाल में आप जिस विषय पर बोलना चाहते हैं, उस विषय की पूरी डिटेल आप लिखें, ताकि उससे यह पता चल सके कि वह विषय कितना गंभीर है। उस विषय की गंभीरता को देखते हुए उसे उठाने की इजाजत आपको दी जाएगी।

मेरा दूसरा आग्रह यह है कि सभी माननीय सदस्य बोल सकें, इसलिए एक-एक मिनट में अपने विषय को पूरा करें। सभी माननीय सदस्य इसकी कोशिश करें और संक्षिप्त में अपनी बात को सदन के माध्यम से कहें।

[अनुवाद]

सुश्री एस. जोतिमणि (करूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महती सभा में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मुझे सहानुभूतिपूर्ण हृदय से अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं अपने सहकर्मियों का ध्यान भी आकर्षित करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में तमिलनाडु में मनप्पराई के पास नादुकट्टुपट्टी गांव में हुई सबसे दर्दनाक और भयावह घटना को साझा करने के लिए खड़ी हुई हूँ।

दो साल का बच्चा सुजीत विल्सन बोरवेल के गड्ढे में गिर गया और कितने दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझता रहा, हमें नहीं पता, लेकिन बचाव अभियान चार दिन बाद खत्म हुआ। बेचारा बच्चा पानी,

भोजन, हवा, माँ के प्यार और देखभाल के बिना रह गया था और उस अंधेरे छेद के अंदर रो रहा था। आखिरी चीज़ जो सुनाई दी वह 'अम्मा, अम्मा' की आवाज़ थी। बाद में, हमने केवल बच्चे की कठिन साँसें सुनीं। शायद वो उनके आखिरी घंटे थे। जब भी मैं उस घटना को याद करती हूँ, मैं अब भी सिहर उठती हूँ। मैं कई दिनों तक सो नहीं पाया। एक जिम्मेदार सांसद के रूप में, मुझे परिवार को सांत्वना देने के लिए एक बहुत ही कठिन और दर्दनाक स्थिति में छोड़ दिया गया था - जाहिर है, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे - और राज्य भर में और बाहर से घटनास्थल पर इकट्ठा हुए हजारों लोगों को आशा और प्रार्थना के साथ जवाब दे रही थी कि बच्चे को बचा लिया जाएगा।

बचाव कार्य में करीब एक हजार लोगों को लगाया गया था। वहां राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया दल, अग्निशमन सेवा, जिला और पुलिस प्रशासन पूरी ताकत से तैनात थे, और एन.आई.टी और अन्ना विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञ भी मौजूद थे। ओ.एन.जी.सी और एलएंडटी भी बचाव में आए। वहाँ निजी स्वयंसेवी टीमें थीं जो अपने स्वयं के बचाव तंत्र में शामिल थीं। बाद में हमें एहसास हुआ कि हमें केवल उन्हीं पर निर्भर रहना पड़ा क्योंकि किसी भी सरकारी एजेंसी के पास उस तरह का बचाव तंत्र नहीं था। उन सभी ने चार दिनों तक दिन-रात मेहनत की। माननीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी बच्चे की सलामती के लिए प्रार्थना की. फिर इस पर पूरे राष्ट्र का ध्यान गया। ...(*व्यवधान*)

महोदय, मुझे दो मिनट और चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम इसे एक मुद्दे के रूप में महसूस नहीं करते हैं और इसी तरह ये घटनाएं घटती रहती हैं। संयोगवश , माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी यहां है। मुझे मुद्दे के महत्व को समझाने के लिए दो मिनट और चाहिए। ...(*व्यवधान*) महोदय, आपने पहले ही मुझे बिना बारी की अनुमति दे दी है, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

महोदय, तमिलनाडु और भारत के बाहर लाखों लोगों ने प्रार्थना की। इसके बावजूद, मैं इसे गहरे अपराधबोध और पीड़ा के साथ साझा करता हूँ, हम बच्चे को नहीं बचा सके, यहां तक कि उसके नाजुक

छोटे शरीर को भी नहीं। दरअसल, हम घटनास्थल पर परिवार का सामना नहीं कर सके। हमें एहसास हुआ कि बचाव अभियान के आखिरी हिस्से में हम केवल उस लड़के के क्षत-विक्षत शरीर को ही सूंघ सकते थे। परिवार और आसपास के लोगों की स्थिति देखें! यह इकलौती ऐसी घटना नहीं है। परिवार किस प्रकार के आघात, अकेलेपन और भय से गुज़रा होगा।

हालाँकि तमिलनाडु सरकार बचाव अभियान की प्रभारी थी, लेकिन वे सही समय पर आपदा प्रबंधन बल जैसे जिम्मेदार बचाव तंत्र को बुला सकते थे जब बच्चा 14 फीट पर था और गड्ढे में 27 फीट नीचे था। तब बच्चे को बचाया जा सकता था। लेकिन बचाव अभियान के दौरान बच्चा आगे 63 फीट और 87 फीट तक फिसल गया। फिर ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा कोई बचाव अभियान नहीं है। यह इकलौती ऐसी घटना नहीं है। तमिलनाडु में इसी तरह की स्थितियों में कम से कम 12 अन्य बच्चों की मौत हो गई है। एन.डी.आर.एफ के अनुसार, 2009 से देशभर में बोरवेल के गड्ढों में गिरने से 40 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है।

इस भयावह घटना के एक हफ्ते बाद, हरियाणा के हरसिंहपुरा गांव में भी ऐसी ही घटना घटी, जिसमें एन.डी.आर.एफ ने बोरवेल के छेद से एक पांच साल के बच्चे को मृत अवस्था में बाहर निकाला। मुझे डर है कि इस तरह की लापरवाही इसलिए होती है क्योंकि जो बच्चे बोरवेल या ड्रेनेज होल में गिरते हैं वे आम तौर पर गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। जाहिर है, इन लोगों के पास आवाज और प्रतिनिधित्व नहीं है। शायद यही कारण है कि देश में इस पैमाने और परिमाण की आपदाएँ होती रहती हैं। हम बिना किसी पछतावे या पछतावे के एक के बाद एक बच्चे खोते जा रहे हैं। हमारा इसरो अंतरिक्ष में रॉकेट भेज रहा है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपनी बात संक्षेप में कहिए। आपका पूरा विषय सदन के माध्यम से आ गया है और मंत्री जी को भी आपका विषय ध्यान में आ चुका है।

श्रीमती माला राय।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: हम सब इस विषय पर गंभीर हैं और यह विषय ध्यान में आ चुका है, इतना ही सदन का उपयोग होता है।

श्रीमती माला राय।

[अनुवाद]

सुश्री एस. जोतिमणि: महोदय, मैं सभा की सामूहिक चेतना से इस भयानक घटना पर पूर्ण विराम लगाने का आह्वान करती हूँ। मैं गृह मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों से भी आह्वान करता हूँ जो इसके लिए जिम्मेदार हैं कि वे अब सिस्टम बनाएं। तो, हम यही चाहते है।

धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री सप्तगिरी उलाका, श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले और श्री सु. थिरुनवुक्करासर को सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए। आप लिख कर दीजिए। इस प्रकार से आप सदन में न उठाया करें। कृपया आप बैठ जाइए। इस प्रकार से आप अपनी मर्जी से नहीं उठ जाया कीजिए। आप कागज पर कुछ लिख कर दीजिए। हम सभी को मौका देते हैं। आप अपने विषय को लिख कर दीजिए। हम सभी को मौका देंगे।

कोई भी माननीय सदस्य सदन में न उठे। अगर आपको किसी विषय को उठाना है, तो आप लिख कर दें। हम सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर देंगे। यह सदन सब का है, सब को मौका देंगे, लेकिन इसकी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: हमारे दादा ही सबसे ज्यादा बीच में उठते हैं और वह कह रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है।

[अनुवाद]

श्रीमती माला राय (कोलकाता दक्षिण): मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान प्लास्टिक और संबंधित उत्पादों के सूक्ष्म और स्थूल दोनों स्तरों के उपयोग और उनके विषाक्त प्रभावों से उत्पन्न बढ़ते पर्यावरणीय खतरे की ओर आकर्षित करना चाहूँगी, जिसके परिणामस्वरूप हर स्तर पर प्रदूषण होता है, चाहे वह वायु हो, जल हो, भूमि हो, भूजल हो या दृश्य प्रदूषण हो। पूरे भारत और उसके बाहर, प्लास्टिक कचरे ने सीवेज और जल निकासी प्रणालियों को जबरदस्त रूप से अवरुद्ध कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर स्वास्थ्य खतरे, जल जनित बीमारियाँ और महामारीएँ हो रही हैं।

हालाँकि हम मानते हैं कि तुरंत कुछ करने की ज़रूरत है, केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम वास्तविकता से बहुत दूर हैं। केवल राष्ट्रव्यापी प्लास्टिक प्रतिबंध की घोषणा करना हमेशा निरर्थक साबित होगा जब तक कि हम आम लोगों को व्यवहार्य और टिकाऊ विकल्प प्रदान नहीं करते।

वित्तीय दंड इस व्यवहारिक खतरे का कोई समाधान नहीं है। मंत्रालय से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस समस्या का अधिक गंभीरता से मूल्यांकन करें और कांच, मोम लेपित कपड़ा, रेशे का कपड़ा, लकड़ी, बांस, मिट्टी के बर्तन आदि जैसे विकल्पों के साथ आने के लिए अधिक शोध समर्पित करें। यह न केवल पर्यावरण अनुकूल होगा बल्कि आम लोगों की जरूरतों को भी पूरा करेगा।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: इस विषय पर आज डिटेल चर्चा है, जिस पर बोलने के लिए आपकी पार्टी की तरफ से उनको मौका दे दूंगा। आपका माइक चालू है। आप बोलना शुरू कीजिए। आप अपनी बात शुरू कीजिए। अगर माइक शुरू नहीं होगा, तो हम आपको पूरा समय देंगे। आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए।

[अनुवाद]

एडवोकेट डीन कुरियाकोस (इडुक्की): महोदय, यह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आप माला राय जी की सीट से बोल रहे हैं। आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए। अगर आपको सीट पता नहीं है, तो हम आपको सीट बता देंगे। अब भी आप अपनी सीट पर नहीं है। आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए।

[अनुवाद]

एडवोकेट डीन कुरियाकोस: महोदय, यह मेरी सीट है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए। माइक चालू कराने की जिम्मेदारी हमारी है। जब आप अपनी सीट पर जाएंगे, तब हम माइक चालू कराएंगे। अगर माइक चालू नहीं होगा, तो हम व्यवस्था को ठीक करेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

एडवोकेट डीन कुरियाकोस: मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम की लंबित मजदूरी के गंभीर मुद्दे पर आकर्षित करना चाहूँगा।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि यह यू.पी.ए-1 सरकार का प्रमुख कार्यक्रम था और यह हमारे देश में नंबर वन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। लेकिन पूरे भारत में, पूरे केरल में, विशेष रूप से, मेरे अपने जिले में, पिछले जून से, रु. 53.5 करोड़ बकाया है। फंड ट्रांसफर नहीं हो रहा है. यह एक विकट स्थिति है। गरीब लोग आवश्यक वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकते।

इसलिए, मैं सरकार से लंबित वेतन को तुरंत हस्तांतरित करने का आग्रह करता हूँ। नहीं तो गरीब लोगों को परेशानी होगी और ग्रामीण भारत को बहुत नुकसान होगा. इसलिए ग्रामीण विकास मंत्री को तत्काल हस्तक्षेप करना होगा। यह मेरा अनुरोध है।

<u>अपराह्न 01.00 बजे</u>

[हिन्दी]

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ऐसा मुद्दा इस सदन में रखना चाहता हूँ, अगर इस इश्यू को मैं रेज नहीं करूंगा, तो हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी मुझे माफ नहीं करेगी। 14 नवम्बर, 2019 को ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ जी तवांग गए और बीआरओ के एक पुल को इनोगरेट करने हमारे क्षेत्र आए, तो चीन आफिशियल ने प्रेस मीडिया में स्टेटमेंट नहीं दिया, आफिशियल प्रेस कान्फ्रेंस करके ऑब्जेक्शन रेज किया। ऑनरेबल प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश गए, ऑब्जेक्शन रेज हुआ, मोदी जी कैंपेन में गए, ऑब्जेक्शन रेज हुआ, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी गए, वहां प्रेस स्टेटमेंट करके ऑब्जेक्शन रेज होता है। हमारी सरकार और हमारे इस सदन की ओर से कोई एक आवाज नहीं आती है। चीन के ऑब्जेक्शन का इश्यू किसी ने नहीं रेज किया।

ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं हिंदुस्तान की मीडिया हाउस को भी यह कहना चाहूँगा कि कोई भी इश्यू पर मीडिया में फोकस नहीं होता। चीन द्वारा कितनी टेरेटरी पर कब्जा हुआ। सदन में मैं रिकार्ड में बताना चाहूँगा कि जसवंत सिंह, फार्मर मिनिस्टर एंड फार्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ऐज एन आर्मी कैप्टन की असाफिला में पोस्टिंग हुई। वह असाफिला आज चीन के कब्जे में है, ओलमाजा चीन के कब्जे में है, आतूपूपू

दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 1984-85 से उस जगह पर कब्जा है। अगर कहीं और दोकलाम होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में दोकलाम होगा। आज 50-60 किलोमीटर से ज्यादा चीन ने हमारी टेरेटरी में कब्जा करके रखा है। मैं अपनी सरकार को, इस सदन को और मीडिया हाउस को आपके माध्यम से यह रिक्वैस्ट करना चाहता हूँ कि कोई पाकिस्तान इश्यू आता है, तो अखबारों में पाकिस्तान के कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है। इंडियन टेरेटरी को अरुणाचल में चीन कब्जा करता है, लेकिन उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रानिक मीडिया में, इस सदन में और हमारे ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स का भी कोई कमेंट नहीं आता है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि दूसरा कहीं डोकलाम होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। वह दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी सरकार इस चीज पर ध्यान दे, यह मैं आग्रह करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: श्री गणेश सिंह, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री राहुल रमेश शेवाले, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे और श्री ओम पवन राजेनिंबालकर को श्री तापिर गाव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री एच. वसंतकुमार (कन्याकुमारी): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र कन्याकुमारी एक पिछड़ा क्षेत्र है और इसमें कोई बड़ा उद्योग नहीं है। हजारों युवा अपनी आजीविका के लिए विदेश में काम कर रहे हैं और उनमें से कई अच्छी नौकरी पाने की आड़ में बिचौलियों द्वारा धोखा खा जाते हैं। सच तो यह है कि न केवल मेरे कन्याकुमारी निर्वाचन क्षेत्र से बल्कि पूरे देश के बेरोजगार युवा अच्छी नौकरी पाने और पैसा कमाने का सपना लेकर विदेश जाते हैं लेकिन देखा गया है कि उन्हें परेशान किया जाता है, अपमानित किया जाता है और मजदूरी के रूप में बहुत कम रकम दी जाती है।

कन्याकुमारी के मछुआरे गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में विशेषज्ञ हैं। वे नौकरी की तलाश में दुनिया भर में यात्रा करते है। उनमें से कई लोगों के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए और उन्हें अज्ञात कारणों से

सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इसके अलावा, जब भी किसी भारतीय की विदेश में मृत्यु होती है, तो उसके पार्थिव शरीर को मूल स्थान तक ले जाने की कोई सुविधा नहीं होती है। यदि कानूनी सेवाओं की उन्हें आवश्यकता हो तो उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। उन्हें न्यूनतम वेतन और अन्य सुविधाएं दिलाने के लिए नियोक्ताओं से बात करने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हमारे देश के प्रत्येक दूतावास में विदेशों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों की मदद के लिए मुफ्त कानूनी सहायता वाला एक सुविधा केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता के लिए एक सामान्य टोल-फ्री नंबर की आवश्यकता है। मैं भारत सरकार से कन्याकुमारी के मछुआरों और रोजगार के लिए विदेश जाने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा करने का आग्रह करता हूँ क्योंकि उन्हें भारत में नौकरी नहीं मिलती है।

[हिन्दी]

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मैं और कृषि राज्य मंत्री बाड़मेर के दौरे पर थे और वहां हमारे साथ एक घटना घटित हुई जो हमारे विशेषाधिकार का हनन करती है। आप लोक सभा के अध्यक्ष पद पर विराजे हैं, नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री हैं। ऐसे में एक सांसद और केन्द्रीय मंत्री सुरक्षित नहीं है। मैंने जिन लोगों के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस दिया है उस पर आप कार्रवाई फरमाएं और समिति को सुपर्दु कराएं।

माननीय अध्यक्ष: मुझे आपके नोटिस की सूचना मिल चुकी है।

[अनुवाद]

श्रीमती परनीत कौर (पटियाला): मैं इस सभा का ध्यान उस मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र रहा है, वह है पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाने का मुद्दा।

एन.सी.आर में प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण, पंजाब के किसानों को पिछले पखवाड़े में कठोर जनमत का सामना करना पड़ा है। पंजाब के मेहनती किसान, जो हमारी हरित क्रांति के अगुआ थे और भारत को खाद्य सुरक्षा देने में सहायक थे, वे रातों-रात लगभग खलनायक में तब्दील हो गए हैं। हमारे कृतज्ञ राष्ट्र पर इन किसानों का जो कर्ज है वह अचानक भुला दिया गया है और सार्वजनिक स्मृति से मिटा दिया गया है।

वायु प्रदूषण एक बेहद गंभीर पर्यावरणीय खतरा है और राष्ट्रीय राजधानी कई हफ्तों से धुंध में डूबी हुई है। इसके लिए सावधानीपूर्वक निदान और एक सुविचारित उपचारात्मक उपाय की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से, प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर जनता के आक्रोश और उसके बाद होने वाले राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के शोर में, बयानबाजी अक्सर ठोस तर्कसंगत सोच पर हावी हो गई है।

अब समय आ गया है कि संसद निष्पक्षता से आकलन करे...

माननीय अध्यक्ष: सुश्री मिमी चक्रवर्ती।

श्रीमती परनीत कौर: महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की जरूरत है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: रूल 193 के तहत इस विषय पर डिटेल से चर्चा होगी, उस समय आप अपना विषय रखें।

[अनुवाद]

सुश्री मिमी चक्रवर्ती (जादवपुर): सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद। आज, मैं उस मुद्दे पर बोल रहा हूँ जो वास्तव में मेरे दिल को दुख पहुंचाता है और मुझे यकीन है कि यह दूसरों को भी दुख पहुंचायेगा। मैं सड़क के कुत्तों के संबंध में उचित कानून बनाने के मुद्दे पर बोल रही हूँ।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की कुछ धाराओं को छोड़कर हमारे पास सड़क पर रहने वाले कुत्तों के लिए कोई उचित कानून या अधिनियम नहीं है, जो उन्हें नियमित उपचार, टीकाकरण, दवाएं, अस्पताल में भर्ती और अन्य सहायता प्राप्त करने से पूरी तरह से कवर नहीं करता है।

इन सबके अलावा, एक और बड़ा मुद्दा, जो मेरे दिल को दुख पहुंचाता है, वह है होटलों के सुरक्षा कुत्ते दस्तों के निजी संचालकों के खिलाफ, जो 24x7 कुत्तों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इन कुत्तों की कोई उचित देखभाल नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि, इन कुत्तों को नियमित रूप से पर्याप्त भोजन और पानी नहीं मिल रहा है और बारिश, धूप और चरम मौसम की स्थिति में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।

दुर्भाग्य से अब तक हुए तमाम संशोधनों के बाद भी देश में इन कुत्तों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं बन पाया है। मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि वह नियमित निरीक्षण करे और पशु क्रूरता के खिलाफ एक सख्त कानून बनाए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे को सुश्री मिमी चक्रबर्ती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दिलीप शइकीया (मंगलदोई): अध्यक्ष महोदय, मैं असम के सेंटिमेंट से जुड़े हुए विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ। असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड भारत सरकार का पीएसयूस है। यह शुरूआत से नुमालीगढ़ रिफाइनरी प्रोफिट मेकिंग के रूप में जाना जाता है। अभी सरकार ने एक सिद्धांत लिया है। हम लोगों ने माननीय वित्त मंत्री जी का स्टेटमेंट पढ़ा, पेपर में भी छापा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी को प्राइवेटाइजेशन की ओर लेकर जा रहे हैं।

मैं भारत सरकार के सिद्धांत का सपोर्ट करता हूँ और भारत की वित्त व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए जो सरकार ने कदम उठाया है, उसका भी समर्थन करता हूँ लेकिन जिस असम एकार्ड के बाद एनआरएल की स्थापना हुई, जिसमें 855 लोग शहीद हुए, यह आंदोलन छह साल तक विदेशी घुसपैठियों के लिए चला, उसके परिणामस्वरूप एनआरएल हुआ। अभी असम के लोगों का सेंटीमेंट है, जो एनआरएल है, वह आगे आने वाले दिनों में पीएसयूज की तरह ही अपना कार्यभार संभाले, उसे प्राइवेटाइजेशन में लेकर न जाएं।

यही मेरा मुद्दा है। बीपीसीएल के शेयर प्राइवेट लोगों के लिए ओपन करेंगे, ठीक है। मेरा यही निवेदन है कि आने वाले दिनों में एनआरएल को पीएसयू के नाते ही बरकरार रखें।

[अनुवाद]

श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार (थेनी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद।

महोदय, तमिल भारत की पहली शास्त्रीय भाषा थी। केंद्र सरकार ने इसके आरंभिक ग्रंथों और 2000 वर्ष से अधिक की अवधि के दर्ज इतिहास की अत्यधिक प्राचीनता को देखते हुए वर्ष 2004 में ही इसकी घोषणा कर दी थी।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी हाल ही में मेरे राज्य तमिलनाडु की अपनी यात्रा के दौरान तमिल भाषा के बारे में अपने अनुकूल विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 'तमिल एक समृद्ध और विविध भाषा है' और इस तरह जोर देकर कहा कि तमिल सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है।

आपके माध्यम से, मैं सरकार से तमिल भाषा को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आधिकारिक भाषा घोषित करने का आग्रह करता हूँ, जिससे तमिल भाषा की सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को संरक्षित करने के लिए चल रहे काम का समर्थन करने के लिए बहुत जरूरी अंतरराष्ट्रीय धन मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज ऐसे विषय को सदन में उठा रहा हूँ जो राजस्थान के छ: करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'आयुष्मान भारत' की शुरुआत राजस्थान में अभी तक नहीं हुई है जबकि पूरा देश इसका लाभ ले रहा है। राजस्थान सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को इसका डाटा तक नहीं भेजा है। राजस्थान में पहले 'भामाशाह योजना' थी। इसकी शुरुआत राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने की थी। इस योजना का लाभ राजस्थान के गरीब लोगों, गरीब अंचलों को मिलता था, इसे भी सरकार ने बंद कर दिया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान राज्य का डाटा अभी तक केंद्र सरकार के पास नहीं पहुंचा है और इस कारण से वहां के लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है।

मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन है कि 'आयुष्मान भारत' योजना के तहत जिन राज्यों से डाटा नहीं पहुंचा है, वहां हस्तक्षेप करे और डाटा मंगाकर लोगों को योजना का लाभ दिलाएं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री सुमेधानन्द सरस्वती को श्री निहाल चंद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान भारत में दलितों के उत्थान के लिए लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जी के योगदान की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। स्वर्गीय तुकाराम भाऊराव साठे जिन्हें लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र के समाज सुधारक, लोक कवि और लेखक रहे हैं।

अण्णाभाऊ साठे जी ने मराठी भाषा में 35 उपन्यास लिखे हैं। साठे जी की लघु कथाओं के 15 संग्रह हैं, जिनमें बड़ी संख्या में कई भारतीय और 27 गैर भारतीय भाषाएं हैं, का अनुवाद किया गया है। उपन्यास और लघु कथाओं के अलावा साठे जी के नाटक 'रूस पर एक यात्रा वृत्तांत', 12 पटकथाओं और मराठी पवाड़ा शैली में दस गाथा गीत भी लिखे हैं। साठे जी ने पवाड़ा और लावणी जैसी लोक कथात्मक शैली को लोकप्रिय बनाने और उनके नाम कोकोई समुदाय में पहुंचाने में मदद की है। साठे जी ने बाबा साहेब अंबेडकर की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए दलित सक्रियता की ओर रुख किया और अपनी कहानियों का उपयोग दलितों और श्रमिकों के जीवन के अनुभव को बढ़ाने के लिए किया। इस कारण से लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जी को 1 अगस्त, 2002 को इंडिया पोस्ट द्वारा 4 रुपये का विशेष डाक टिकट इश्यू करके सम्मान के साथ याद किया गया। इसके अलावा पुणे में लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे स्मारक और कुरला में फ्लाई ओवर सहित इमारतों का नाम उनके नाम पर रखा गया।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि दलितों के उत्थान के लिए लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे द्वारा प्रदान की गई सार्वजनिक सेवा को मान्यता देने के लिए उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' प्रदान करके सम्मानित किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे और श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

डॉ. टी.आर. पेरम्बलुर (पेरम्बलुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पेरम्बलुर में कई बड़े उद्योग हैं। उन उद्योगों में हज़ारों कर्मचारी कार्यरत है। उनके सामने एक कठिनाई यह है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत कवरेज की कमी है।

पेरम्बलुर उन जिलों में से एक है जो तमिलनाडु में ई.एस.आई अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। श्रमिकों ने नियोक्ताओं और राज्य सरकार निगम को भी कई अनुरोध भेजे हैं। लेकिन उनका कहना है कि जिले को अधिसूचित करना राज्य सरकार का काम है। पेरम्बलुर में 5000 से अधिक श्रमिक हैं जिन्हें इस योजना से लाभ होगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से पेरम्बलुर जिले में तमिलनाडु सरकार द्वारा एक ई.एस.आई अस्पताल स्थापित करने की मांग करना चाहता हूँ।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह (बैरकपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहता हूँ। मैं पश्चिम बंगाल राज्य से आता हूँ। वहां संवैधानिक प्रक्रिया खतरे में हैं। जब प्राकृतिक आपदा आती है तो सभी लोग केंद्र की तरफ देखते हैं और वहां राजनीति इस तरह की है कि एमपी होने के बावजूद भी, हम लोग 18 एमपी हैं, लेकिन हम लोग एमपीलैड का पैसा भी खर्च नहीं कर पाते हैं। डीएम इसको देखते नहीं है, मिलते भी नहीं हैं, अधिकारी लोग भी नहीं मिलते हैं। हाल यहां तक है कि जब राज्यपाल महोदय जाते हैं तो अधिकारी भाग जाते हैं। पीसी भाईपो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बंगाल में इतना आंतक है कि सी.बी.आई. के अधिकारी मार खाते हैं, जेल जाते हैं, यहां तक कि रेलवे के अधिकारी भी हम लोगों से मिलने से डरते हैं, जिसके चलते हम लोग रेलवे में भी काम नहीं करा पा रहे हैं। इस तरह का वहां माहौल बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में आपके हस्तक्षेप और सरकार के हस्तक्षेप की बहुत जरूरत है। जिस स्थिति में वहां संवैधानिक अधिकारों को खतरे में डाल दिया गया है, आज हमारे पास संवैधानिक अधिकार नहीं है। हमारे बेनीवाल जी

बोल रहे कि राजस्थान में एमपी पर हमला हो रहा है, हमारे यहां तो मिनिस्टर पर भी हमला हो रहा है और एमपी पर भी हमला हो रहा है। इस प्रकार से जो वहां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सरकार चल रही है, उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ ताकि आपका हस्तक्षेप रहे और केंद्र सरकार इसको देखे। क्योंकि जब प्राकृतिक आपदा आती है, उसको केंद्र देखता है तो राजनीतिक आपदा पर भी केंद्र को देखना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री के. मुरलीधरन (वडकरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री कोडिकुन्नील सुरेश ने केरल राज्य में एक हत्या के मामले का उल्लेख किया। इस हत्या के लिए सत्ता पक्ष के लोग दोषी हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने कल केरल विधानसभा में भी कहा कि सरकारी वकील ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया इसलिए उन्हें हटा दिया गया। केरल के माननीय कानून मंत्री ने भी कहा कि जांच पूरी तरह से निराधार है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि इस मामले की सी.बी.आई जांच हो।

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे (शिरूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लोक महत्व का मामला उठाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। आपके माध्यम से, मैं इस सभा का ध्यान न केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र, बल्कि पुणे, सतारा और सांगली जैसे जिलों के ग्रामीण महाराष्ट्र के किसानों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मामला बैलगाड़ी दौड़ को लेकर है। यह एक सदियों पुरानी परंपरा है जो 400 साल से भी अधिक समय से चली आ रही है। ये दौड़ें त्योहारी सीज़न और गर्मी के मौसम में आयोजित की जाती थीं और हजारों लोग इस रोमांच और इस परंपरा को देखने के लिए इकट्ठा होते थे। जानवरों पर क्रूरता बताते हुए कोर्ट में याचिका दायर कर इन जातियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन, मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो किसान इन बैलों को पालते हैं, वे उनको अपने बच्चों से भी ज्यादा लगाव से पालते हैं। जिन बैलों का इसमें इस्तेमाल होता है, वे खिलार प्रजाति के बैल होते हैं। महाराष्ट्र के जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर खिलार प्रजाति के बैलों की पैदाइश होती है। खिलाड़ जाति की गायों में दूध की मात्रा कम होती है, इसलिए मुख्य मुद्दा इन रेसिंग बैलों की उपज का है। लेकिन रेसिंग पर बैन होने की वजह से इन

बैलों को बड़ी तादाद में स्लॉटर हाउसेज में भेजा जा रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मेरा कहना है कि यह एक बहुत बड़ा ग्रामीण इकोनोमी को बूस्ट करने वाला मुद्दा हो सकता है, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसलिए इस सदन से मेरी दरख्वास्त है कि संबंधित प्राधिकारी को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और इन बैल दौड़ों को फिर से शुरू करना चाहिए जैसा कि उन्होंने *जल्लीकट्टू* के लिए किया था और इस परंपरा का संरक्षण करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सौमित्र खान (बिशनुपुर): सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।

सर, बंगाल से आने वाले हम **18** सांसदों को लग रहा है कि हम लोग भारत में हैं या किसी दूसरे देश में हैं, क्योंकि जैसे प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि देश के हर स्टेट में मिलती है, आयुष्मान भारत योजना हर स्टेट में हर आदमी को मिलती है और मेरे क्षेत्र बिशनुपुर में किसानों की आबादी सात लाख है, सात लाख परिवार किसानों के हैं, लेकिन उनको प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पर सिर्फ ... *का राज चलता है। उससे भी बड़ी बात है कि वह पैसा डायरेक्ट फार्मर्स को जा रहा है, आयुष्मान भारत का लाभ डायरेक्ट उस आदमी के पास जाता है, इसलिए वे उसे बन्द कर देते हैं, क्यों कि वह पैसा राज्य सरकार से होकर नहीं जाता है, वह डायरेक्ट लोगों के बैंक खाते में जाएगा। वे उसमें दुर्विर्धि नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसे बन्द करके रखा है। मेरी यही विनती है कि हम 18 सांसद भी भारत के सांसद हैं, इसलिए कम से कम हमारे क्षेत्र में जो किसान हैं, उनका पैसा डायरेक्ट जाए। इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मारगनी भरत (राजामुन्दरी): महोदय, मुझे पता है कि हम प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर नियम 193 के तहत चर्चा करने जा रहे हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सदन को तीन सुझाव देना चाहता हूँ। अब दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति हम सभी जानते हैं। महोदय, मेरे सहयोगी नियम 193 के तहत चर्चा पर बोलने जा रहे हैं लेकिन मैं इस विषय पर तीन सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के बाद भारत सरकार कंक्रीट स्लैब की जगह सोलर छत की शुरुआत कर सकती है, जिससे हम नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देंगे। हम प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत वर्टिकल गार्डनिंग भी शुरू कर सकते हैं। सरकार खरीद के समय शून्य प्रतिशत जी.एस.टी के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना शुरू कर सकती है। शो रूम कीमत पर 20 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जा सकती है ताकि सभी मध्यम वर्ग के लोगों को उन वाहनों को खरीदने की खुली छूट मिल सके।

आखिरकार, चीन ने अब दुनिया का सबसे बड़ा एयर प्यूरीफायर बनाना शुरू कर दिया है जो एंटी-स्मॉग टॉवर के साथ 328 फीट लंबा है। इससे प्रतिदिन दस घन मीटर ताजी हवा का उत्पादन होगा। हम भारत की राजधानी दिल्ली से पूरी दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं? ....*(व्यवधान)* माननीय प्रधानमंत्री को भारत में ऐसा टावर बनाने की पहल करनी चाहिए।

*__श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर):__ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। शुरुआत में, मैं श्री करतारपुर साहिब में गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती मनाने के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारी 72 वर्षों की लंबे समय से लंबित मांग को साकार करने में हमारी मदद की। मैं इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मैं हमारे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह को इसे संभव बनाने के उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा, मैं हमारी लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने की अनुमति देने के लिए पाकिस्तान सरकार को

* मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

धन्यवाद देता हूँ। महोदय, मैं सरकार से इस उद्देश्य के लिए पासपोर्ट की मांग को समाप्त करने का आग्रह करता हूँ। आधार कार्ड को उद्देश्य पूरा करना चाहिए। साथ ही 20 डॉलर की फीस भी खत्म की जानी चाहिए. अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि 16वीं संसद की विदेश मामलों संबंधी समिति ने 2017-18 में सिफारिश की थी कि करतारपुर कॉरिडोर सिख तीर्थयात्रियों के लिए खोला जाए।

महोदय, विषय पर वापस आते हुए, बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान के साथ हमारे व्यापार संबंधों में काफी गिरावट आई है। दोनों देशों के बीच व्यापार बंद होने से 5000 कुली सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं और 10,000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि दोनों देशों के बीच व्यापार जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इसे निलंबित करने से पहले दोनों देशों के बीच 1500 करोड़ रुपये का व्यापार किया गया था। इस व्यापार पर निर्भर लोगों को अपना गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए, मैं सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने और भारत-पाक व्यापार को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने का आग्रह करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको इस उदारता के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो लोग वेल में आते हैं, उन्हें भी आप बोलने का मौका देते हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिला है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सतना लोक सभा क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश के सभी किसानों का मामला आपके माध्यम से यहां रखना चाहता हूँ। अभी प्राकृतिक आपदा में उड़द की फसल, मूंग की फसल, तिल की फसल, सोयाबीन की पूरी फसलें बर्बाद हो गईं और धान की फसल में 'कंडो' नाम की एक बीमारी लग गई, जिससे पूरे प्रदेश की फसल को नुकसान हुआ है। यह दुर्भाग्य की बात कि राज्य सरकार ने एक पैसा देना तो दूर की बात, आज तक उसका सर्वे तक नहीं कराया है और प्रधान मंत्री जी की किसानों को जो सम्मान निधि

जाती है, उसमें नाम तक नहीं भेजा है। राज्य सरकार द्वारा यह पक्षपात वहां के किसानों से किया जा रहा है। पिछले साल किसानों को बोनस का पैसा नहीं दिया, जो अतिवृष्टि से किसानों एवं गरीबों के घरों को नुकसान हुआ उसका पैसा नहीं मिला और जितनी भी जनकल्याणकारी योजनाएं पिछली सरकार की चल रही थीं, वे सभी लगभग बंद कर दी हैं। किसानों के सभी पुराने धान खरीदी केंद्र बंद कर दिए गए। अब किसानों को 50-60 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तब धान की बिक्री हो पाएगी। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के कृषि मंत्री जी और गृह मंत्री जी से मांग करता हूँ कि इस बारे में तत्काल दखल दें। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि मंडल वहां गया था, उन्होंने जांच भी की, लेकिन आज तक राज्य सरकार ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है।

मैं आपके माध्यम से पुन: मांग करता हूँ कि तत्काल मध्य प्रदेश के किसानों के साथ राज्य सरकार न्याय करे।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती रेखा वर्मा को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर महत्व का मामला उठाना चाहता हूँ जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने ब्राजील का प्रवास किया।

ब्राजील में सरकार बदलने के बावजूद उसने ब्रिक्स के साथ बने रहने का फैसला किया है। वह वास्तव में दुनिया के लिए एक आश्चर्य था। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है। अत्यंत विविध, भौगोलिक और बिखरे हुए समूह के प्रत्येक सदस्य में आंतरिक विरोधाभास होते हैं जिन्हें आसानी से दूर नहीं किया जा सकता है। भारत और चीन के बीच घोर विरोधाभास है। यह रूस ही था जिसने इस मंच को विकसित करने और इसे बनाए रखने में मदद की। रूसी उद्देश्य 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद एकध्रुवीय क्षण में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अंतरराष्ट्रीय विरोध खड़ा करना था।

जैसे-जैसे 21वीं सदी में चीन का उदय हुआ, उसने दुनिया पर अमेरिकी प्रभुत्व से लड़ने में रूस के साथ बहुत कुछ साझा किया। चीन ने ब्रिक्स को वैश्विक आर्थिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए एक उपयोगी मंच भी पाया। यह दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के अनुरूप है। रूस और चीन दोनों के लिए, तीन बड़े विकासशील देशों - भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका - को अपने उद्यम में भागीदार बनाना एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दे के रूप में उभरकर सामने आता है।

लेकिन इससे भारत को क्या फायदा? ब्रिक्स की घोषित नीतियों के साथ तालमेल बिठाने में हमारी रुचि कैसी है? बहुपक्षीय क्षेत्र में भारत की कई समस्याएं चीन के विरोध में निहित हैं। इसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने के हमारे प्रयासों को रोक दिया। इसने पाकिस्तान में पनाह पा रहे चरमपंथियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी रोक दी। दिल्ली का सबसे बड़ा व्यापार घाटा चीन के साथ है। भारत ने आर.सी.ई.पी. में शामिल नहीं होने के पीछे चीन के आर्थिक खतरे का हवाला दिया है।

आतंकवाद का मुकाबला करने के मामले में चीन इस समस्या को पाकिस्तानी चश्मे से देखता है।

ब्रिक्स के साथ शक्ति का गहरा असंतुलन है। चीन की अर्थव्यवस्था बाकी चारों अर्थव्यवस्थाओं से दोगुनी बड़ी है। ब्रिक्स का हिस्सा बनने से भारत को क्या हासिल होगा? क्या सरकार जवाब देगी?

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री सप्तगिरी उलाका को श्री बी. महताब द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रो. सौगत राय (दमदम): अध्यक्ष जी, आप हाउस में लोकतांत्रिक ढांचे के तहत सभी दलों के सदस्यों को बोलने का मौका देते हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। हम जानते हैं कि जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली देश के अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक है। सारे हिंदुस्तान से अच्छे-अच्छे विद्यार्थी, जो गरीब घर के होते हैं, वे यहां

पढ़ने के लिए आते हैं , लेकिन जेएनयू ऑथोरिटीज ने वहां की हॉस्टल फीस बढ़ा दी है। इसके खिलाफ वहां के विद्यार्थी ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रोफेसर साहब, यह भी जनता को बताओ कि कितनी फीस लगती थी और कितनी बढ़ाई है?

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: पहले दस रुपये थी। अब 300 रुपये हो गयी है। हॉस्टल फीस भी बढ़ गई है। ... (व्यवधान) हमारे देश में उच्च शिक्षा की नीति है कि उच्च शिक्षा सरकारी खर्चे से होगी क्योंकि हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में विद्यार्थी आगे बढ़ें। लेकिन इसके पहले उन लोगों ने एक बार हमारे एचआरडी मिनिस्टर के खिलाफ यूनिवर्सिटी के पास प्रदर्शन किया था। ... (व्यवधान) कल जब ये विद्यार्थी जिनमें पुरुष और महिलाएं थीं, उन्होंने एक जुलूस निकाला, उस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसमें बहुत लोग घायल हुए। मैं इसकी निन्दा करता हूँ।... (व्यवधान) यह दुखद घटना है कि हमारी सरकार ... (व्यवधान)

श्री अनुराग शर्मा (झाँसी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बड़े गर्व से मैं कुछ पंक्तियां दोहराना चाहूँगा।

"दूर फिरंगी को करने की मन में सबने ठानी थी, चमक उठी सन् 57 में वो तलवार पुरानी थी।

बुन्देले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।"

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा क्योंकि सारा अनुरोध आपसे ही है। आज झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई जी की जयन्ती है। मैं एक भारतीय होने के नाते और झांसी और ललितपुर का सांसद होने के नाते आपसे यह अनुरोध करना चाह रहा था ... [4*] वर्ष 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसमें तीन वीरांगनाओं ने हिस्सा लिया था और अपने जीवन का बलिदान किया था। इसमें सबसे पहला नाम जो आता है, वह है हमारी महारानी लक्ष्मीबाई जी, जो

[4*]कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

झांसी से थीं और उनकी साथी वीरांगना झलकारीबाई तथा रामगढ़ की रानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी। महारानी लक्ष्मीबाई जी जिनका नाम मणिकर्णिका था और प्यार से उनको सब मनु कहते थे, महारानी शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही बहुत काबिल थीं क्योंकि ब्रिटिश ने उनकी झांसी को लेना चाहा तो रानी ने उनके खिलाफ ही युद्ध छेड़ दिया था। ... (व्यवधान) महारानी ने अपनी जान दी और ब्रिटिशर्स से लड़ते हुए ग्वालियर के नीचे एक जगह पर उनके जीवन का अंत हुआ। उसके बाद वहीं पर हमारे यहां एक झलकारी बाई थीं जो महारानी की बहुत महत्वपूर्ण योद्धा थीं। झलकारी बाई भी वीरांगना हुईं। यह झांसी के पास एक भोजला गांव से आती थीं क्योंकि उनकी मां की मृत्यु बचपन में ही हो गयी थी। इसलिए झलकारी वीरांगना को उनके पिता ने ही पाला-पोसा। झलकारीबाई एक लड़के की तरह बड़ी हुईं और सारे शास्त्र में उनको एक ट्रेनिंग मिली और उन्होंने रानी के दुर्गादल को ज्वाइन किया। वह रानी की हमशक्ल थी, तो उसे ब्रिटिशर्स उनको गलती से पकड़ कर ले गए और रानी को झांसी छोड़ कर ग्वालियर से ब्रिटिशर्स से लड़ने का एक मौका मिला। इन सभी की ... *कहीं भी नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया आप बैठ जाइए।

मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि संसद के मामले की चर्चा कभी भी सदन में नहीं होती है। इन सारे विषयों पर आप लिख कर दे दें। इसके लिए एक समिति बनी हुई है। उस समिति की एक प्रक्रिया होती है। आप हिन्दुस्तान के किसी कोने की चर्चा यहां करें, लेकिन संसद की चर्चा न करें। मैं यह माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ।

... (<u>व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यह विषय ही नहीं उठना चाहिए। आप सीनियर व्यक्ति हैं।

माननीय सदस्यगण, संविधान, प्रक्रिया, नियमों को एक बार फिर से पढ़ें। यह मेरा आग्रह है।

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अनुराग शर्मा: सर, मैं लिख कर दे देता हूँ।

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देना चाहता हूँ और संसद को भी जानकारी देना चाहता हूँ। मैं लोक सभा संसदीय क्षेत्र बलिया से सांसद चुना गया हूँ। मैं पहले भदोही से सांसद चुना जाता था। बलिया, लोक सभा क्षेत्र पूरे गंगा, घाघरा और एशिया का सबसे बड़ा झील, सुरहा ताल से पूरा घिरा हुआ है। इस साल बाढ़ के मौसम में, पिछले महीने भारी मात्रा में कटान हुआ है। हमारे लोक सभा क्षेत्र के विधान सभा बैरिया क्षेत्र के गांव के साथ कई अन्य गांव उसमें गिर गए, कई स्कूल और मंदिर उसमें गिर गए। जय प्रकाश नारायण जी का गांव मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। घाघरा नदी कटान उनके नजदीक तक आया, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे बचाने की कोशिश की। मोहम्मदाबाद विधान सभा का शेरपुर गांव ऐतिहासिक गांव है, देश का बड़ा गांव है, वहां कटान लगा हुआ है। नैशनल हाइवे हमारे क्षेत्र से गुजरता है और नैशनल हाइवे का एक बहुत बड़ा पुल कटहर नाला पर गिर गया है। वहां के जिला प्रशासन के साथ मिल कर मैंने उसके लिए प्रयास किया है। वहां के जिलाधिकारी ने नैशनल हाइवे के चेयरमैन को बताया है कि उस पुल के गिर जाने से पानी का बहाव रुक गया है। भारी मात्रा में सुरहा ताल के पानी के जमाव से किसानों की खेती मारी गई है। बाढ़ और कटान से किसानों को भारी नुकसान हुआ है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार की टीम गई थी। अगर वहां जल्दी स्थायी तौर पर कटान रोकने का प्रयास शुरू हो जाता तो बड़ी कृपा होती। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उस डूबे हुए क्षेत्र, कटान को देख चुके हैं। मैं यही निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष:श्रीमती रेखा वर्मा को श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गिरीश चन्द्र जी। मुलायम सिंह जी भी आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं।

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को इंटरमीडिएट के उपरांत उच्चतर कक्षाओं में पठन-पाठन से रोकने के अनुचित कदम के बारे में आपके समक्ष बताना चाहूँगा। पूर्व में उच्चतर कक्षाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों को उत्तीर्ण होने के उपरान्त छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति मिलती रही है, जिसमें किसी भी अंक प्रतिशत की बाध्यता नहीं रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार अब अनिवार्य रूप से 60 प्रतिशत अंक सहित इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण होने वाले छात्र को ही छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति देने का निर्णय लिया है, जो गरीब व मजलूम छात्रों के प्रति एक नकारात्मक कदम है या उनको उच्च शिक्षा लेने से वंचित करने का फैसला है। ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बहुत छात्र हैं, जो इंटरमीडिएट में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन कम अंक लाने के बाद भी उच्चतर कक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने का काम करते हैं। मेरा विश्वास है कि इस गंभीर विषय पर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो इस प्रकार के भेदभावपूर्ण फैसले से गरीब परिवार के बच्चे उच्च शिक्षा लेने से ने केवल वंचित होंगे बल्कि राष्ट्र की मुख्य धारा से, विकास में नहीं जुड़ पाएंगे, साथ ही बेरोजगारों की भी गंभीर समस्या उत्पन्न होगी।

अत: मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के साथ उपेक्षापूर्ण निर्णय को वापस लेने की मांग रखता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा को श्री गिरीश चन्द्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुरेश पुजारी (बारगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, आज मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका मिला है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मेरा जो विषय है, वह क्रॉप इंश्योरेंस के पेमेंट से संबंधित है। ओडिशा में आज किसान रास्ते पर बैठे हुए हैं। वहाँ इस समय प्रोक्योरमेंट चल रहा है। पिछले साल का कम्पेनसेशन अभी तक उनको नहीं

मिला है। श्री अटल बिहारी वाजपेई जी जब प्रधान मंत्री थे, उस समय यह स्कीम शुरू हुई थी। श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद किसानों तक मुआवजे की धनराशि पहुँचाने के लिए उसमें सरलीकरण किया गया। लेकिन क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मिलने के बाद, उसमें जितना डैमेज का एसेसमेंट हुआ है, उसे इंश्योरेंस कम्पनियाँ मानने को तैयार नहीं है।

ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी हो या रिलायंस इंश्योरेंस कम्पनी हो, जो लोग ओडिशा में काम कर रहे हैं, उनका एसेसमेंट एक तरफ है और उनका पेमेंट एक तरफ है। मुझे लगता है कि इंश्योरेंस कम्पनियों के कारण क्रॉप इंश्योरेंस एक्ट पूरी तरह से डिरेल होने लगा है।

मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूँ और मेरा निवेदन भी है कि एक दिशा-निर्देश दिया जाए कि जैसे मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल में कोई भी एक्सीडेंट से संबंधित केस कर सकता है, मुझे लगता है कि इसका प्रावधान भी इसमें किया जाना चाहिए ताकि किसानों को उनका मुआवजा मिल सके।

[अनुवाद]

आपसे विनती है कि केंद्र सरकार को डायरेक्शन दिया जाए ताकि केंद्र सरकार ओडिशा के किसानों को मुआवजे के भुगतान के लिए राज्य सरकार के साथ-साथ बीमा कंपनी के साथ इस मामले को उठाए।

श्री एम.के. राघवन (कोझिकोड): महोदय, मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र कोझिकोड में केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 की संरचनात्मक असुरक्षितता से संबंधित सार्वजनिक महत्व का एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ।

केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 की स्थापना 1965 में कोझिकोड, केरल में हुई थी और अब यह पाँच एकड़ के भूखंड में स्थित है। यह केंद्रीय विद्यालय संख्या 1, कोझिकोड में मौजूदा पुराने विद्यालय भवन की संरचनात्मक असुरक्षा को देखते हुए एक नए भवन के निर्माण के संबंध में है। यह पिछले दो साल से लंबित है.

यह समझा जाता है कि सी.पी.डब्ल्यू.डी ने पहले ही प्रस्ताव और प्रारंभिक योजना प्रस्तुत कर दी है, और आवश्यक एस .एफ.सी अनुमोदन की प्रतीक्षा है। मौजूदा शिफ्ट प्रणाली से छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

उसी के मद्देनजर, मैं अनुरोध करूंगा कि एस.एफ.सी और कैबिनेट की मंजूरी जल्द दी जाए ताकि काम जल्द से जल्द शुरू हो सके।

धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

डॉ. सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

बंगाल बहुत पहले से ही शिक्षा और शिक्षक को सम्मान देता रहा है। डॉ. सौगत राय जी वहाँ रहते हैं। हम भी उनका रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वे एक प्रोफेसर हैं। मैं भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ।

आज बंगाल में शिक्षकों की हालत बहुत ही खराब है। आज जब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, तो कोलकाता में शिक्षा भवन के बाहर पैरा टीचर्स अनशन पर बैठे हैं। वे सलाइन लेने से भी डेक्लाइन कर चुके हैं और जब वे मरेंगे, तो अपनी देह भी दान कर देंगे।

केन्द्र सरकार पैरा टीचर्स को प्राइमरी कक्षा तक 15 हजार रुपये देती है और उसके ऊपर 20 हजार रुपये देती है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा पैरा टीचर्स को पूरी धनराशि नहीं दी जाती है। वहाँ से पैसे लेकर उसका इस्तेमाल दूसरे कार्यों में किया जाता है, जैसे स्कूलों में बैग और चप्पल देने के लिए आदि। इसके पहले भी, जो पीजीटी और टीजीटी टीचर्स थे, वे अनशन पर बैठे थे।

सौगत दादा अभी जेएनयू में छात्रों पर लाठी चार्ज के बारे में बात कर रहे थे। मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि बंगाल में जब कोई टीचर अनशन पर बैठता है, तो वहाँ पर लाइट ऑफ कर दी जाती है और पुलिस एवं मीडिया को वहाँ से हटाकर उनके ऊपर लाठी चार्ज की जाती है।

बंगाल में एक कहावत है- "चलुन खोंजे सुचेर फूटो।"

अगर इंग्लिश में इसका तज़ुर्मा करें, तो इसका मतलब है- छलनी खोज रही है सुई का छेद। इसलिए हमारे यहाँ शिक्षकों की बहुत ही खराब हालत है। केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और शिक्षकों के सम्मान को बचाए।

[अनुवाद]

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती (अनकापल्ले): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं मशीनीकृत खेती के संबंध में एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ क्योंकि आंध्र प्रदेश में लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्र में किसान कृषि पर ही निर्भर हैं।

मैं सभा का ध्यान हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे जय जवान, जय किसान की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। इस संदर्भ में, मेरे राज्य आंध्र प्रदेश में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जगनमोहन रेड्डी गारु ने हाल ही में रायथु भरोसा - पीएम किसान कार्यक्रम शुरू किया जिसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित धनराशि रु. 6000 और राज्य सरकार की ओर से रु. 7,500 किसानों को निवेश लाभ के रूप में दिया जाएगा। वे बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें निवेश के तौर पर मौका मिल रहा है।

आज प्रश्नकाल में हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री द्वारा मशीनीकृत खेती के बारे में इतनी सारी जानकारी दी गई। राज्य में, हमने एक नई और अभिनव अवधारणा शुरू की है - ग्राम सचिवालय, जिसमें कृषि क्षेत्र के अधिकारियों की नियुक्ति की गई। लगभग 1.6 लाख युवाओं को नियुक्त किया गया था। हमारे राज्य में ये सभी विकासात्मक कार्य चल रहे हैं। इस संदर्भ में, मशीनीकृत खेती को बढ़ावा देने के लिए, ग्राम सचिवालय

स्तर पर संयुक्त हार्वेस्टर, स्प्रेयर, ट्रैक्टर और ड्रम सीडर केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे किसानों को बहुत लाभ होगा।

[हिन्दी]

डॉ. रामशंकर कठेरिया (इटावा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं यमुना नदी के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ। मेरा लोक सभा क्षेत्र इटावा है। इटावा लोक सभा क्षेत्र में कानपुर देहात में एक विधान सभा है - सिकन्दरा। इस सिकन्दरा विधान सभा में वर्ष 2009 और वर्ष 2010 में यमुना नदी पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से लगभग 53 करोड़ रुपये की लागत से एक पुल का निर्माण प्रस्तावित हुआ था। इसके लिए शासन द्वारा 49 करोड़ रुपये की स्वीकृति हुई, जिसके आधार पर उस यमुना नदी पर लगभग 29 पिलर्स बनकर वह पुल तैयार हुआ। बाद में आईआईटी, कानपुर के इंजीनियरों ने उस पुल को और आगे बढ़ाने के लिए पांच पिलर्स और प्रस्तावित किए।

महोदय, वे पांच पिलर्स न बनने के कारण यमुना नदी पर बना हुआ वह पुल अधूरा है। बड़ी संख्या में कानुपर और जालौन का जो संबंध है, वहां लोग नाव से जाते हैं। जब यमुना में पानी बढ़ता है तो नाव में जाने के कारण उन्हें बड़ी भारी समस्या होती है। जो लोग कार से जाते हैं, वे 50 किलोमीटर दूर से यमुना को पार करते हैं।

मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से उस अधूरे पुल को पूरा करने का अनुरोध करता हूँ। उस पुल पर मात्र पांच पिलर्स बनने हैं। इन पांच पिलर्स को शीघ्र बनवाया जाए, जिससे वह पुल प्रारंभ हो सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. (धर्मपुरी): वण्क्कम (नमस्कार) अध्यक्ष महोदय।

हाल ही में, ...* ने हमारे समाज सुधारवादी *थांथाई* पेरियार को ...*

महोदय, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। *थांथाई* पेरियार एक सामाजिक सुधारवादी रहे हैं और उन्होंने सामाजिक न्याय, सामाजिक सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता लाई है। हम नहीं चाहते कि लोग तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करें और हमारे नेता थिरु स्टालिन*अवार्कल* ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और हम इस सभा को सूचित करना चाहते हैं कि *थांथाई* पेरियार इतने महान व्यक्ति रहे हैं और उनके खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है *... (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया)* को हल्के में नहीं लिया जाएगा। महोदय, हम आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि लोगों को तथ्यों को विकृत करने और महान सुधारवादी की छवि को विकृत करने वाले बयान जारी नहीं करने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण पाल सिंह यादव (गुना): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गुना के अशोक नगर, शिवपुरी जिले में हाल में हुई अतिवृष्टि से आई बाढ़ के कारण सम्माननीय अन्नदाताओं को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। बाढ़ के कारण किसानों की शत-प्रतिशत फसल को नुकसान हो गया है।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत उड़द व सोयाबीन की खेती बड़ी मात्रा में होती है, लेकिन बाढ़ से फसल नुकसान के कारण वहां के किसानों को बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, सम्माननीय अन्नदाताओं को संकट की इस घड़ी से उबारने के लिए उन्हें मुआवजा दिलाए जाने की महती आवश्यकता परिलक्षित होती है। अत: मेरा आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए किसानों को मुआवजा दिलाने के समुचित कदम उठाने की कृपा करें। धन्यवाद।

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री राजमोहन उन्नीथन (कासरगोड): अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2008 में केरल के कासरगोड जिले के सीतांगोली में अपनी स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री के उद्घाटन के साथ केरल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री ए. के. एन्टोनी ने कहा था कि रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री के दूसरे चरण का काम जल्द ही शुरू होगा।

उन्होंने कहा था कि अधिकारियों को दूसरे चरण के काम में तेजी लाने को कहा गया है. इसकी परिकल्पना सुखोई के साथ-साथ जगुआर विमानों के लिए एवियोनिक्स सिस्टम के उत्पादन में मदद करने के लिए की गई थी।

तत्कालीन सचिव (रक्षा उत्पादन) ने कहा था कि देश 70 प्रतिशत रक्षा जरूरतों को स्वदेशी रूप से पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। इस दिशा में तकनीकी सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए बड़ी संख्या में नये तकनीकी प्लेटफॉर्म की जरूरत है. इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में केरल में एच.ए.एल. की फैक्ट्री की योजना बनाई गई थी। इस कारखाने में, सू-30, एल.सी.ए. और मिग-27 के उन्नयन के लिए मिशन कंप्यूटर, डिस्प्ले प्रोसेसर, रडार कंप्यूटर और ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर और मिशन कंप्यूटर जैसे विशेष उद्देश्य वाले हवाई कंप्यूटरों का उत्पादन किया जा रहा था।

कासरगोड को पर्याप्त भूमि, बिजली, पानी और बेहतर रसद सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर सूचीबद्ध किया गया था। केरल सरकार ने इकाई स्थापित करने के लिए 196 एकड़ जमीन आबंटित की है।

सात इमारतें उत्पादन, प्रशासन, तकनीकी सेवाओं, सामग्री प्रबंधन, सुरक्षा और सरकारी एजेंसियों जैसी गतिविधियों के लिए समर्पित हैं। लेकिन कासरगोड जिले के सीतांगोली में एच.ए.एल की स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री फिलहाल बेकार पड़ी है और वहां कोई उत्पादन गतिविधि नहीं चल रही है। इसलिए, कारखाने में उत्पादन फिर से शुरू करने और कासरगोड में कारखाने के भौतिक बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*__श्री के. नवासखनी (रामनाथपुरम):__ माननीय अध्यक्ष महोदय। वणक्कम। मुझे यह मौका देने के लिए धन्यवाद। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में पंबन के कुंथुकल में मछली पकड़ने के बंदरगाह का निर्माण कार्य जोरों पर है। जैसे इस मछली पकड़ने के बंदरगाह के निर्माण कार्य के लिए समुद्र के किनारे से ली गई रेत का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए मछुआरे ऐसे भवनों के निर्माण रचना के जीवन और गुणवत्ता के बारे में चिंतित हैं। रामेश्वरम और मूकैयूर में बने मछली पकड़ने के बंदरगाह चालू नहीं हुए हैं। चूंकि काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इन बंदरगाहों को हमारे मछुआरों को लाभ पहुंचाने के लिए उपयोग में नहीं रखा गया है। रमानाथपुरम के उपपुर में थर्मल पावर प्लांट से संबंधित परियोजना कार्य किया जा रहा है। चूंकि समुद्र के बीच में एक पुल का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए मछुआरे अपनी नौकाओं का उपयोग करके मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए समुद्र में नहीं जा सकते हैं। उपपुर थर्मल पावर प्लांट से छोड़ा गया गर्म अपशिष्ट पानी मछली पकड़ने के संसाधनों को प्रभावित करने वाले समुद्र में शामिल हो जाता है। इस क्षेत्र के मछुआरे खतरे में हैं क्योंकि उनकी आजीविका प्रभावित होगी। भारत सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि मछुआरों का जीवन प्रभावित नहीं होगा। इस क्षेत्र के मछुआरे अपनी जान बचाने के लिए विरोध में हैं, अगर मछुआरों की जान और आजीविका को कोई खतरा है तो सरकार को उपपुर ताप विद्युत परियोजना को लागू करना बंद कर देना चाहिए। जैसे इस परियोजना के लिए पूरी तरह से भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है, इसलिए किसानों को इस संबंध में भूमि अधिग्रहण के लिए माननीय अदालतों से स्थगन मिला है। यदि परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का पूर्ण अधिग्रहण नहीं किया गया है, तो परियोजना का कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, बिजली पैदा नहीं की जा सकती है। चूंकि भूमि अधिग्रहण का काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए एक आशंका है कि कई करोड़ रुपये के परियोजना कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इस क्षेत्र के लोगों एवं मछुआरों के मन में व्याप्त आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किए जाएं अन्यथा इस परियोजना को समाप्त किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

---

* मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[हिन्दी]

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

महोदय, मैं आपके सामने जो समस्या रख रहा हूँ, यह केवलमात्र मेरे लोक सभा क्षेत्र बागपत की समस्या नहीं है अपितु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सात जिले, 154 गांव और लाखों लोगों और पशुओं की समस्या है। हमारे यहां तीन नदियां कृष्णा, काली और हिण्डन हैं। इन नदियों में इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया है कि सैकड़ों लोग कैंसर से मर चुके हैं। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बावजूद भी, तीन आदेश हो चुके हैं और लास्ट आदेश अभी 21 अक्तूबर, 2019 को हुआ था। उसमें यह कहा गया है कि इन गांवों में जितने भी हेण्डपम्प लगे हैं, उन सभी को उखाड़ा जाए और पानी की पर्याय व्यवस्था की जाए। बहुत सी जगहों से हेण्डपम्प उखाड़ दिए गए हैं, लेकिन पानी की पर्याय व्यवस्था नहीं हो रही है और लोग मर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इन तीनों नदियों में प्रदूषण को दूर किया जाए। 124 इंडस्ट्रीज़ जो प्रदूषण फैला रही हैं और नोटिस होने के बाद भी इन इंडस्ट्रीज़ को बंद नहीं किया जा रहा है, इन इंडस्ट्रीज़ को बंद किया जाए और इस पर काम किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती रेखा वर्मा को डॉ. सत्यपाल सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर (उस्मानाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ। पिछले दो दिन से मैं शून्य काल में ट्राई कर रहा था कि मेरा नंबर निकले, लेकिन नहीं निकल पाया।

महोदय, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में बेमौसम वर्षा के कारण किसानों का नुकसान हुआ है और वह नुकसान इस कद्र है, मैं हर एक तालुका में स्वयं जाकर आया हूँ और उनके साथ बैठकर स्वयं की नजरों से सब देखा है। पिछले दो साल सूखे की वजह से किसान परेशान थे। इस साल अच्छी फसल आई थी और फसल काटने का मौसम था। उस फसल को बेचकर किसान को कुछ पैसे मिलने वाले थे। लेकिन इस बेमौसम

वर्षा की वजह से सोयाबीन की फसल, अंगूर की फसल और हर एक फसल का सौ प्रतिशत नुकसान किसान को हुआ है। उस किसान की अपेक्षा है कि उसको यह मदद मिले। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि महाराष्ट्र के जिन किसानों की बेमौसम वर्षा की वजह से उनकी खेती का जो नुकसान हुआ है, उसके लिए हर किसान को 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद तत्काल दी जाए। यही मेरा कृषि मंत्री जी से अनुरोध है।

माननीय अध्यक्ष: श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री राहुल रमेश शेवाले और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे को श्री ओम पवन राजेनिंबालकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सोयम बापू राव (आदिलाबाद): अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे आदिलाबाद क्षेत्र में 12 लाख हेक्टेयर में खेती होती है और उसमें से कॉटन 8 लाख 20 हजार हेक्टेयर में होती है। इस साल बारिश ज्यादा होने से कपास में माइश्चर ज्यादा हो गया। इस कारण से किसान से कपास खरीदी नहीं की जा रही है। मेरी सरकार से विनती है कि 18 से 20 परसेंट तक माइश्चर वाली कॉटन की खरीदी करे। इससे किसानों को बेनिफिट होगा। आदिलाबाद जिले में तीन डिस्ट्रिक्ट्स कुमरमभीम, आदिलाबाद और निर्मल हैं। इन जिलों में जनवरी तक फॉग बहुत गिरता है, इस वजह से कपास में माइश्चर बढ़ जाता है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि वह ज्यादा माइश्चर वाली कपास को भी लेने की कोशिश करें। यही मेरी मांग है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी (मेडक): धन्यवाद, सर। मैं आपके ध्यान में तेलंगाना राज्य में मेरे निर्वाचन क्षेत्र मेडक के येद्दुमैलारम में स्थित आयुध कारखाने के निगमीकरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दा लाना चाहता हूँ।

महोदय, संगा रेड्डी में आयुध निर्माणी के निगमीकरण के कारण, कर्मचारियों को अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा है। इन कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के हित इस निर्णय से गंभीर रूप से प्रभावित होंगे।

उन्होंने एक प्रतिनिधित्व किया और मुझसे इस मुद्दे को हल करने का अनुरोध किया और ऐसा लगता है कि कर्मचारियों की शिकायतें वास्तविक हैं। हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले राष्ट्रहित और राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस लें। रक्षा मंत्री कृपया इस मुद्दे को देखें और मानवीय आधार पर इन कर्मचारियों और उनके परिवारों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 02.00 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 03.03 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न तीन बजकर तीन मिनट पर पुन: समवेत हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल *पीठासीन हुए।*)

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

माननीय सभापति: अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

श्री सुशील कुमार सिंह- उपस्थित नहीं।

श्री अशोक कुमार रावत।

(एक) उत्तर प्रदेश के सीतापुर और हरदोई जिले में '84 कोसी परिक्रमा पथ' का विकास किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उ.प्र.) में नैमिष्यारण्य एक बहुत ही पौराणिक व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इस क्षेत्र में दधीच कुंड, पाण्डव किला, हनुमानगढ़ी, सुदर्शन चक्र (चक्र कुंड), मां ललिता देवी मंदिर (शक्ति पीठ) इत्यादि महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं, जो हरदोई व सीतापुर जनपदों के अंतर्गत आते हैं। इन स्थलों पर देश से ही नहीं विदेशों से लाखों की संख्या में वर्ष भर श्रद्धालु आते रहते हैं।

इन धार्मिक स्थलों के लिए 84 कोसी परिक्रमा का बड़ा महत्व है। जो हरदोई व सीतापुर जनपदों से होकर गुजरती है। इस 84 कोसीय परिक्रमा का पूरा पथ कहीं संकरा है और कहीं जीर्ण-शीर्ण है, जिसमें प्रकाश की पर्याप्त सुविधा नहीं है। इन कठिनाइयों से श्रद्धालुओं को बड़ी असुविधा होती है।

मैं माननीय पर्यटन मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस पूरे पथ के चौड़ीकरण, विद्युतीकरण, सौंदर्यीकरण इत्यादि के लिए राज्य सरकार से विचार-विमर्श के बाद, केन्द्रीय सहायता से एक योजना बनाए, जिसका समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन हो सके।

(दो) **मध्य प्रदेश के सतना जिले में पट्टे पर दी गई तथा अनुपयुक्त पड़ी हुई सरकारी भूमि की पुनर्प्राप्ति किए जाने की आवश्यकता**

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, औद्योगिक विकास के लिए राज्य की सरकारें लीज पर जमीन उपलब्ध कराती हैं, जिन शर्तों के आधार पर जिस कार्य के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाती है, उसका उपयोग सही कार्यों के लिए हो रहा है या नहीं, उसकी जाँच करानी चाहिए। जैसे कि मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना में स्थापित बिरला सीमेंट कंपनी, प्रिज्म सीमेंट, के.जे. एस. सीमेंट, यूनिवर्सल केविल्स, जे.पी. बाबूपुर, मैहर सीमेंट सरलानगर तथा ए.सी.सी. सीमेंट कंपनी कैमोर जिला कटनी की स्थापना के लिए जितनी जमीन लीज में दी गई है, उसमें अनुपयोगी जमीन पर जबरन कब्जा है, उसे कंपनियों से वापस ले लेना चाहिए। बिरला जूट एंड मैन्युफैक्चर कंपनी सीमेंट डिपो को 99 साल के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सन् 1956 में लगभग हजारों एकड़ जमीन को लीज पर दिया था।

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2013 में बनाए गए भू-अर्जन कानून के तहत जिस जमीन का अभी तक जिस उद्देश्य के लिए लीज दी गई थी, यदि उसका उपयोग नहीं किया गया तो वह जमीन वापस ली जा सकती है। सतना जिले में बिरला सीमेंट ने अभी तक सीमेंट प्लांट लगा लिया, आवास बना लिया, अस्पताल/स्कूल/खेल मैदान/क्वार्टर/बाजार आदि सब बना लिया, शेष जमीन में मात्र बाउंड्री बनाकर जबरन कब्जा कर रखा है, शहर का विकास रूका हुआ है, स्मार्ट सिटी की घोषणा है, उसके लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए तथा शासकीय भवन आदि बनाने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती रहती है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी मांग है कि जिस उद्योग के लिए उक्त कंपनियों को जमीन लीज पर दी गई थी, उसकी जांच करा ली जाए तथा शेष खाली जमीन वापस ली जाए ताकि जनहित में सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए तथा शासकीय भवन आदि बनाने के लिए जमीन का सदुपयोग हो सके। धन्यवाद।

(तीन) कर्नाटक में वाइडफील्ड से चित्तूर वाया मुलाबबगाले रेलवे लाइन बिछाए जाने के बारे में

श्री एस. मुनिस्वामी (कोलार): रेल और सड़क संपर्क कृषि उत्पादों और प्राकृतिक संसाधनों के परिवहन की बुनियादी आवश्यकता है। किसी क्षेत्र का विकास भी रेल और सड़क संपर्क से जुड़ा हुआ है। कोलार क्षेत्र में रेल और सड़क संपर्क की कमी के कारण, विकास और परिवहन प्रभावित हुआ है। व्हाइटफील्ड से मुलाबागले होते हुए चित्तूर तक की एक रेलवे लाइन कोलार क्षेत्र के विकास और परिवहन में मदद करेगी।

इसलिए, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया निधि आबंटित करें और सफेद क्षेत्र से मुलाबागले के माध्यम से चित्तूर तक रेलवे लाइन विकसित करें।

[हिन्दी]

माननीय सभापति: श्री पंकज चौधरी - उपस्थित नहीं।

(चार) महाराष्ट्र के लातूर संसदीय क्षेत्र में पेयजल की कमी की समस्या को सुलझाए जाने आवश्यकता।

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): महोदय, हालांकि देश के अधिकांश भागों में आमतौर पर सामान्य वर्षा हुई, परन्तु महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र तथा विशेषकर लातूर जिले को इस साल भी भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा है। मराठवाड़ा के अधिकांश जिलों में पिछले कई सालों से सूखा पड़ रहा है तथा यहाँ पीने के पानी की भारी किल्लत है। बारिश नहीं होने के कारण किसानों की फसलें इस साल भी चौपट हो गई हैं। लातूर के मांजरा डैम, जो कि लातूर शहर की लाइफ लाइन है तथा जिसकी क्षमता 2.24 लाख मिलियन लीटर है, में सिर्फ 4000 मिलियन लीटर पानी रह गया है। नगर निगम के पास पीने के पानी का स्टाक पूरी तरह से समाप्त हो गया है। लातूर पिछले 10 सालों से भयंकर सूखे का सामना कर रहा है तथा सिंचाई की बात तो दूर यहाँ के निवासियों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। लोगों को एक घड़ा पानी लाने के लिए कई-कई किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ता है। जिन किसानों ने बारिश की उम्मीद से काफी पैसा खर्च कर अपनी फसल बोई थी, वह पूरी तरह बर्बाद हो गई है तथा किसान कर्ज के बोझ तले दब गए हैं। भूमिगत जल खतरे की हद तक नीचे चला गया है। महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ के लिए भूमिगत जल का स्तर ऊपर लाने के लिए जल संरक्षण योजना बनाई थी, परन्तु बारिश नहीं होने के कारण वह भी पूरी तरह भरा नहीं है।

अत: इस सम्माननीय सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह शीघ्रातिशीघ्र सर्वेक्षण करवाकर यहाँ के किसानों को हुए नुकसान के लिए जल्द से जल्द मुआवजा देने का प्रबंध करे और साथ ही साथ यहाँ के निवासियों को पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही 'हर घर जल, हर घर नल' योजना के तहत इसे लातूर शहर में प्राथमिकता के आधार पर लागू कर प्रत्येक घर में पेयजल आपूर्ति की शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करे।

(पाँच) बिहार के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): शिक्षा देश के विकास और प्रगति की रीढ़ है और चिकित्सा का अध्ययन ऐसे बेहतर तरीकों में एक है। हाल में ही नीति आयोग ने औरंगाबाद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की सिफारिश की है। औरंगाबाद वामपंथी उग्रवाद प्रभावित और आकांक्षात्मक जिला है। एनएच-2 एवं एनएच-98 पर स्थित औरंगाबाद बिहार के रोहतास, अरवल, गया और झारखण्ड के पलामू, चतरा जिलों से जुड़ा है। औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज खुलने से एक बड़ी आबादी को लाभ होगा। देश और विशेष रूप से बिहार में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है, प्रतिवर्ष हजारों छात्र मेडिकल की पढ़ाई हेतु दूसरे राज्यों में जाते हैं। यह मेडिकल कॉलेज बिहार और झारखण्ड के युवाओं के लिए उपयोगी होगा। उक्त मेडिकल कॉलेज के लिए उपयुक्त भूखंड की कमी के कारण मैंने अपनी खुद की 20 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है। केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि मेरी प्रस्तावित जमीन पर केन्द्रीय बजट से कॉलेज निर्माण कराए।

(छः) राजस्थान में सरकारी एजेंसियों द्वारा मूंग की खरीददारी की ऊपरी सीमा में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता।

सुश्री दिया कुमारी (राजसमन्द): महोदय, भारत सरकार द्वारा किसानों के उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था की जाती है। इस खरीद में किसानों के कुल उत्पाद का 25 प्रतिशत सरकारी खरीद का नियम है। राजस्थान में विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र व उसके आसपास के क्षेत्र में मूंग की बहुत अच्छी पैदावार होती है। चूंकि मूंग एक दलहन फसल है, अत: किसान अपने घरेलू उपयोग के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत ही रखता है बाकी 90 प्रतिशत फसल को वह बाजार में बेचता है। परन्तु सरकारी खरीद की 25 प्रतिशत की सीमा होने के कारण किसान को उचित फायदा नहीं मिलता है।

महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि मूंग की फसल की सरकारी खरीद की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 50 प्रतिशत तक की जाये। इसके साथ ही उत्पादन के जो सरकारी आंकड़े हैं, वास्तविक उत्पादन उससे कहीं अधिक है। अतः उत्पादन का नवीन सर्वे करवा कर डाटा तैयार किया जाये और 50 प्रतिशत उत्पादन की खरीद व्यवस्था मूंग की फसल के लिए सरकार द्वारा की जाए।

(सात) मौजूदा मुक्त व्यापार करारों की उपयोगिता के बारे में

[अनुवाद]

श्री जी. एस. बसवराज (तुमकुर): महोदय, बहुत सारी अटकलों और आशंकाओं के बीच कि भारत कृषि और डेयरी में घरेलू क्षेत्रों के हितों से समझौता करने वाले आरजीपी पर हस्ताक्षर कर सकता है, बहुत राहत के लिए, हमारी सरकार ने अंतिम चरण में, आरसीपी सौदे से बाहर का विकल्प चुना है।

कृषि और डेयरी क्षेत्रों ने आरसीईपी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आसियान समूह के अन्य देशों के अनुरूप भारत के विफल होने के बारे में बहुत आशंकाएं व्यक्त की थीं। कृषि और पशुपालन क्षेत्र को भारत द्वारा आरसीईपी से बाहर निकलने से बहुत लाभ होगा। एक वृक्षारोपण किसान के रूप में, मैं व्यावसायिक रूप से, घरेलू कृषि क्षेत्र के कारण को उठा रहा हूँ, जो सस्ते बागान से अस्थिर हो रहा है जो एफटीए के तहत पड़ोसी देशों से भारतीय बाजारों में बाढ़ लाता है।

घरेलू सुपारी और नारियल वृक्षारोपण क्षेत्रों के हितों को एफटीए के तहत श्री लंका के माध्यम से प्राप्त सुपारी और विकृत नारियल उत्पादों के सस्ते आयात के खतरे से बचाने के लिए, भारत को मौजूदा एफटीए की उपयोगिता पर पुनर्विचार और समीक्षा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

माननीय सभापति: श्री राहुल कस्वां - उपस्थित नहीं।

(आठ) त्रिपुरा में भूमि पट्टों के बारे में

[हिन्दी]

श्री रेबती त्रिपुरा (त्रिपुरा पूर्व): सर, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान फॉरेस्ट एक्ट के तहत त्रिपुरा में पूर्व की सरकार द्वारा दिए गए जमीन के पट्टों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ।

माननीय सभापति: 377 में आपको पूरा विषय लिखना चाहिए। जो लिखा जाता है, वही पढ़ा जाता है। आपने केवल एक-डेढ़ वाक्य लिखा है। आपका विषय आ गया है।

श्री अजय कुमार - उपस्थित नहीं।

श्री सुनील कुमार सिंह - उपस्थित नहीं।

(नौ) आवासीय परिसरों के व्यावसायिक उपयोग को प्रतिबंधित करने वाली विधियों के कार्यान्वयन की निगरानी संबंधी समिति को भंग किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री परवेश साहब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): महोदय, मार्च 2006 में, माननीय सदस्य। सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय परिसरों के वाणिज्यिक उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भूरे लाल समिति का गठन किया। 13 वर्षों में, समिति ने दिल्ली में हजारों संपत्तियों को सील कर दिया है। तथापि, इसने अनुचित और मनमाने सील के लगातार मामलों के बारे में गंभीर आलोचना की है। समिति अक्सर परिसर के कब्जेदार को सीलिंग की पूर्व सूचना देने में विफल रहती है।

ऐसे मामले हैं जहां पीड़ित पक्ष को सीलिंग के समय औचित्य (मौखिक या वृत्तचित्र) प्रदान करने के अवसर से वंचित कर दिया गया है। इसके अलावा, पीड़ित पक्ष को समिति के समक्ष अपना मामला पेश करने के लिए रु.1 लाख की बड़ी धनराशि जमा करनी होती है। एकमात्र शेष तरीका अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाना है जो महंगा और समय लेने वाला है।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि समिति को एक ऐसा विकल्प लाने के लिए भंग कर दिया जाए जो निष्पक्ष और गैर-मनमानी हो।

(दस) राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ट्यूबवैल के लिए किसानों को बिजली के कनेक्शन दिए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री राहुल कस्वां (चुरू): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू में, भूगर्भ में पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है। जहां किसान के खेत में थ्री फेस मोटर चलती थी, वहां पानी कम व गहरा होने के कारण अब वहां थ्री फेस कनेक्शन की मोटरों का चलना संभव नहीं हैं। किसानों ने ऋण लेकर ट्यूबवैल तो बना लिये, लेकिन अब पानी का स्तर कम होने के कारण अधिकांश ट्यूबवैल बंद हो चुके हैं। पानी के लिए सिंगल फेस की मोटर लगाकर किसान उपयोग करते समय मीटर में आने वाले बिल का भुगतान भी करते हैं, फिर भी विद्युत विभाग सिंगल फेस मोटर को चोरी मानकर वी.सी. आर. भर जुर्माना लगा देते हैं। जहां पानी कम व गहरा हो गया है, वहां ग्रामीण व ढाणियों में कृषि और गैर कृषि कार्यों के निष्पादन के लिए यदि विद्युत कनेक्शन मिल जाता है, तो किसान सिंगल फेस की मोटर से फल, सब्जियां व घरेलू उपयोग में काम लेकर अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि छोटे किसानों व ढाणियों के लिए सरकार द्वारा चालू की गई विभिन्न योजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन किया जाये, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को राहत मिल सके।

(ग्यारह) राउरकेला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री जुएल ओराम (सुंदरगढ़): राउरकेला को देश के स्मार्ट शहरों में से एक घोषित किया गया है। तब से, केंद्र सरकार शहर के विकास के लिए धन आबंटित कर रही है। भुवनेश्वर के बाद, यह ओडिशा का दूसरा स्मार्ट शहर है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2015-16 और 2016-17 वित्तीय वर्षों में आबंटित धन पूरी तरह से शहर के विकास में खर्च नहीं किया गया है। रु. से बाहर। अब तक 37.06 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं, केवल अब तक 22.23 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। यह अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की स्थापना और वेतन की ओर भी है।

जब तक विकास की गतिविधियों में तेजी नहीं लाई जाएगी, तब तक केंद्र सरकार का अनुदान और राउरकेला के निवासियों की दीर्घकालिक इच्छा पूरी नहीं होगी।

इस तरह, मैं मांग करता हूँ कि केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और राज्य सरकार को परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने का निर्देश दे ताकि राउरकेला पूर्ण और सुंदर स्मार्ट सिटी बन सके।

(बारह**) उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता।**

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): महोदय, मेरा निर्वाचन संसदीय क्षेत्र जिला जालौन, जो कि कानपुर और झांसी के मध्य स्थित है, यहां के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए कानपुर जाना पड़ता है, जिससे लोगों को समय और धन दोनों का बोझ वहन करना पड़ता है। यदि समय से कार्य नहीं हुआ तो एक से अधिक बार भी कानपुर पासपोर्ट कार्यालय जाना पड़ता है।

इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जिला जालौन के नागरिकों हेतु पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को सुगम बनाने हेतु "पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र" जिला - जालौन के मुख्यालय उरई में स्थित प्रधान डाकघर में खुलवाने का कष्ट करें, जिससे यहां के लोगों के समय एवं धन की बचत हो सके।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल - उपस्थित नहीं।

श्री तेजस्वी सूर्या - उपस्थित नहीं।

(तेरह) ओडिशा के रायगढ़ जिले में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किए जाने के बारे में

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका (कोरापुट): रायगढ़ जिला एक आकांक्षी जिला होने के नाते बड़ी जनजातीय आबादी के साथ विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता की आवश्यकता है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग लंबे समय से लंबित है। 2014 में, ओडिशा के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में रायगढ़ के लिए एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा की और प्रक्रियाएं शुरू कीं लेकिन कुछ नहीं किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2022 तक 75 अतिरिक्त सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है और यह भी निर्णय लिया गया है कि कम से कम 200 बिस्तर वाले जिला अस्पताल वाले कोई मेडिकल कॉलेज नहीं होने वाले अयोग्य क्षेत्रों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे और आकांक्षी जिलों को वरीयता दी जाएगी। रायगढ़ नीति आयोग द्वारा पहचाने गए ओडिशा के आकांक्षी जिले के अंतर्गत आता है। रायगढ़ एक आदिवासी बहुल जिला है जिसमें अधिकांश परिवार बीपीएल श्रेणियों में आते हैं और यह अनुसूची-वी क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। इसलिए, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह करती हूँ।

(चौदह) विशेष सांस्कृतिक धरोहर तीर्थयात्री पर्यटन सर्किट के बारे में

माननीय सभापति: आप मलयालम में बोल सकते हैं क्योंकि आपने इसकी अनुमति ली है, लेकिन कृपया पत्र में लिखे गए शब्दों पर कायम रहें।

*__श्री टी. एन. प्रथापन (त्रिस्सूर):__त्रिस्सूर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, जिसका मैं लोक सभा में प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक विरासत के कारण केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी घाटों और अरब सागर के बीच, स्थित केरल के केंद्र में, मेरा संसदीय क्षेत्र कई पर्यटकों और सांस्कृतिक स्थलों से सुसज्जित है।

सभी प्रमुख धर्मों की उपस्थिति से त्रिस्सूर के अद्वितीय सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध किया गया है। प्रसिद्ध गुरुवायुर श्रीकृष्ण मंदिर, वडक्कुमनाथन मंदिर और कुडलमनिक्यम मंदिर, जो भगवान भारत को समर्पित एकमात्र मंदिर है, दक्षिण भारत में अक्सर भक्तों द्वारा दर्शन किए जा रहे हैं। भारत में पहली मस्जिद, कोडुंगल्लोर में चेरामन में बनाई गई थी और सेंट. थोमस सिरो-मलाबार कैथोलिक चर्च, पलयूर, भारत के सबसे पुराने चर्चों में से एक है।

धार्मिक केंद्रों ने समय के साथ अविश्वसनीय रूप से सांस्कृतिक और पर्यटन विरासत का निर्माण किया है। प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम, वडक्कुमनाथन मंदिर में वार्षिक मंदिर उत्सव एक विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है। त्रिस्सूर के क्रिसमस-नव वर्ष समारोह 'बाउन नथाले' को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। इस तरह, हर गांव या क्षेत्रों में एक अद्वितीय सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और उत्सव होता है जो पर्यटकों का विशाल आकर्षण प्राप्त करता है। पारंपरिक मंदिर संगीत कला के रूप पेरुवनम जैसे स्थानीय गांवों में फले-फूले। चेरुथुरुथी में केरल कलामंडलम सीखने और पवित्र और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रदर्शनों को करने का केंद्र बिंदु है। आधुनिक कला रूपों और साहित्य को शहर के प्रमुख क्वार्टर में स्थित साथी अकादमी, ललिता

* मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

कला अकादमी और संगीता नाटक अकादमी जैसे संस्थानों से संरक्षण प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा, इस जगह को अथिरापिली और वझाचल झरने जैसे कई प्राकृतिक चमत्कारों का श्रेय भी दिया जाता है। सुंदर बांधों से घिरे पीची और चिमिनी में वन्यजीव अभयारण्यों में प्राचीन प्राकृतिक सेटिंग्स और अरबी समुद्र के पश्चिमी तटों पर बिखरे प्रकृति के उपहारित समुद्र तट हर साल बहुत सारे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। और त्रिस्सूर कोले वेटलैंड्स और इसकी जैव विविधता और भौगोलिक विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। यह वैज्ञानिकों, विद्वानों और पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। इन तथ्यों पर विचार करते हुए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन सभी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक परिदृश्य को जोड़ने वाला एक पर्यटन सर्किट लागू किया जाए। गंतव्यों के बीच उचित संपर्क की कमी एक बेहतर पर्यटन आंदोलन के लिए एक बड़ी बाधा है। पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी अवसंरचनाओं और संपर्क को विकसित करके एक पर्यटक सर्किट बनाना अत्यधिक आवश्यक है।

माननीय सभापति: मुझे यह कहने दें। केवल लिखित विवरण रिकॉर्ड पर जाएगा। इस बारे में सावधान रहें।

(पंद्रह) बोरवेल में गिरने के कारण होने वाली मौतों के बारे में

डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन (चेन्नई दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुखद है कि सैकड़ों बच्चों का बोरवेल में गिरना एक ऐसी आपदा है जिससे बचा जा सकता है। तमिलनाडु में दो साल की उम्र की हालिया मौत पर सामने आए परिदृश्य से पता चलता है कि हम अभी भी उस स्थिति में फंस गए हैं जिसका सामना हमने लगभग 12 साल पहले किया था। वास्तव में, कुछ अनुमानों से पता चलता है कि बोरवेल शाफ्ट में गिरने वाले बच्चों में से लगभग दो तिहाई हर साल मारे जाते हैं। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाओं की नियमित पुनरावृत्ति के बावज़ूद, इन पीड़ादायक घटनाओं को समाप्त करने के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं किया गया है। जबकि यह सच है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए हैं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाएं, लेकिन परिदृश्य लगातार जारी है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। इन नियमों के बावजूद कोई कमी नहीं है। हालांकि, सरकार के पास दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई या बच्चों की मौत के लिए दिए गए मुआवजे के बारे में कोई विवरण नहीं है।

तेजी से घटते संसाधनों की खोज में देश के सैकड़ों हजारों बोरवेल और हर साल अधिक संख्या में वृद्धि के साथ, यह संभावना नहीं है कि राज्य के कुछ अधिकारी इस बढ़ते खतरे को समाप्त करने के लिए प्रभावी रूप से हस्तक्षेप कर सकते हैं। ऐसा होने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह का समाज अपने निर्दय दृष्टिकोण का पालन करे और यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम करे कि उच्चतम स्तर के सुरक्षा उपायों को लागू किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा फिर से बोरवेल शाफ्ट में न आए। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह जीवन की और क्षति को रोकने के लिए एक व्यापक कानून लाए।

(सोलह) पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित तारकेश्वर रेलवे स्टेशन का विकास किए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग): श्री. सभापति, महोदय, तारकेश्वर, भगवान शिव का मंदिर होने वाली तीर्थस्थल, मेरे अरामबाग संसदीय क्षेत्र में स्थित है। ट्रेन से लोग यहां पहुंचते हैं। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि तारकेश्वर रेलवे स्टेशन को सर्वसुविधा युक्त मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए।

(सत्रह) निजी सुरक्षा उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्या के बारे में

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू (नरसाराओपेट): निजी सुरक्षा उद्योग को कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है जो भारत में व्यापार करने की चुनौतियों का भी लक्षण है।

सबसे पहले, जी.एस.टी जिसका भुगतान प्रत्येक महीने की 20 तारीख को किया जाना चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखता है कि सुरक्षा एजेंसियां अपनी सेवाएं प्रदान करने के 60-90 दिनों बाद ही अपना भुगतान प्राप्त करती हैं। यह उन्हें अपना बकाया प्राप्त करने से पहले कर का भुगतान करने के लिए मजबूर करता है। जी.एस.टी. परिषद द्वारा आर.सी.एम. (रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म) के लिए उद्योग के अनुरोध को अस्वीकार करने के कारण इस मुद्दे को और बढ़ा दिया गया है।

दूसरा, 6 अप्रैल 2018 को आर.बी.आई. परिपत्र ने बैंकों की नकद प्रबंधन गतिविधियों के लिए ऐसे मौद्रिक और संभारिकी मानक स्थापित किए हैं ताकि अधिकांश निजी सुरक्षा संगठनों को अपनी सेवाएं प्रदान करने से प्रभावी रूप से प्रतिबंधित किया जा सके, क्योंकि उनमें से अधिकांश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम हैं।

तीसरा, लाइसेंसिंग और समीक्षा प्रणाली में व्यापक और आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। देरी से अनुबंधों का नुकसान होता है और परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान होता है।

(अठारह) सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति जी, तम्बाकू का प्रयोग मुत्यु के छ: से आठ कारणों में से एक प्रमुख जोखिम कारक है और लगभग 40 प्रतिशत गैर-संचारी रोग (एनसीडी) जिसमें कैंसर, कार्डियो-वैस्कुलर रोग और फेफड़े के विकार तम्बाकू के उपयोग के लिए जिम्मेदार है। जैसे कि भारत में तम्बाकू के सेवन के कारण मृत्यु दर और रुग्णता का परिणाम बहुत अधिक है। भारत में हर साल 13.5 लाख व्यक्तियों की मृत्यु तम्बाकू के कारण होती है। तम्बाकू उत्पादों के पैकेज पर 85 प्रतिशत ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनियों को पेश करके सार्वजनिक स्वास्थ्य और विशेष रूप से तम्बाकू नियंत्रण में सुधार करने का आपका प्रयास बेहद सराहनीय है। जबकि अब सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से ई-सिगरेट पर भी पाबन्दी लगा दी है।

केन्द्रीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम अर्थात सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए), अधिनियम तम्बाकू उत्पादों के उपयोग या खपत को हतोत्साहित करने और सामान्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। हालांकि यह मुख्य रूप से अधिनियम में कुछ अंतराल के कारण अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा है। इस संबंध में मैं आपका ध्यान निम्नलिखित बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ:

1. सीओटीपीए, 2003 वर्तमान में नामित सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण के रूप में कुछ सार्वजनिक स्थानों (रेस्तरां, होटल और हवाई अड्डे) में धूम्रपान करने की अनुमति देता है जबकि इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

2. बिक्री के बिंदु पर तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन और प्रदर्शन पर व्यापक रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

3. सीओटीपीए में एकल सिगरेट या तम्बाकू उत्पादों के स्वाद की बिक्री का कोई प्रावधान नहीं है, जो युवाओं के तम्बाकू उपयोग के लिए आकर्षित होने का मुख्य कारण है।

4. अधिनियम के तहत अपराध के लिए जुर्माना भी एक निवारक के रूप में कार्य करने के लिए अपर्याप्त है।

5. तम्बाकू उत्पादों के उपभोग की कानूनी उम्र को मौजूदा 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किया जाना चाहिए।

अत: सरकार से अनुरोध है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में अतिशीघ्र सीओटीपीए 2003 के संशोधन करने हेतु विधेयक पेश करने के प्रस्ताव पर विचार करे।

(उन्नीस) बिहार के बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बरभिगा से पंजवाड़ा तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 333क के खंडों पर चल रहे निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री गिरिधारी यादव (बांका): माननीय सभापति जी, सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बांका से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 333ए के खंड भरबिगा से पंजवारा के बीच हो रहे निर्माण कार्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के भरबिगा से पंजवारा पर निर्माण कार्य बहुत ही धीमी गति से हो रहा है जिसके कारण यह कार्य अपनी समय सीमा के भीतर नहीं हो पाएगा। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्से अभी तक अधूरे हैं जबकि यह बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग अत्यंत व्यस्त है, जहां से कई राज्यों से वाहनों का आवागमन होता है। इस मार्ग पर कई गड्ढे भी हो गए हैं जो गंभीर दुर्घटना के कारण बनते हैं।

सदन के माध्यम सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 333ए के भरबिगा से पंजवारा के बीच सड़क मार्ग पर हो रहे निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और इस मार्ग पर जो गड्ढे बन गए है। उनको अच्छे ढंग से भरा जाए जिससे इस मार्ग पर यातायात का आवागमन ठीक ढंग से हो सके।

(बीस) उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धान की फसल पर कीट आक्रमण के बारे में

[अनुवाद]

श्री रितेश पाण्डेय (अंबेडकर नगर): महोदय, चावल विस्फोट एक विनाशकारी फंगल बीमारी है जो फंगस, पाइरिकुलरिया ऑरिजे के कारण होती है, जो सभी चरणों में चावल की फसल पर हमला करती है। इसके लक्षणों में पूरी फ़सल में दिखाई देने वाले काले धब्बे शामिल हैं। विस्फोट-संक्रमित अनाज अपनी गुणवत्ता खो देते हैं, खराब भर जाता है और कर्कश हो जाता है। यह बीमारी तेजी से फैलती है और इसे आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, जिससे धान किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र अंबेडकर नगर और पड़ोसी जिलों में बड़े पैमाने पर खेत संक्रमित हो गए हैं। यह प्रकोप प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर किया गया है और फिर भी प्रशासन ने नुकसान के पैमाने का सर्वेक्षण नहीं किया है। इस फंगल संक्रमण पर आधिकारिक निष्कर्षों के बिना, फसल नुकसान के बारे में किसी भी दावे को मान्यता नहीं दी जा सकती है। नतीजतन, किसान पीएमएफबीवाई के तहत बीमा दावा दायर करने के अपने राजस्व और अपने अधिकारों दोनों को खो देते हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह प्रभावित किसानों की बीमारी और उनके दावों की प्रक्रिया का त्वरित आधिकारिक आकलन करे।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य कृपया केवल अनुमोदित पाठ पढ़ सकते हैं।

(इक्कीस**) तेलंगाना में विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि आबंटन के बारे में**

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी (मेडक): मैं आपके ध्यान में श्री जी. महिपाल रेड्डी, विधायक, पाटनचेरू और मैसर्स सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना स्टेट लिमिटेड, पाटनचेरू के डिवीजनल इंजीनियरसे के प्रतिनिधित्व की ओर लाना चाहूँगा। जो तेलंगाना राज्य के ईएसआई अस्पताल, रामचन्द्रपुरम में 2000 वर्ग गज उपलब्ध भूमि के आबंटन के लिए 33/11 केवी सब-स्टेशन के निर्माण के लिए बी.एच.ई.एल. क्षेत्र में और उसके आसपास के आवासीय क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। वर्तमान उप-केंद्र को ओवरलोड किया जा रहा है और नए उप-केंद्र के निर्माण से इस मुद्दे को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता है। इस अनुरोध को युद्ध स्तर पर संबोधित करने की आवश्यकता है।

<u>अपराह्न 03.38 बजे</u> (माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए)*

इसलिए, मैं माननीय. से अनुरोध करता हूँ श्रम एवं रोजगार मंत्री कृपया अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर सब-स्टेशन के निर्माण के लिए भूमि आबंटित करने का निर्देश दें।

(बाईस) बी.पी.सी.एल. के निजीकरण के बारे में।

एडवोकेट ए.एम. आरिफ (अलप्पुझा): 53.2 प्रतिशत शेयरों की बिक्री के माध्यम से भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (बीपीसीएल) के निजीकरण के निर्णय का समग्र रूप से कर्मचारियों और समाज पर भारी प्रभाव पड़ेगा। कंपनी हर समय लाभ कमा रही है और रुपये से अधिक कमा रही है। पिछले पांच वर्षों के लिए 50,000 करोड़ रुपये का निवेश। बीपीसीएल केरल राज्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप सीएसआर गतिविधियों का भी संचालन कर रहा है। बीपीसीएल के निजीकरण से केरल के पेट्रोकेमिकल पार्क कोच्चि रिफाइनरी के उप-उत्पादों का उपयोग करके प्रभावित होगा। कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों को बीपीसीएल के निजीकरण के साथ रोक दिया जाएगा। निजीकरण के परिणामस्वरूप रोज़गार के अवसरों का नुकसान होगा, रसोई गैस के लिए सब्सिडी, और केरल का समग्र विकास होगा। केंद्र सरकार को बीपीसीएल के निजीकरण के किसी भी प्रयास से बचना चाहिए।

(तेईस) केरल में कोल्लम जंक्शन रेलवे स्टेशन के विकास के बारे में।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): कोल्लम जंक्शन रेलवे स्टेशन क्षेत्रफल के मामले में केरल का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यह सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है। दो रेलवे लाइनें-तिरूवनन्तपुरम-कोल्लम और शेंकोट्टा-कोल्लम-कोल्लम जंक्शन पर मिलती हैं। लेकिन कोल्लम स्टेशन का विकास अपेक्षाकृत आवश्यक स्तर तक नहीं है। कोल्लम से नई ट्रेनें शुरू करने और कोल्लम में ट्रेनों को समाप्त करने की गुंजाइश पिट लाइन की कमी के कारण कम है। कोल्लम की वाणिज्यिक और पर्यटन संभावनाओं को देखते हुए, कोल्लम के विकास के लिए नई ट्रेनों की मांग आवश्यक हो गई है। कोल्लम की मांग और महत्व को देखते हुए कोल्लम, में अधिक रेलगाड़ियों को समाप्त करना और कोल्लम से अधिक रेलगाड़ियों का परिचालन करना अत्यधिक आवश्यक है। कोल्लम रेलवे स्टेशन के बुनियादी विकास के लिए पिट लाइन अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए, मैं रेल मंत्री से कोल्लम में पिट लाइन के निर्माण के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह करता हूँ।

अपराह्न 03.40 बजे

नियम 193 के अंतर्गत चर्चा

वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज नियम 193 के अधीन वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन विषय पर इस सदन में चर्चा करने का निर्णय हुआ है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन केवल हमारे देश में ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिन्ता का विषय है। खुशी है कि भारत में जलवायु परिवर्तन को लेकर हमारे सदन के नेता प्रधान मंत्री जी ने भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चिन्ता व्यक्त की है। मेरा आप सब से आग्रह है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारी चर्चा रचनात्मक तरीके से हो, इस सदन के माध्यम से अच्छे रचनात्मक सुझाव आएं, विचार आएं ताकि इस समस्या के समाधान के लिए हम संसद के माध्यम से पूरे देश में संदेश दे सकें। यदि समाज सामूहिक रूप से मिलकर इसके लिए प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से हम प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे विषय से निपटने में कारगर होंगे।

अब मैं माननीय मनीष तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि वे चर्चा की शुरूआत करें।

प्रो. सौगत राय (दमदम): आपका इंट्रोडक्टरी रिमार्क बहुत अच्छा था।

माननीय अध्यक्ष: थैंक यू, दादा।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर और जैसा आपने कहा, जो सिर्फ भारत से संबंधित नहीं है, पूरी दुनिया से संबंधित है, उसके ऊपर आपने आज इस सदन में एक रचनात्मक चर्चा का अवसर प्रदान किया है।

यह जो विषय है वायु प्रदूषण का, जलवायु परिवर्तन का, अंग्रेजी में जिसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं, यह विषय सिर्फ हमसे संबंधित नहीं है। यह विषय, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारा मुल्क है, जो हमारी

पृथ्वी है, से संबंधित है। वायु प्रदूषण यह नहीं देखता कि उस तरफ कौन बैठा है और इस तरफ कौन बैठा है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि एक व्यापक चर्चा इस मुद्दे के ऊपर इस सदन में और इस देश में की जाए।

अध्यक्ष जी, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दिल्ली शहर में केन्द्र सरकार है, भारत की संसद है, राज्य सरकार है। भारत के अन्य महत्वपूर्ण विभाग, जो भारत के प्रशासन को चलाते हैं, वे सभी दिल्ली में स्थित हैं। हर वर्ष इस समय दिल्ली की आबो-हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित हो जाती है, इतना ज्यादा धुआं हो जाता है कि लोग हवा की जगह जहरीली गैस की सांस लेते हैं। यह कोई सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष का मुद्दा नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि यह दलगत सियासत से ऊपर उठकर देखने का मुद्दा है।

महोदय, जब हम सभी लोग देश की राजधानी में मौजूद हैं, यह परिस्थिति लगातार हर वर्ष, उसी समय, उसी गंभीरता से क्यों उत्पन्न होती है? यह समस्या सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। जिसमें यह कहा गया कि दुनिया के 15 प्रदूषित शहरों में से 14 शहर भारत में हैं। हमारे बड़े शहर कानपुर, फरीदाबाद, बनारस, गया, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर, श्रीनगर, गुरुग्राम, जयपुर, पटियाला, जोधपुर और अनेक दूसरे शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक हैं। कई बार सदन में इस बात पर चर्चा हुई कि हमारी न्यायपालिका बहुत ही एक्टिविस्ट मोड में रहती है। कई सदस्यों ने कई बार इस बारे में चिंता भी व्यक्त की है।

अध्यक्ष जी, मैं अपने आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब दिल्ली में हर वर्ष प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, तो सरकार की तरफ से, सदन की तरफ से इस समस्या से निजात पाने के लिए आवाज क्यों नहीं उठती है? क्यों लोगों को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है? क्यों उच्चतम न्यायालय को निर्देश देने पड़ते हैं कि दिल्ली की आबोहवा को ठीक करने के लिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ये-ये कदम उठाने चाहिए। यह बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि जब सरकार अपना काम नहीं करती है, तो जो अन्य संस्थाएं हैं, वे अग्रसर हो जाती हैं। यह बहुत जरूरी है कि आज इस सदन से यह संदेश जाना चाहिए कि हम सभी लोग, जिन्हें भारत की 124 करोड़ जनता ने चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, यह जो प्रदूषण

की समस्या है, इसके प्रति संवेदनशील हैं और इसके प्रति गंभीर हैं। यह वायु प्रदूषण से संबंधित विषय नहीं है। हमारी जो नदियां हैं, हमारे जो लेक्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, जो हिम नदियां हैं, वे सभी बहुत ही भयंकर प्रदूषण का शिकार हो रही हैं। गंगा नदी के ऊपर, चाहे आज इनकी सरकार है, चाहे पहले हमारी सरकार रही हो, अनेक प्रयास किए गए कि गंगा नदी के प्रदूषण को साफ किया जाए। लेकिन आज भी यह स्थिति हैं कि सैंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो पर्यावरण मंत्रालय का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी। उनके 86 लाइव मोनिटरिंग स्टेशन्स हैं। उनमें से 78 जगहों पर पीने के पानी की बात तो छोड़ दीजिए, वह पानी नहाने के लायक भी नहीं है। इससे बड़ी हमारे लिए शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती है।

यही हाल हमारी हिम नदियों का है। अभी सरकार ने सियाचीन ग्लेशियर को पर्यटन के लिए खोला है। यह इस दुनिया का थर्ड पोल माना जाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद अगर कहीं पर सबसे ज्यादा मात्रा में बर्फ है, तो यह हिमालय और काराकोरम की पहाड़ियां हैं। वर्ष 1990 से वर्ष 2019 तक सियाचीन की हिम नदी तीन किलोमीटर तक घट चुकी है। हर साल 100 मीटर की रफ्तार से हिमनदी कम हो रही है। ऐसा नहीं है कि इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के प्रदूषण को साफ नहीं किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन की राजधानी बीजिंग है। एक समय बीजिंग दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। वर्ष 1998 में चीन की सरकार ने बीजिंग के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना शुरू किया।

मैं आपको सिर्फ दो पैराग्राफ पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। यह जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन की रिपोर्ट है। यह कहती है कि [अनुवाद] 1998 में, बीजिंग में वायु प्रदूषण में कोयले के दहन और मोटर वाहनों का प्रभुत्व था। प्रमुख प्रदूषक राष्ट्रीय सीमाओं से अधिक थे। अगले 15 वर्षों में बीजिंग ने ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, अनुकूलन, कोयले से चलने वाले प्रदूषण नियंत्रण, वाहन उत्सर्जन नियंत्रण पर केंद्रित उपायों की एक श्रृंखला को लागू किया और 2013 तक, वायु प्रदूषकों का स्तर गिर गया था और कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइ-ऑक्साइड जैसे कुछ प्रदूषक राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते थे। 2013 में, बीजिंग ने वायु प्रदूषण

नियंत्रण के लिए एक अधिक व्यवस्थित और गहन उपाय अपनाया। 2017 के अंत तक, महीन कण प्रदूषण पीएम 2.5, जो मानवीय शरीर के लिए सबसे ज्यादा घातक है, 35 प्रतिशत और आसपास के बीजिंग, टीनज़ाइन और हेबेई क्षेत्र में 25 प्रतिशत तक गिर गया। इनमें से अधिकांश कमी कोयले से चलने वाले बॉयलरों को नियंत्रित करने, स्वच्छ घरेलू ईंधन प्रदान करने और औद्योगिक पुनर्गठन के उपायों से आई है। इस अवधि में, सल्फर डाइ-ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मामला पीएम 10 का वार्षिक उत्सर्जन, बीजिंग में अस्थिर कार्बनिक दहन क्रमशः 83 प्रतिशत, 43 प्रतिशत, 55 प्रतिशत और 42 प्रतिशत घट गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर बीजिंग की हवा साफ हो सकती है, दुनिया के अन्य शहर जो प्रदूषण का शिकार रहे हैं, उनकी हवा साफ हो सकती है तो क्या हम में इच्छा शक्ति की कमी है, क्या ऐसा कोई रिसोर्स कंसट्रेन्ट है कि भारत की जो राजधानी है, भारत के जो 15 महानगर हैं, उनकी हवा क्यों नहीं साफ हो सकती है? मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहूँगा कि इस मामले की जो गंभीरता है, इस मामले की जो संवेदनशीलता है, उसको समझने की जरूरत है और उसके ऊपर एक रणनीति तैयार करने की जरूरत है। यह जो समस्या है, जो वातावरण बदल रहा है, यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। वर्ष 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय करार हुआ था, जिसे पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं। दुनिया के 195 देशों ने इकट्ठे हो कर यह फैसला किया था कि पृथ्वी गर्म हो रही है और यह उम्मीद है कि वर्ष 2034 तक पृथ्वी का तापमान दो डिग्री सेंटीग्रेट, 3.6 डिग्री फारेनहाइट से बढ़ जाएगा, जिसके कारण सारा मौसम अस्त-व्यस्त हो जाएगा, जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा, उसको काबू करने की जरूरत है।

अंतर्राष्ट्रीय करार का जो सिलसिला शुरू हुआ है, तब से आज तक का यह 25वाँ साल है। अब 3 दिसम्बर से मैड्रिड में कांफ्रेंस होने जा रही है। मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, उसे विकसित और विकासशील देश के बीच देखने की जरूरत नहीं है। यह हर सरकार और हर

मानव का उत्तरदायित्व बनता है कि इसके ऊपर एक रचनात्मक तरीके से पृथ्वी के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, इस पर कार्य करे। पिछले साल पोलैंड के कार्यक्रम में तय हुआ था कि इसको क्रियान्वित करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा, उस एक्शन प्लान को इस बार मुक़म्मल स्थान पर पहुँचाया जाए।

जहाँ तक इसके लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का सवाल है, हमारा यह मानना है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वर्ष 1981 में एयर एक्ट बनाया गया था। उस एयर एक्ट को और मजबूत करने की जरूरत है, उसको और सुदृढ़ बनाने की जरूरत है ताकि इस पर रोक लग सके।

इसके साथ-साथ, जनवरी, 2018 में सरकार ने एक नैशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की घोषणा की थी। उसका उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर जो आउटले रखा है, वह सिर्फ 300 करोड़ रुपये है। केवल 300 करोड़ रुपये में इस देश की हवा साफ नहीं होने वाली है। इसलिए सरकार से मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ कि जब वह ऐसे संवेदनशील विषय के संबंध में कोई घोषणा करती है और कोई एक्शन प्लान निर्धारित करती है, तो उसको एक प्रॉपर फण्डिंग के माध्यम से क्रियान्वित करने की रणनीति भी सदन के सामने रखे, जिससे सरकार की इसके प्रति गंभीरता डेमॉन्सट्रेट हो।

अध्यक्ष जी, आज सुबह आपने एक बात कही थी कि सदन से जुड़े हुए किसी मामले पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपकी आज्ञा से बहुत ही विनम्रता से एक विनती करना चाहता हूँ कि यह मुद्दा बहुत ही गंभीर है। इसके ऊपर बहुत ही गंभीरता से विचार होना चाहिए और सदन की एक स्थायी समिति बननी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पब्लिक अंडर टेकिंग्स कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी है, उसी प्रकार से एक स्टैच्यूटरी कमेटी बननी चाहिए, जो सिर्फ वायु प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज से जुड़े मुद्दों को देखे। संसद के प्रत्येक सत्र में हम यह सुनिश्चित करें कि उस समिति ने क्या काम किया है, पूरा सदन इसकी समीक्षा करे। इससे यह संदेश जाएगा कि यह सदन इस मामले के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है।

मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के प्रदूषण को लेकर एक बात निरन्तर कही जाती है कि आसपास के सूबे में जो पराली जलायी जाती है, उसके कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ता है। मेरा यह

मानना है कि पराली जलाना गलत है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उससे जुड़े कुछ आर्थिक रियलिटीज हैं, जिनके ऊपर सरकार को काम करने की जरूरत है ताकि जो छोटे किसान हैं, इकोनॉमिक कंडिशन ठीक न होने की वजह से जो उनके खेतों में रह जाते हैं, जिन्हें पराली या स्टबल कहते हैं, को जलाने के लिए मजबूर होते हैं। इसे रोकने के लिए उनको इकोनॉमिकली इंसेंटिवाइज करना बहुत ही जरूरी है।

अगर आप दिल्ली के प्रदूषण के आँकड़ों को देखें, तो 41 प्रतिशत प्रदूषण मोटर कारों, बसों आदि से होता है, 18.6 प्रतिशत प्रदूषण इंडस्ट्रीज से होता है। यहाँ पर चार थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ब्रिक-क्लिंस हैं, सॉलिड-वेस्ट के प्लांट्स हैं, उनसे 3.9 प्रतिशत प्रदूषण होता है।

<u>अपराह्न 04.00 बजे</u>

[हिन्दी]

जो छोटा किसान है, जिसकी इस भारत के राष्ट्र संवाद में कभी आवाज सुनाई नहीं देती, अगर आप उसको इस सारे प्रदूषण का गुनेहगार बनाते हैं तो मेरा यह मानना है कि आप न भारत के किसान के साथ, न भारत की किसानी के साथ इंसाफ कर रहे हैं। मैं आखिरी बात सिर्फ इतनी कहना चाहूँगा कि आज भारत की भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की 102वीं जन्म शताब्दी है। इससे बहुत पहले कि एनवायर्नमेंट और क्लाइमेट चेंज दुनिया में फैशनेबल हुआ, इसके ऊपर लोगों ने चर्चा शुरू की, स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने वर्ष 1972 में ह्यूमन एनवायर्नमेंट के ऊपर हुई युनाइटेड नेशन्स की पहली कांफ्रेंस में वे पूरी दुनिया में से इकलौती हैड ऑफ स्टेट थीं, जिन्होंने उस कांफ्रेंस में जाकर शिरकत की थी और यह बात दुनिया के सामने रखी कि यह जो हमारा वातावरण है, यह जो हमारी इकोलॉजी है, इसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। आज उनकी 102वीं जन्म शताब्दी के ऊपर उनको नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि इस रचनात्मक चर्चा के लिए आपने सदन में मौका दिया।

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी): अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हुए जहां मनीष तिवारी जी ने समाप्त किया है, मैं वहीं से शुरू करूंगा।

अध्यक्ष जी, यह समस्या पिछले सात-आठ सालों से हम भुगत रहे हैं, लेकिन आज तक पार्लियामेंट में इसकी डीप-रूटेड चर्चा नहीं हो पाई है। इस चर्चा के लिए आपने पहले ही हफ्ते में इमीडिएटली हमारी रिक्वेस्ट ग्रहण की और एक सेंसिटिविटी दिखाई और फ्लेक्सिबिलटी दिखाई कि जो कन्टेम्पररी इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को पहले एड्रेस करना चाहिए। इसके लिए मैं पूरे सदन की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष जी, जो विषय रखा गया है, वह बहुत ब्रॉड-बेस्ड है। यह मुद्दों का एक बहुत बड़ा सरगम है, यानी वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा।

इस सदन में पेरिस समझौते के बारे में पहले ही बात की जा चुकी है। मुझे लगता है, यह बहुत खेद की बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक, जलवायु परिवर्तन में दुनिया का सबसे बड़ा योगदानकर्ता जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ने अपने वर्तमान राष्ट्रपति श्री. डॉनल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में पेरिस समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया है।

इसे हमारे प्रधान मंत्री और हमारी सरकार, ने दलगत भावना से ऊपर उठकर स्पष्ट रूप से समर्थन दिया है। यह यू.पी.ए द्वारा किया गया था, और अब एन.डी.ए. द्वारा दुगुना किया गया था। यह हमारी सरकार के लिए अभिवादन का विषय है कि हमने पेरिस समझौते का पालन किया है। लेकिन यह बहुत शर्म की बात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो इस ग्रह पर सबसे बड़ा प्रदूषक है, ने बिना कोई कारण बताए इससे बाहर निकलने का फैसला किया है, और पूर्व उपराष्ट्रपति, गोर, जो दुनिया के अग्रणी पर्यावरणविदों में से एक हैं, द्वारा स्थापित एक महान विरासत को अब मंजूरी दे दी गई है।

श्री. अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से वे मुद्दे हैं जिन पर हमारा यहाँ कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए, मैं यहां उन पर पतला नहीं करना चाहता। मैं अपने मुद्दे को स्थानीय बनाना चाहूँगा जिसने यहां उपस्थित हम सभी को प्रभावित किया है, और यही कारण है कि आपने, बहुत कृपा करते हुए, फैसला किया कि यह बहस तुरंत होनी चाहिए।

मैं यहाँ श्री. तिवारी से पूरी तरह सहमत हूँ, जब वे कहते हैं कि पंजाब के किसानों की तरह, ऊपर के किसानों और हरियाणा के किसानों की पूरी तरह और अनावश्यक रूप से बुराई की गई है। हां, पराली जलाना एक समस्या है, यह भी एक कारक हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या नहीं है और एक प्रमुख योगदानकर्ता नहीं है - मैं इस सभा पटल में ऐसा कहना चाहता हूँ। आइए कुछ तिथियों को देखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में इस साल 8, 9 और 10 अक्तूबर के बीच पराली जलाना शुरू हुआ। दिवाली 27 अक्तूबर को थी। अचानक 27 तारीख की रात और 28 तारीख की सुबह दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता में खतरनाक गिरावट आई। इससे पहले दो सप्ताह से पराली जल रही थी। इसलिए, यह न कहें कि पराली जलाना प्राथमिक मुद्दा है। यह एक योगदानकर्ता है, लेकिन एक प्राथमिक मुद्दा नहीं है।

आज सुबह, मुझे माननीय वित्त मंत्री से मिलने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री। उन्होंने स्वच्छ भारत की दिशा में एक नम्र कदम उठाया है। इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं है। सभी दल इसे स्वीकार करते हैं। यह इस सरकार की सफलताओं में से एक रही है। एकल प्लास्टिक उपयोग को मिटाने का उनका मिशन फिर से होने जा रहा है, मेरे अनुसार, एक पाथ चेंजर, एक गेम चेंजर। मैंने उनसे निवेदन किया कि प्रदूषण पर लगाम लगाने, प्रदूषण को अपने हाथ में खत्म करने का काम उन्हें करना है क्योंकि उनके नेतृत्व के बिना, उनके समन्वय के बिना, वह पथ प्रदर्शक पथ दिखाने में सक्षम नहीं हैं, जो वह कर सकते हैं मुझे नहीं लगता कि कोई समाधान होने वाला है। इसे समाप्त किया जा सकता है; पराली जलाने का सरल समाधान है, आपको राज्यों से नहीं, बल्कि केंद्रीय किटी से किसानों को कुछ राजसहाय्यता देनी होगी, क्योंकि राज्यों के पास पैसा नहीं

है। यह तथ्य है, लेकिन केंद्रीय किट्टी से आप किसानों को मक्का, दाल आदि जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए आसानी से सब्सिडी दे सकते हैं।

मैंने दालों के समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए दिया कुमारी जी का भाषण पहले सुना था। आप ऐसा करें तो किसान शिफ्ट हो जाएंगे। यह किसानों के लिए सरल अर्थशास्त्र की बात है। किसान वहां जाएंगे जहां उनको अपनी आजीविका के लिए अवसर दिखेंगे। वह एक गरीब और सीमांत किसान है। उसे तो दो वक्त की रोटी चाहिए, मेहनत की रोटी चाहिए। उसको और कुछ नहीं चाहिए। उसको आप यदि थोड़ा सा सपोर्ट दे दें तो वह वैसे भी शिफ्ट कर लेगा। वह कहीं और स्थानांतरित हो जाएगा या आप किसानों को अपनी पराली का उपयोग बायोगैस में, कागज निर्माण में, कोजन में, बिजली में, कार्डबोर्ड निर्माण में करने का अवसर देंगे, लेकिन इसके लिए सरकार को इन संयंत्रों को लगाने की पहल करनी होगी। किसान इन संयंत्रों को नहीं लगा सकते हैं। सरकार को इन वैकल्पिक तंत्रों को स्थापित करके किसानों को अपना समर्थन देने में सक्षम होना चाहिए, ताकि दिल्ली और उसके आसपास पराली जलाना बंद हो जाए। हालांकि, मैं एक निवेदन करूंगा कि मैंने 31 दिसंबर को दुबई की आतिशबाजी देखी है। यह आतिशबाजी शानदार होती है। 10 मिनट के लिए, आधी रात को आतिशबाजी से आसमान पूरी तरह से जगमगा उठता है। किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता है। किसी तरह का प्रदूषण क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जिन आतिशबाजी का उपयोग करते हैं वे असाधारण रूप से अच्छे मानक के होते हैं। भारत में हमारी समस्या यह है कि दुर्भाग्य से यहां जो आतिशबाजी बनाई जाती है, वह बहुत खराब गुणवत्ता की होती है, बहुत सस्ती गुणवत्ता की होती है क्योंकि इसमें लागत में कटौती शामिल है। इसलिए, आप लागत में कटौती कर रहे हैं, लेकिन आप पटाखे जलाने को दोष देने जा रहे हैं। बेशक, दुर्भाग्य से चीन से सस्ते पटाखों की तस्करी की जा रही है, जिनमें सल्फर की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो, एक गंभीर समस्या है। मेरा मानना है कि आत्म संयम होना चाहिए।

जब उच्चतम न्यायालय ने पटाखे फोड़ने के लिए कुछ मानदंड और दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं, तो मेरा मानना है कि हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और आत्म संयम रखना चाहिए। दुर्भाग्य से, कोई आत्म

संयम नहीं रहा है। अब, यह उन मुद्दों में से एक है जिसके बारे में मुझे गंभीर चिंता है कि कोई आत्म संयम नहीं है। क्या हम चीन के रास्ते पर चलने वाले हैं? श्री तिवारी ने चीन के बारे में बात की। चीन ने अपनी हवा को साफ करने के लिए कुछ असाधारण कदम उठाए हैं और यही कारण है कि वह सफल रहा है। इसने देश के प्रदूषित क्षेत्रों, विशेष रूप से शहरों के करीब, कोयले से चलने वाले नए बिजली संयंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके मौजूदा संयंत्रों को उत्सर्जन कम करने के लिए कहा गया है और कोयले पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्हें प्राकृतिक गैस द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए कहा गया है। बड़ी संख्या में शहरों में कारों की संख्या को बहुत सख्ती से सीमित कर दिया गया है। यहां दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में, उबर और ओला ने हमारी सड़कों पर लगभग 65 प्रतिशत अधिक बोझ डाला है। इसलिए, कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है कि एन.सी.आर. क्षेत्र में अचानक किस तरह की कारें आई हैं जो पिछले 5-6 वर्षों में इतना ज़्यादा प्रदूषण पैदा कर रही हैं। इसलिए, किसानों को दोष देने के बजाय, हमें खुद को दोष देना चाहिए कि हम अब मेट्रो या बसों से यात्रा नहीं करना चाहते हैं। हर कोई ओला और उबर में यात्रा करना चाहता है और जल्दी से अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता है।

अब, आगे चीन ने क्या किया है? चीन ने वास्तव में पिछले साल सर्दियों में गर्म करने की प्रक्रिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था और वहां काफी ज़्यादा सर्दी होती है और शून्य से कम तापमान होता है। उन्होंने इसे घरों में प्रतिबंधित कर दिया है। घर में कोयले से चलने वाली हीटिंग नहीं है। लोगों को कष्ट सहना पड़ा लेकिन वे अपने पर्यावरण के लिए कष्ट सहने को तैयार हैं। उन्होंने अपनी कोयला फाउंड्री में कटौती कर दी है। उन्होंने अपने लौह अयस्क और इस्पात विनिर्माण में कटौती कर दी है। वे भारत से आयात करके खुश हैं। दरअसल, इस तेजी से भारतीय निर्यातकों को फायदा हो रहा है क्योंकि वे बड़े आयातक हैं। वे अपनी हवा को साफ कर रहे हैं जबकि हम अपनी हवा को गंदा कर रहे हैं। इसलिए, आपको कुछ अंतरिम कदम उठाने होंगे और इन अंतरिम कदमों में कुछ हानि, हमारे उद्यमियों के लिए कुछ निजीकरण भी शामिल है, लेकिन यह करना होगा और हमें इसकी कीमत चुकानी होगी।

मुझे इस सभा को यह भी याद दिलाना है कि 1952 के लंदन के ग्रेट स्मॉग के कारण 12,000 लोगों की मौत हो गई थी। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? लंदन की हवा इतनी खराब थी कि 12,000 लोग वहां मर गए। उनको कीमत चुकानी पड़ी थी। उन्होंने कठोर कदम उठाए और वे अपनी हवा को साफ करने में कामयाब रहे। मैं प्रधानमंत्री जी और आपके अत्यंत सक्रिय नेतृत्व वाली सरकार से आग्रह करूंगा कि पहला कदम केंद्र सरकार को उठाना होगा। ऐसा हर जगह एक साथ नहीं होगा। इस साल जर्मनी के चांसलर सबसे प्रदूषित दिनों में से एक दिन यहां थे। दूतावास में एक स्वागत समारोह था जहां मैं राजदूत से बात कर रहा था और वे वास्तव में यह पता लगाने में परेशान थे कि चांसलर को जल्द से जल्द यहां से कैसे निकाला जाए। सांस संबंधी बीमारियों के लिए आप जिस डॉ. के पास जाते हैं, वह कहता है कि इसका एक ही समाधान है "दिल्ली छोड़ दो"। यदि "दिल्ली छोड़ो" ही हमारी समस्याओं का एक रामबाण या एक समाधान होगा, तो यह बहुत ही खेदजनक स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय, एक बहुत पुरानी अमेरिकी मूल की कहावत है जो कहती है: "जब आखिरी पेड़ काट दिया जाएगा, आखिरी मछली पकड़ी जाएगी, आखिरी नदी जहरीली हो जाएगी, तभी हमें एहसास होगा कि कोई पैसा नहीं खा सकता है।" आज ट्विटर पर मेरी आलोचना की गई कि मुझे इस सभा में इस बहस का नेतृत्व करना है और मैं दिल्ली में उन कॉलोनियों के पुनर्विकास के लिए अपनी बात रखने के लिए यहां उपस्थित हूँ जिसके लिए पेड़ों को काटा जाना ज़रूरी है। लेकिन, मुझे यह कहना है कि सतत विकास ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। काटे गए प्रत्येक पेड़ के लिए, आपको 100 या 200 पेड़ लगाने होंगे। यही आगे बढ़ने का उपाय है। उपाय यह नहीं है कि 25,000 या 30,000 सरकारी कर्मचारियों को बिना आवास के छोड़ दिया जाए। वे इस देश की सेवा कर रहे हैं। इसलिए, मुझे जो बचाव पेश करना है, वह यह है कि वह भी उतना ही आवश्यक है जितना यह है। हां, आप सही कह रहे हैं कि हम पैसे नहीं खा सकते। लाभ ही सब कुछ नहीं है लेकिन यह लाभ के बारे में नहीं है, यह सतत विकास के बारे में है। यदि सतत विकास ही आगे बढ़ने का रास्ता है, तो, हम सभी को यह समझने के लिए मिलकर काम करना होगा कि यह प्रदूषण वास्तव में हमें प्रति

वर्ष लगभग 10.6 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचा रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रदूषण के कारण भारत को हर साल 70,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है? यह एक सामान्य अध्ययन प्रतिवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण के कारण हमारा आर्थिक उत्पादन वास्तव में दो प्रतिशत तक कम हो सकता है। इसका असर पूरे उत्तर भारत पर पड़ रहा है जो भारत के उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। इसलिए, हमें यह भी देखना होगा कि यदि दुनिया के दस शहरों में से सात या दुनिया के सबसे खराब 30 शहरों में से 22 भारतीय शहर होंगे, जैसा कि श्री तिवारी पहले ही कह चुके हैं, तो निश्चित रूप से उत्पादकता में कमी होगी। इसलिए, सरकार को माननीय अध्यक्ष की बात पर गौर कर इस मामले में तत्परता दिखानी होगी। सरकार को तुरंत इसका समाधान करना चाहिए। सरकार को इससे गंभीरता से, समर्पण के साथ निपटना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नवम्बर और दिसंबर के महीनों में हम जो झेलते हैं, वह साल-दर-साल न हो। विभिन्न राज्यों के बीच तथा केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच यह आरोप-प्रत्यारोप से किसी को फायदा नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा, यह भी गलत धारणा है कि हम पराली जलाने के लिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यू.पी. को दोषी मानते रहते हैं। मैं नहीं मानता कि यह चिंता का प्राथमिक कारण है। यह दिखाने के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य हैं कि यह प्राथमिक चिंता का विषय नहीं है। किसी भी स्थिति में, यदि कोई योगदान है, तो उस योगदान को भी माफ किया जा सकता है और समाप्त किया जा सकता है। इसलिए, आइए हम उस दिशा में काम करें। आइए हम एकाग्रचित्त होकर काम करें। अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में इस सभा में सभी प्रकार के विचार एक साथ आने चाहिए। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि सरकार का हाथ इस संबंध में मजबूत हो कि हम आगे बढ़ें और इस शर्मनाक प्रकरण को, जो अब एक महामारी बन चुका है, ऐसा न होने दें, या महामारी साल-दर-साल हमें और न घेर ले।

मैं आपका बहुत आभारी हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमें इनमें से कुछ समस्याओं को इस सदन के समक्ष रखने का अवसर दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस सत्र के दूसरे दिन ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने सदन में चर्चा रखी। यह मुद्दा ऐसा है, जिस पर हमारे देश का भविष्य टिका है। हम अस्पतालों में जा कर देखते हैं तो 30-30 साल की उम्र के बच्चों को कैंसर हो रहा है। आज वायु प्रदूषण एक बड़ी बीमारी बन गया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि दिल्ली मोस्ट पॉल्युटेड सिटी बन चुका है, जब रिर्पोट में भी आया कि आज देश का सबसे ज़हरीला पानी दिल्ली में मिलता है। आप सबको यह सुन कर हैरानी होगी कि दिल्ली की सरकार का इस साल का जो विज्ञापन का बजट है, वह 600 करोड़ रुपये है। जब 600 करोड़ रुपये के विज्ञापन दिल्ली में लगने शुरू हुए, ईवन-ऑड का जो दिल्ली में विज्ञापन लगा वह 70 करोड़ रुपये का लगा। जब इतने विज्ञापन लगे, यह सैशन जब शुरू हुआ, देश भर के सांसद दिल्ली में आए, मुझे लगता है कि मनीष तिवारी जी और पिनाकी मिश्रा जी ने जो आज नियम-193 में यह इश्यु रखा, बहुत सारे लोगों को खांसी हुई होगी, बहुत सारे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई होगी। जब बार-बार यहां पर यह इश्यु उठाया जा रहा है, मनीष तिवारी जी ने भी जो कारण बताए, पिनाकी मिश्रा जी ने जो सारे कारण बताए, उसमें सबसे लीस्ट रीज़न पराली है।

<u>अपराह्न 04.16 बजे</u> (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी *पीठासीन हुए*)

जो आपने सबसे बड़ा कारण बताया है, वह व्हीकल्स है। उसके बाद डस्ट कारण है,और जो जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वहां से जो गैसेज़ निकलती हैं, वह कारण है। जो हमारे ट्रैफिक का कंजेशन है, वह भी एक कारण है। मेरे आगे धर्मवीर जी बैठे हैं, वे भी मेरे पास आए, उन्होंने भी पराली के बारे में मुझे कुछ बोलने के लिए कहा। राहुल कास्वां जी ने भी पराली के बारे में कहा। ये क्यों पराली के बारे में बोल रहे हैं?

क्योंकि आज दिल्ली का मुख्य मंत्री 600 करोड़ रुपये का विज्ञापन दे कर पराली-पराली चिल्ला रहा है और जो उसके अपने काम थे, उनको करने की बजाय वह सारा दोष हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों के ऊपर डाल रहा है। जो सबसे बड़ा कारण है व्हीकल, क्या आपने उसके बारे में बोला? नहीं बोला। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल गैसेज़ हैं, जो डस्ट है, उसके बारे में बोला? नहीं बोला। शहर के अंदर बैठ कर, भारत की राजधानी के अंदर बैठ कर गांव वालों को गलत बोलना और गांव वालों के बारे में बोलना कि वे प्रदूषण फैला रहे हैं, यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। गांव और शहर की दूरी को बढ़ाना किसी भी राजनीतिक पक्ष में नहीं हो सकता है। मगर दिल्ली का मुख्य मंत्री जो है, न उसका कोई इतिहास है, न उसका कोई भविष्य है। वह एक दांव खेल रहा है। 600 करोड़ रुपये का विज्ञापन दे कर वह एक दांव खेल रहा है और जो उसके प्रदूषण की अपनी जिम्मेदारी थी, उसको पूरा नहीं कर रहा है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि साल के 365 दिनों में से 200 दिन दिल्ली में सीवियर एयर पॉल्युशन होता है, मगर पराली अगर कहीं जलती है तो वह केवल 40 और 50 दिन जलती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 150 और 160 दिन दिल्ली के लोग जो सांस नहीं ले पाते हैं, वह पॉल्युशन कहां से आता है? वह पॉल्युशन दिल्ली के व्हीकल्स से आता है। अभी ऑड-ईवन चला, जिसमें कारों को बंद कर दिया गया और सारे टू-व्हीलर्स चल रहे थे, बाकी जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, वे चल रहे थे। सन 2004 में जहां दिल्ली में 40 लाख व्हीकल्स थे, आज सन् 2019 में दिल्ली में एक करोड़ दस लाख व्हीकल्स हैं। यह जो 70 लाख व्हीकल्स बढ़े, ये किसके कारण बढ़े? क्योंकि पिछले दस सालों में दिल्ली परिवहन निगम ने दिल्ली में एक भी नई बस नहीं खरीदी है, इस कारण से बढ़े हैं। सन 2014 में जब दित्ल्ली में राष्ट्रपति शासन था, तब हमारी सरकार ने दिल्ली सरकार को बजट दिया था, भारत सरकार ने यहां पर, इसी सदन ने सन् 2014 में दिल्ली का बजट पढ़ा गया था, साढ़े 12 सौ करोड़ रुपये दिए गए थे।

मैं पॉल्यूशन के एक-एक कारण के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हमने 1,250 करोड़ रुपया दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज दिल्ली में 5 हजार बसें हैं, जबकि 15 हजार बसों की जरूरत है। 10 हजार बसें नई खरीदनी चाहिए, मगर दिल्ली सरकार ने पिछले 5 सालों में एक भी नई बस नहीं खरीदी। पिछले 3 महीनों

में उसने 100 बस खरीदने का जो... *किया और उसने 1,250 करोड़ रुपया अपने पास 5 साल के लिए रखा। दिल्ली सरकार उस पैसे का ब्याज और वह सारा पैसा अपने विज्ञापनों के ऊपर खर्च करती रही। दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को दिल्ली सरकार ठीक नहीं कर पाई। इसलिए दिल्ली की जनता ने टू-व्हीलर खरीदे और इसी वजह से 70 लाख वाहन दिल्ली की सड़कों पर उतरे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ा रीजन है, वह ट्रैफिक कंजैशन का है। हम सब सांसद जब इस लुटियन दिल्ली से बाहर निकलते होंगे, यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर जाते होंगे तो आपको दिखाई देता होगा कि सारी सड़कों पर जाम लगा रहता है। पिछले 5 सालों में दिल्ली का मुख्य मंत्री अपने इनिशिएटिव से दिल्ली में एक भी सिंगल सड़क का निर्माण नहीं कर पाया। पिछले 15 सालों में जो कांग्रेस की सरकार रही, शीला दीक्षित जी की सरकार रही, वे जो सड़कें बनाकर गईं, जो फ्लाईओवर बनाकर गईं, उनकी शुरूआत करके गईं, आज दिल्ली का मुख्य मंत्री उन सारी सड़कों और फ्लाईओवर्स को भी पूरा नहीं कर पाया। दिल्ली के मुख्य मंत्री ने एक भी सड़क अपनी योजना से नहीं बनाई।... (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। यह बहुत ही शर्म की बात है।... (व्यवधान) यह दिल्ली भारत की राजधानी है। हम सभी सांसद इस बात को अपने दिमाग में डाल लें कि यह दिल्ली भारत की राजधानी है, कैपिटल है और आप सभी 365 दिन में से 200 दिन इस दिल्ली में रहते हैं।... (व्यवधान) अभी हम चेंज दी कैपिटल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।... (व्यवधान) हम दिल्ली के पॉल्यूशन पर चर्चा कर रहे हैं। आज शीला दीक्षित जी हमारे बीच में नहीं हैं। अगर मैंने शीला दीक्षित जी के दो अच्छे काम बता दिए, उसमें भी कांग्रेस वालों को दिक्कत हो रही है, तो यह बहुत ही शर्म की बात है। जो दिल्ली की सरकार वाली आम आदमी पार्टी का एकमात्र सांसद पंजाब का है, आज एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर हो रही चर्चा में वह भी संसद में मौजूद नहीं है, यह भी बहुत शर्म की बात है। मैं भगवंत मान जी से पूछना चाहता था कि वे पराली के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, उनकी सोच क्या है? जब दिल्ली का मुख्य मंत्री बार-बार कहता है कि पराली पंजाब में जलायी जा रही है और उन क्षेत्रों में जलायी जा रही है, जहाँ पर 24 विधायकों में से 19 विधायक आम

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आदमी पार्टी के हैं, जब उस क्षेत्र में पराली जलती है, तो क्या दिल्ली का मुख्य मंत्री अपने आम आदमी पार्टी के विधायकों से यह कहता है कि वहाँ पर पराली न जलायी जाए। वहाँ पराली जल रही है, इनका सांसद यहाँ चर्चा में मौजूद नहीं है और ये दिल्ली में गरीब जनता के खून-पसीने के टैक्स के पैसे से 600 करोड़ रुपये का विज्ञापन कर रहे हैं। मैं कह रहा था कि एक भी सड़क/फ्लाईओवर पिछले 5 साल में नहीं बना। जो कुछ बना, जो पिछली सरकार के काम थे, उनको मुख्य मंत्री पूरा कर रहे हैं।

दूसरा कारण यह है कि जो दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, मैं पूछना चाहता हूँ क्या दिल्ली के मुख्य मंत्री ने 5 साल में दिल्ली में कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, क्या उन्होंने कोई एक्शन-टेकन रिपोर्ट बनाई? वर्ष 2018 में ईवन-ऑड पॉलिसी लागू नहीं हुई थी। अगर आप वर्ष 2018 का नवम्बर का महीना उठाकर देखें और आज के नवम्बर के महीने से उसकी तुलना करें, तो आपको लगेगा कि वर्ष 2018 के नवम्बर में आज के दिन से कम पॉल्यूशन था। इसका कारण केवल पराली नहीं हो सकता है। उसका कारण है कि दिल्ली के मुख्य मंत्री ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पहले साढ़े चार साल वह बोलता रहा कि 'मुझे प्रधान मंत्री काम नहीं करने दे रहे,' 'मुझे दिल्ली का एल. जी. काम नहीं करने दे रहा।' पिछले छ: महीने में उसे सब काम करने दे रहे हैं। वह सारी चीजें मुफ्त में बाँट रहा है। आज उसने दिल्ली को जो दिया है कि पांच साल पहले अकेला ... *खाँसता था, आज पूरी दिल्ली खाँस रही है। आज अगर ... * ने दिल्ली को दिया है तो उसने दिल्ली को फ्री में पॉल्यूशन दिया है।

माननीय सभापति: प्रवेश सिंह जी, नाम नहीं लीजिए।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: ... * पहले अकेला खाँसता था, अब पूरी दिल्ली खाँसती है और सारे सांसद भी खाँसते हैं।

माननीय सभापति: वह शब्द डिलीट हो जाएगा।

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: दिल्ली में अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज हैं। पाँच सालों में क्या दिल्ली के मुख्य मंत्री ने अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज में कुछ किया? आज दिल्ली में जहां पर सड़क नहीं बनी हुई हैं, वहां जो गाड़ियां चलती हैं और उससे जो डस्ट उड़ती है, वह दिल्ली में प्रदूषण का बड़ा कारण है। क्या दिल्ली के मुख्य मंत्री ने अपनी सारी सड़कों का निर्माण किया? सारी अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज, 1800 अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज में जो सड़कें टूटी हुई हैं, जहां पर उसने ... * सीवर लाइन डालने का ... * किया, क्या उसने वहां पर कुछ विकास किया? अगर उन अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को पिछले बीस सालों में किसी ने पास किया तो उसे हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को पास किया और दिल्ली की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया क्योंकि वहां पर जो डस्ट उड़ती है, वह प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है**I... (**व्यवधान)

मैं दिल्ली पर बोलूं या नहीं बोलूं?... (व्यवधान) दादा तो बोलेंगे क्योंकि उनकी ... *उनके पास उनसे मिलने के लिए समय है, लेकिन दिल्ली के एम.पीज. से मिलने के लिए समय नहीं है। पिछले पांच सालों में दिल्ली का मुख्य मंत्री हमसे कभी नहीं मिला, न हमसे बात की, … * उनसे मिलने पहुंच जाता है, बनारस में चुनाव लड़ने चला जाता है।

माननीय सभापति: प्रवेश जी, आप दिल्ली सरकार के बारे में बोलिए, मुख्य मंत्री का नाम मत लीजिए।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: सर, आज जो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, वह एक बहुत बड़ा कारण है। दिल्ली सरकार द्वारा एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। काँग्रेस की सरकार में जो योजना बनी थी, वह फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। जब हम वहां पर गए तो वहां पर कोई नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा था। वहां पर डस्ट उड़ रही थी, सीमेन्ट उड़ रहा था, बजरी उड़ रही थी। हमने देखा कि जहां दिल्ली में सारे होर्डिंग्स लग रहे हैं, अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, वहीं दिल्ली सरकार अपने नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

है। एक सर्वे हुआ है, उसमें यह बताया गया है कि दिल्ली में ऐसे 36 प्रतिशत लोग हैं, जो दिल्ली को छोड़ कर जाना चाहते हैं। दिल्ली में एयर प्यूरीफायर्स की बिक्री बढ़ गई।

अभी हमने एक हफ्ते पहले देखा कि दिल्ली का मुख्य मंत्री एक बड़ा सरकारी कार्यक्रम करता है और वहां पर बच्चों को मास्क्स बांट रहा है और वे मास्क्स बांट रहा है, जिनके बारे में एम्स अस्पताल कह रहा है कि यह मास्क आदमी के अंदर प्रदूषण को जाने से नहीं रोक सकता है। वह मास्क दिल्ली का मुख्य मंत्री बांट रहा है। ... *ने 50 लाख मास्क्स का ऑर्डर किया, बिना टेन्डर के ऑर्डर किया। उसका रेट निर्धारित नहीं था। इसमें करोड़ों रुपये का घोटाला ... * ने किया। 50 लाख मास्क्स बांटने का मतलब है कि दिल्ली के हर चौथे आदमी को उसने मास्क दिया होगा, मगर हम दिल्ली में घूमते हैं, हमें कोई मास्क पहने नजर नहीं आता। वह मास्क, जिसके बारे में एम्स ने कहा, सारी रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि यह मास्क प्रदूषण को नहीं रोक सकता, दिल्ली का मुख्य मंत्री उस मास्क को बांट कर अपने फेल्योर का सर्टिफिकेट बच्चों के मुँह पर लगा रहा है कि मैं पांच साल फेल हो गया, यह मैं सर्टिफिकेट बांट रहा हूँ।

महोदय, आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अगर हरियाणा में, पंजाब में किसान पराली जलाते हैं तो क्या दिल्ली के मुख्य मंत्री को पूरे साल कभी याद आया कि वह वहां पर जाकर बात करे, वहां पर जाकर किसानों से बात करे, वहां जाकर वहां की सरकारों से बात करे? क्या उसको इस बारे में होश आया कि वह हमारे प्रधान मंत्री से जाकर बात करें कि दिल्ली में प्रदूषण हो गया है। उसको इस बारे में होश नहीं था। दिल्ली में ईवन-ऑड की स्कीम और 70 करोड़ रुपये का बजट प्रचार के ऊपर इसलिए खर्च किया गया, क्योंकि दिल्ली में चुनाव आने वाला है। वह दिल्ली के चुनाव में राजनीति कर रहा है। वह दिल्ली के गरीब लोगों के साथ राजनीति कर रहा है। दिल्ली में 4,000 बसें हैं। जब ईवन-ऑड की स्कीम आई, तो हमारे दिल्ली के

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

मुख्यमंत्री ने 2,000 प्राइवेट बसों का ऑर्डर किया। वे बसें भी उसको नहीं मिलीं, केवल 1,000 बसें मिलीं। दिल्ली में 1,000 बसें इसलिए मिली, क्योंकि उसने लेट ऑर्डर किया। उसके पास पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। आने वाले 10-20 सालों में दिल्ली की क्या स्थिति होगी, उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है।

मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ और आपको भी बड़ी हैरानी होगी। देश का पहला ऐसा मुख्य मंत्री है, जिसके पास कोई विभाग नहीं है। उसने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा। उसने सारे विभाग अपने मंत्रियों को दे दिया। ... (व्यवधान) यह तो बहुत बड़ा प्रदूषण है।*... (व्यवधान)

उसने कोई विभाग अपने पास नहीं रखा। मैं आपको बता रहा हूँ और उसी प्वाइंट पर आ रहा हूँ।... (व्यवधान) दादा, आप पूरी बात सुने बिना न बोलिए, आप पेशेन्स रखिए। उनके पास बाई डिफॉल्ट एक ही विभाग है। वह दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन है। ऐसा संविधान में है कि दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन वही होगा, जो दिल्ली का मुख्य मंत्री होगा। उसने कोई विभाग अपने पास नहीं रखा है।

मैं यह भी आरोप लगाता हूँ कि पिछले पांच साल में दिल्ली की सरकार ने दिल्ली में हजारों पेड़ कटवा दिए और दिल्ली सरकार के आदेश से पेड़ कटे। दिल्ली का जो ... * है, उसने भ्रष्टाचार किया। उसने अपने पास कोई विभाग क्यों नहीं रखा, क्योंकि जब अगले साल जेल जाएंगे, तो इनके मंत्री जेल जाएंगे, वह जेल नहीं जाएंगे, इसलिए उसने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा।

परंतु, उसके पास एक विभाग जो बाई डिफॉल्ट है, वह दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन है। इसके ऊपर यह रिपोर्ट आई है कि भारत का जो सबसे प्रदूषित पानी है, उसे दिल्ली में लोगों को पिलाया जा रहा है। उससे वह बच नहीं सकता। आज मनीष तिवारी जी ने यमुना की सफाई की बात कही।... (व्यवधान) मैं यमुना की सफाई की बात करता हूँ, क्योंकि दिल्ली में हमारी यमुना नदी है।

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

आज मैं सारे सांसदों को कहता हूँ कि आप लोग एक बार यमुना को जाकर देख लीजिए। वहां पर दिल्ली का ऐसा कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, जिसका पानी वहां पर न जाता हो। बिना ट्रीटमेंट के वहां पानी जाता है। इसके लिए कांग्रेस की सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये खर्च किया था। दिल्ली के मुख्य मंत्री ने 1,200 करोड़ रुपये खर्च किया। कुल 3,200 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी इंडस्ट्रियल एरिया का वाटर बिना ट्रीटमेंट के यमुना में जाता है। वहां पर कोई रह नहीं सकता है। वहां पर कोई खड़ा नहीं हो सकता है। दिल्ली को पानी कैसे मिलेगा, दिल्ली को हवा कैसे मिलेगी, मैं दिल्ली का सांसद हूँ, इसलिए यह केवल मेरी चिंता नहीं है, बल्कि हम सभी की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी 365 दिन में से 200 दिन पार्लियामेंट की कमेटियों की बैठक, पार्लियामेंट सेशन और छुट्टी बिताने के लिए दिल्ली में रहते हैं। हम सभी यहां रहते हैं, इसलिए हम सभी को दिल्ली के लिए चिंता होनी चाहिए। हम सभी सांसदों को अपने-अपने एमपी फंड में से दो-दो करोड़ रुपये दिल्ली में एयर प्यूरीफायर टावर तथा स्मॉग क्लीनर टावर लगाने के लिए देना चाहिए, क्योंकि आप यहां का पानी पीते हैं।... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप कैपिटल चेंज करवा दीजिए। ... (व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: जब कैपिटल चेंज हो जाएगी, तो मैं उस कैपिटल में दो करोड़ रुपये दे दूंगा, लेकिन अभी आप दीजिए। एक व्यक्ति अपने दोस्त के घर गया। उसने उसके सेकेंड क्लास के बच्चे से पूछा कि 8 प्लस 8 कितना होता है? उसके बेटे ने बोला 12, तो व्यक्ति ने बोला, बहुत बढ़िया। उसने कहा कि 8 प्लस 8 तो 16 होता है, तुम 12 पर इतनी बधाई क्यों दे रहे हो? वह बोलता है कि पहले यह 10 बोलता था, अभी 12 बोलता है, थोड़ा पास में आ गया। दिल्ली का मुख्य मंत्री साढ़े 4 साल बोलता रहा कि प्रधान मंत्री काम नहीं करने दे रहे, दिल्ली के एलजी काम नहीं करने दे रहे। अब वह बोलता है कि हरियाणा, पंजाब की वजह से मैं दिल्ली का प्रदूषण ठीक न हीं कर पा रहा। क्या उससे कोई पूछेगा, जो आपके काम थे, आपको इंडस्ट्रियल एरिया को ठीक करना था, दिल्ली की अनऑथराइज्ड कालोनी में सड़क बनानी थी, फ्लाई ओवर बनाने थे, सड़कों का निर्माण करना था, लोगों के घरों में साफ पानी देना था, क्या आप अपने काम के

ऊपर भी कुछ बोलेंगे? क्या 600 करोड़ रुपये ऐड पर खर्च करके, बार-बार ... .* बोल कर दिल्ली के लोगों को यह महसूस कराना कि सारा प्रदूषण पराली की वजह से हो रहा है। भारत सरकार, पंजाब की कांग्रेस सरकार, हरियाणा की सरकार, हमारे एनवायर्नमेंट मिनिस्टर प्रकाश जी यहां बैठे हुए हैं, ये सारे मिलकर कदम उठा रहे हैं और हम अपनी गलतियों को मानते हैं। केन्द्र सरकार ने दिल्ली में क्या-क्या काम किए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिल्ली का मुख्य मंत्री कहता है कि ईस्टर्न-वेस्टर्न पैरीफेरल रोड की वजह से दिल्ली का कंजैशन खत्म हुआ। वह ईस्टर्न-वेस्टर्न पैरीफेरल रोड किसने बनाई? वह भारत सरकार ने बनाई। 60 हजार जो बड़े ट्रक हैं, कामर्शियल व्हीकल है, आज वे दिल्ली के बार्डर से निकल जाते हैं, दिल्ली में प्रवेश नहीं करते हैं। उसका श्रेय किसको जाना चाहिए? वह काम केन्द्र सरकार ने किया। भारत सरकार ने द्वारका एक्सप्रेस-वे का काम शुरू किया, भारत सरकार ने यूआईए 2 बनाने का काम शुरू किया। हमारे गडकरी जी ने, आप सभी एयरपोर्ट जाते होंगे, वहां पर धौलाकुआं का लूप बना कर और सारी सड़क को चौड़ा करके अंडर पास बना करके उन्होंने दिल्ली के ट्रैफिक को एक अच्छी स्मूथनेस देने की कोशिश की, मगर इसका क्रेडिट भी दिल्ली का मुख्य मंत्री लेता है। जो एनएच 24 का 8 लेन का हाईवे है, वह हमारी सरकार ने बनाया। तीन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हमारी सरकार ने बनाए। पराली के प्रदूषण को कम करने के लिए हमारी सरकार ने कदम उठाए। दिल्ली में बीएस -6 को लागू किया, मगर दिल्ली के मुख्य मंत्री ने सरकार बनते ही पेट्रोल, डीजल के ऊपर जो 20 पर्सेंट वैट था, उसको बढ़ाकर 30 पर्सेंट कर दिया, जिससे बार्डर के जितने व्हीकल्स हैं, वे दिल्ली में अपना पेट्रोल, डीजल नहीं लेते। वे आज भी बीएस -5 का, जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, वहां पर जाकर डीजल, पेट्रोल लेते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। उनको 30 पर्सेंट वैट को घटाकर 20 पर्सेंट करना चाहिए। हमारी सरकार ने दिल्ली में बीएसस-6 लागू किया।

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

दिल्ली में 4 लाख झुग्गी-झोपड़ियों में जो महिलाएं चूल्हा जलाती थीं, कोयला जलाती थीं, केरोसीन जलाती थीं, लकड़ी का चूल्हा जलाती थीं, उन 4 लाख महिलाओं को हमारे प्रधान मंत्री ने, हमारी सरकार ने गैस का कनेक्शन दिया। ये सारे कदम हमारी सरकार ने उठाए। क्या दिल्ली के मुख्य मंत्री ने एक भी कदम उठाया? कोई कदम नहीं उठाया।

मैं इस सदन से कहता हूँ कि इस विषय के ऊपर राजनीति से परे होकर, जैसा हमारे स्पीकर साहब ने कहा था ... (व्यवधान) राजनीति से ऊपर उठकर हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ... (व्यवधान) आपके बच्चे भी संस्कृति स्कूल में पढ़ते हैं, आपके बच्चे माडर्न स्कूल में पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कम से कम उनके बारे में सोच कर यह सदन कोई अच्छे कदम उठाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन (चेन्नई दक्षिण):माननीय सभापति महोदय, वायु प्रदूषण पर इस चर्चा में मुझे भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं वायु प्रदूषण के बारे में अपनी चर्चा कोलरिज की 'द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर' की प्रसिद्ध पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगा। ये पंक्तियाँ इस प्रकार हैं:

पानी, पानी, हर जगह, और सभी बोर्ड डूब गए,
पानी, पानी, हर जगह, न ही पीने के लिए कोई
बूंद।

इस कविता का आधुनिक संस्करण होगा:

हवा, हवा, हर जगह, प्रदूषित, हमारे फेफड़े
सिकुड़ जाएंगे, हवा, हवा, हर जगह, हर जगह
ऑक्सीजन बार से सावधान रहें।

चिंताजनक बात है ना माननीय सभापति ?

अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता डेटा के प्रमुख स्रोत एयर विज़ुअल के अनुसार, दुनिया के 25 सबसे प्रदूषित शहरों में से 20 भारत में हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ता वायु प्रदूषण हम सभी के लिए चिंता के साथ-साथ बहुत बड़ी परेशानी का विषय भी है। लेकिन यह दुःख की बात है कि सरकार संभवतः दीर्घकाल में कोई स्थायी और निवारक समाधान खोजने के बजाय अस्थायी उपाय करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है।

दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक इंगित करता है कि नवम्बर के महीने के दौरान पी.एम. 2.5 सांद्रता 500 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक होगी जो एक खतरनाक संकेत है। ये पी.एम. 2.5 स्तर बेहद हानिकारक हैं क्योंकि वे सीधे हमारे मानव रक्षात्मक तंत्र जैसे छींकने, निगलने के साथ-साथ अन्य अनैच्छिक मानव तंत्र के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं। वे हमारे श्वास में प्रवेश कर सकते हैं, और वे आसानी से हमारे रक्त धाराओं में आ सकते हैं जिससे एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ फेफड़े को नुकसान पहुंच सकता है। तो, खतरे की घंटी पहले ही बज चुकी है। मैं इस महती सभा का ध्यान मुद्दे की गंभीरता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार को भी उचित उपाय करने और जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ वायु प्रदूषण से संबंधित कड़े कानून लाने के लिए राजी करना चाहूँगा।

दिल्ली में ऐसा नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार, हाल के दिनों में मनाली और चेन्नई में ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कण बढ़ रहे हैं। यह मेरे लिए व्यक्तिगत चिंता का विषय है। 17 नवम्बर को तमिलनाडु में मेरे दक्षिण-चेन्नई निर्वाचन क्षेत्र के वेलाचेरी में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पूरे दिन स्थायी प्रदूषक रहा। यह पूरे दिन प्रमुख और स्थायी प्रदूषक बना रहा और पीएम 2.5 का स्तर लगभग 46 से 67 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। तमिलनाडु में अलंदुर डिपो में, यह पूरे दिन 110 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक रहा। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने बिना कोई उचित कदम उठाए बैल को सींग से उठाने के बजाय उसकी उपेक्षा की। उसे न तो स्थिति की गंभीरता की जानकारी

है और न ही यह कोई स्थायी और निवारक उपाय कर रही है। इसके विपरीत, जब हमारी पार्टी के नेता डॉ. कलैग्नार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री एम.के. स्टालिन उप मुख्यमंत्री थे, चेन्नई में कई लंग स्पेस बनाए गए। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि वर्तमान राज्य सरकार को, पर्यावरण को वायु प्रदूषण के साथ-साथ ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से बचाने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉ. कलैग्नार के साथ-साथ हमारी पार्टी के नेता श्री एम.के. स्टालिन से भी सीख लेनी चाहिए।

मैंने पहले ही कहा था कि यह एक स्थानीय मुद्दा नहीं है, बल्कि एक वैश्विक मुद्दा है। अब जब भारत को जॉर्जिया और बांग्लादेश के साथ सबसे प्रदूषित देशों की सूची में शीर्ष पर रखा गया है, तो हमें इसे स्वास्थ्य आपातकाल की तरह अत्यंत आवश्यकता के साथ उठाने की आवश्यकता है। यह केवल दिल्ली या मनाली या चेन्नई से संबंधित एक क्षेत्रीय समस्या भी नहीं है। यह कल के युवाओं की समस्या है, आज के साथ-साथ कल के बच्चों की भी समस्या है। यह हमारी भावी पीढ़ी की समस्या है। हम कहते हैं कि राष्ट्र के भाग्य को उस तरीके से जाना जाता है जिस तरह से वह अपने वरिष्ठ नागरिकों के साथ-साथ अपने बच्चों के साथ भी व्यवहार कर रहा है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार, से आग्रह करता हूँ कि जो बच्चे राष्ट्र की संपत्ति हैं, उनकी स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएं।

हमारे आदरणीय सदस्य, श्री मनीष तिवारी जी ने भी चीन को एक ट्रेंड सेटर के रूप में बताया था। उस मार्ग में, मैं सभा का ध्यान लंदन के मेयर के पद पर रहते हुए 2016 में श्री सादिक खान के प्रवृत्तिनिर्धारित रवैये और श्री सादिक खान द्वारा उठाए गए उपायों की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। उन्होंने शहर की प्रदूषण दर को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करते हुए कहा कि प्रदूषण के हॉटस्पॉट में रहने वाले और पढ़ने वाले बच्चे अविकसित और अविकसित फेफड़ों के साथ बड़े हो रहे हैं।

इसलिए, यह केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि अत्यंत आपातकाल का स्वास्थ्य मुद्दा है। उन्होंने यही कहा था और पर्यावरण और ऊर्जा के लिए उनकी उप महापौर मैडम शर्ली रोड्रिग्स के साथ, उन्होंने शहर की पहली समेकित पर्यावरण रणनीति प्रकाशित की, जिसका लक्ष्य लंदन को हरा-भरा, ठंडा

और भविष्य के लिए तैयार करना था। संभवतः, उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी कहावत से संकेत लिया होगा कि "हमें यह पृथ्वी अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार ली है"। लंदन इसे कब ले सकता है, दिल्ली और चेन्नई क्यों नहीं? लेकिन यह हजारों मील की यात्रा है।

मेरे पास इस सदन के साथ साझा करने के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा है। भारत में वायु प्रदूषण से हर साल लगभग 1.5 मिलियन लोगों के मारे जाने का अनुमान है। यह भारत का पांचवां सबसे बड़ा हत्यारा है। डब्ल्यू.एच.ओ. के अनुसार, भारत में श्वसन रोगों और अस्थमा से दुनिया में सबसे अधिक लोगों की मृत्यु होती है।

दिल्ली में, हवा की खराब गुणवत्ता अपरिवर्तनीय रूप से सभी बच्चों के 2.2 मिलियन या 50 प्रतिशत के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। हमें जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए युद्ध स्तर पर अत्यधिक आपातकालीन उपाय अपनाने होंगे ताकि हम अपनी भावी पीढ़ी को एक अत्यंत सुरक्षित धरा दे सकें?

2017 में दिल्ली के एक महान धुंध के बाद, वायु प्रदूषण पिछले दो वर्षों में स्वीकार्य स्तर से कहीं अधिक फैल गया है। pm 2.5 और pm 10 पार्टिकुलेट मैटर का स्तर 999 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया, जबकि उन प्रदूषकों के लिए सुरक्षित सीमा क्रमशः 60 और 100 हैं।

(माननीय सभापति , दिल्ली को गैस कक्ष के रूप में वर्णित किया गया है। मुझे विशेष रूप से हवा, पश्चिम हवा के बारे में शेली की रेखा की याद दिलाई जाती है, जो हवा के लिए भी बहुत अच्छी तरह से उपयुक्त हो सकती है। उन्होंने कहा, “जंगली आत्मा जो हर जगह घूम रही है, विनाशक और संरक्षक; सुनो, हे सुनो!”

दिल्ली में, हवा संरक्षक के बजाय एक विध्वंसक है। 999 का वायु गुणवत्ता सूचकांक, महोदय, एक दिन में 45 से 50 सिगरेट पीने के बराबर है। यह बहुत ही चिंताजनक है। एक अध्ययन के अनुसार, दिल्ली के नागरिक औसतन नौ साल तक जीवित रहेंगे, अगर दिल्ली वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करती है।

बिल्ली के बारे में लोकप्रिय मिथक यह है कि हर बिल्ली के पास नौ जीवन हैं। क्या हमारा अपना व्यक्ति उन अतिरिक्त नौ वर्षों के लिए हकदार नहीं हो सकता है? सरकार को इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर अत्यधिक सावधानी के साथ खड़े कानूनों के साथ काम करना चाहिए तथा निवारक तरीकों को भी अपनाना चाहिए।

वायु प्रदूषण के कुछ कारणों पर ध्यान देना, मैं समझता हूँ कि वाहन उत्सर्जन, लकडी जलाने की आग, कृषि भूमि पर आग लगना, डिजल जनरेटरों से निकास, निर्माण स्थलों से धूल, कचरा जलाना और दिल्ली में अवैध औद्योगिक गतिविधियाँ बेतरतीब कारक हैं, लेकिन बेजुबान फायरवर्क विनिर्माताओं को दोषी ठहराना बहुत उचित नहीं है। मैं तमिलनाडु से आता हूँ और मेरा गांव शिवकाशी के बगल में है, जो मुख्य रूप से फायरवर्क उद्योग पर पनपता है और सिर्फ फायरवर्क निर्माताओं को दोष देना बहुत उचित नहीं है क्योंकि हम कृषि अपव्यय को जलाने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। भलस्वा लैंडफिल में आग जैसे कई अन्य कारक हैं, जो इसका कारण है।

मैं बस प्रणाली में कुछ खामियों और कमियों का उल्लेख करना चाहूँगा। पीएम 2.5 को मापने के लिए उच्च परिमाण नमूने नामक मशीनों का उपयोग भारत में मानक के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, डेटा हेरफेर भी है क्योंकि राज्यों के अधिकांश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पुराने डेटा प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, ओडिशा की वेबसाइट पर 2006 डेटा है। गुजरात 2009-2010 के लिए वार्षिक औसत देता है। कोई सटीक आंकड़ा नहीं दिया गया है, और अब तक केवल औसत आंकड़े दिए गए हैं।

एक और महत्वपूर्ण तथ्य, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह यह है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अक्तूबर, 2018 में एक शोध पत्र प्रकाशित किया है जिसमें वाहनों के उत्सर्जन के लिए लगभग 41 प्रतिशत; धूल पर 21.5 प्रतिशत; और उद्योगों के लिए 18 प्रतिशत का श्रेय दिया गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के निदेशक ने आरोप लगाया कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल

मैन्युफैक्चरर्स प्रतिवेदन के खिलाफ पैरवी कर रही है क्योंकि यह ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए असुविधाजनक है। इसलिए, यह एक बहुत ही गंभीर कारक है, जिसकी ओर मैं सरकार से ध्यान देना चाहूँगा।

इसके अलावा, भारत सरकार हमारे पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा, निर्धारित तरीकों को अपनाने में, अनुकरणीय तोते की तरह है। उदाहरण के लिए, कुछ मशीनें केवल तभी काम करती हैं जब तापमान 25 और 35 डिग्री के बीच हो, जो भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश के लिए उपयुक्त नहीं है।

महोदय, कृपया मुझे बोलने के लिए दो मिनट का समय दें। मुझे कुछ सुझाव और प्रश्न मिले हैं। मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। आसपास अन्य राज्य भी हैं, जो काटने और जलाने वाली कृषि का पालन करते हैं। लेकिन क्या कोई और राज्य है जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली जितना कम है? क्या, भारत पेरिस जलवायु परिवर्तन का हिस्सा रहा है? क्या भारत ने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए संधि से कोई सार्थक सुझाव लिए हैं? मैं, यह भी केनद्रीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से, पूछना चाहता हूँ। क्या इस स्थिति से निपटने के लिए पाइपलाइन में कोई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय हैं? मैं कुछ समाधानों का भी उल्लेख करना चाहूँगा। वायु प्रदूषण के लिए प्रमुख योगदान निर्माण स्थलों का है, और सरकार को छाया स्तर या कॉस्मेटिक स्तर पर नीतियां बनाने के बजाय बहुत सख्त कानून बनाने चाहिए जिससे निर्माण क्षेत्रों के आसपास चादरों को अनिवार्य रूप से कवर करने और शहरों के अंदर मलबे को जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

एक अन्य तरीका प्री-फैब्रिकेशन और मॉड्यूलर निर्माण तकनीकों को शुरू करना हो सकता है, जो सस्ता है और लागत और समय प्रभावी भी है। ... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: माननीय सभापति। सदस्य, कृपया अब समाप्त करें।

डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन: महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि सर्दियों के मौसम की शुरुआत में कृत्रिम बारिश कराने के लिए एक अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की जाए ताकि कणों को धोया जा सके और वातावरण में अन्य प्रदूषक कम किए जा सकें।

तमिलनाडु के महान कवि, *भरतियार*, जिन्हें गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के समकक्ष रखा जा सकता है, ने जीवन के अमृत स्रोत के रूप में 'वायु' - *प्राण* के बारे में सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं। वह कहता है:

कात्रे वा

मकरन्था ठूलो सुमंतु कोंडु

मनाती मैयिलिरुथुकिंरा

इनिया वासनई उदन वा

अलाइकलिन मेथुम

इलाइकालिन मेठुम

थावज्न्थु कोंदु

उरैन्थु कोंडु

मिकुन्था पीरांला रसाथाई

कोंदू वन्थु कोडु

कात्रे उन्नाय वाझ्ठुकिन्रोम

उनक्कू पट्टुकल पादुकिन्रोम

उनक्कू पुकाझिगल कूरुकिन्रोम

अंग्रेजी अनुवाद है - हे हवाओं, अद्भुत पराग के वाहक मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, सुगंधित फूलों की सुगंध फैलाते हुए, धीरे से आओ, पत्तियों और लहरों को चूमो, तुम हमें जीवन का अमृत सौंपो, हम तुम्हारी प्रशंसा में गाते हैं, हम विस्मय के साथ आपकी पूजा करते हैं, हम नमन कर आपकी पूजा करते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार (बारासात): शुक्रिया, माननीय सभापति महोदय। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय लिया कि हमें बचने के लिए शुद्ध हवा की जरूरत है और इसका महत्व महसूस करते हुए, उन्होंने इस बात पर आज समय निश्चित किया, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय सांसदों को यह मास्क पसन्द नहीं है, इसलिए मैं इसे उतार देती हूँ।

[अनुवाद]

क्या हम घबरा रहे हैं?

माननीय सभापति: नहीं।

डॉ. काकोली दस्तीदार: क्या दिल्ली का दम घुट रहा है? दुनिया के दस सबसे प्रदूषित शहरों, में से नौ भारत में हैं। यह काफी परेशान करने वाली बात है - मेरे पास यहां रिकॉर्ड हैं - जब एक विदेशी मंत्री ने अपनी भारत यात्रा के दौरान, मैं यहां उनका नाम नहीं लेना चाहती - हमारे देश, हमारे भारत, जिसके बारे में हमें बहुत गर्व है पर प्रतिकूल टिप्पणी की। डा. मंत्री जी यहाँ हैं। यह प्रशंसनीय है कि हमारे पास *स्वच्छ भारत* मिशन है। क्या हम *स्वच्छ हवा* मिशन शुरू कर सकते हैं? क्या हम इस पर विचार करेंगे?

एक और मुद्दा यह है जिसके बारे में माननीय सदस्य कपिल पाटिल जी बोले/ आप जानते हैं, जब मैं एमबीबीएस पाठ्यक्रम में चिकित्सा का अध्ययन कर रही थी, तो शिक्षक हमेशा हमसे कहते थे, उत्तर लिखने से पहले प्रश्न को ठीक से पढ़ो। माननीय सदस्य ने प्रश्न ठीक से नहीं पढ़ा। प्रश्न दिल्ली सरकार की विफलता और सफलता पर नहीं था। यह प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर था। मेरा मतलब है, उत्तर देने से पहले उन्हें प्रश्न पढ़ना चाहिए।

प्रो. सौगत राय (दमदम): उनका नाम श्री परवेश वर्मा है।

डॉ. काकोली दस्तीदार: हो सकता है। वहां गलत लिखा था।

हम सांस लेने के लिए लड रहे हैं। क्या हमें भारत में स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार सुनिश्चित नहीं करना चाहिए? स्वच्छ हवा में सांस लेना हमारा मानवीय अधिकार है। हम वास्तव में प्राकृतिक आपदा के सामने खड़े और घूर रहे हैं। यह एक बहुत ही गंभीर आपदा है क्योंकि एक अमीर आदमी गर्म महसूस कर रहा है, ए.सी. पर डाल सकता है। एक अमीर आदमी बहुत ठंडा महसूस कर रहा है, डाईकिन ए.सी. को बदल सकता है और इसे गर्म तापमान मोड में सेट कर सकता है। लेकिन जब आप सांस ले रहे होते हैं, चाहे आप अमीर हों या गरीब, आप सड़क पर जा रहे होते हैं, तो आप उसी हवा में सांस ले रहे होते हैं। चाहे वह दिल्ली हो या चाहे वह सिन्धु-गंगा मैदान हो, इसमें भारतीय आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा है, यानी 55 करोड़ लोग भारत के भारत-गंगात्मक मैदान में रहते हैं।

इस स्थान की स्थलाकृति और भूगोल के कारण यह एक एयर लॉकिंग क्षेत्र है और हवा चलती रहती है। जब पश्चिम से एक तेज हवा आती है और बहती है, तो कण का आकार और कण की उपस्थिति दिल्ली पर कम हो जाती है, लेकिन यह कानपुर या बनारस या कोलकाता पर हो सकती है क्योंकि यह वहां जा रही है। इसलिए, हमें न केवल हमारे देश, भारत के लिए स्पष्ट हवा सुनिश्चित करनी होगी, बल्कि हमें दुनिया के लिए एक स्वच्छ जलवायु, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी सुनिश्चित करना होगा।

यह एकमात्र ग्रह है जैसा कि हम जानते हैं; अन्य हो सकते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं। जलवायु परिवर्तन पूरे ग्रह को प्रभावित कर रहा है। आज की चर्चा में प्रदूषण के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन भी शामिल था। और जलवायु परिवर्तन एक गंभीर मामला है। हम द्रव्यमान एस्फिक्सिया के चेहरे को देख सकते हैं।

<u>अपराह्न 05.00 बजे</u>

श्री मिश्रा, एक माननीय सदस्य। सदस्य, 1952 में लंदन में कई लोगों की मौत के बारे में बात कर रहा था। मुझे लगता है, हम पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सीसा, ओज़ोन और

कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण जनसमूह का सामना कर रहे होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। एक डॉ. होने के नाते, मुझे पता है कि कोई जनरेटर बंद करना भूल जाता है या वह खुद को गर्म रखने के लिए *चूल्हा* जला रहा है, अधूरे दहन के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जो शरीर के भीतर आरबीसी की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के कारण व्यक्ति चुपचाप अपनी नींद में मर जाएगा। क्या हम दिल्ली में अपने देश में इस तरह के चेहरे को देख रहे हैं? क्या हम सब नहीं बैठेंगे? क्या हमें इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के बजाय, इससे राजनीति नहीं छोड़नी चाहिए और मानव हित के बारे में एक बार सोचना चाहिए? चाहे हमारी भावी पीढ़ी हो, आज का समाज हो या बुजुर्ग लोग हों, क्या हमें सबसे पहले जलवायु के बारे में नहीं सोचना चाहिए? हम वास्तव में इस खतरे का सामना कर रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार है। आइए हम इस दिशा में प्रयास करें।

'जलवायु परिवर्तन' वास्तविक है। हालांकि बड़े देशों के कई प्रीमियर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो महसूस करते हैं कि जलवायु परिवर्तन अवास्तविक है, 193 देशों ने एक साथ मिलकर क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। वे जलवायु परिवर्तन के ऐसे खतरनाक परिणाम को रोकने के लिए और क्या करें और क्या न करें पर काम करने के लिए पेरिस में कई रात बैठे, इसलिए नहीं कि उनकी मेहनत मिट्टी में मिल जाए।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की सफलता के आधार पर, सतत विकास लक्ष्यों को 17 लक्ष्यों और 169 टारगेट के साथ तैयार किया गया था, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण 'जलवायु परिवर्तन' था।

यह 'जलवायु परिवर्तन' बहुत कुछ साक्षरता या अशिक्षा और गरीबी पर निर्भर करता है। अगर लोग अनपढ़ हैं कि वे क्या कर रहे हैं, तो आप उन्हें पराली जलाने जैसी चीजों को करने से कैसे रोक सकते हैं? जहरीली गैस पश्चिम से हमारी ओर आ रही है।

हमारे राज्य में कई गरीब लोग खाना पकाने के लिए गाय के गोबर के उपले जलाते हैं, हम इसे *घुत्या* कहते हैं। गाय के गोबर के उपले हवा को प्रदूषित करते हैं, लेकिन अगर वही गोबर *गोबर* गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो वह प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो, गरीबी भी इसके साथ जुड़ी हुई है। अगर गरीबी उन्मूलन ठीक से किया जाए, तो जलवायु परिवर्तन का भी ध्यान रखा जाएगा।

हमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भोजन के बारे में बात करनी होगी जो हम खा रहे हैं, कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है और उर्वरकों का उपयोग हो रहा है। वे कैंसर का कारण बन रहे हैं। कैंसर की घटनाएं बढी हैं, हृदयघात की घटनाएं बढी हैं और रसायनों के अनियंत्रित उपयोग के कारण फेफड़ों के रोगों की घटनाएं बढ़ी हैं। सरकार को वास्तव में बैठकर इसके बारे में कुछ करना होगा।

हमें यह जानना होगा कि वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण का इकतालीस प्रतिशत वाहन द्वारा उत्सर्जन के कारण वाहनों से होने वाला प्रदूषण है। जैसे मैडम बोल रही थीं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अच्छा नहीं लगता है, अगर उनको अच्छा नहीं लगता है, तो यह उनकी समस्या है, यह उन लोगों की समस्या नहीं है, जिनके पास स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार है। इक्कीस प्रतिशत हवा में बहने वाली धूल है जिसमें सूखी मिट्टी, एस्बेस्टस और सिलिकॉन शामिल हैं।

जब ये छोटे कण 2.5 माइक्रोन से कम होते हैं, तो वे आसानी से हमारे श्वसन तंत्र में जा सकते हैं और हमारे श्वास तंत्र में सूजन प्रतिक्रियाओं का कारण बन सकते हैं। यह फेफड़ों में एम्फीसेमेटस परिवर्तन देता है जिसका अर्थ है कि फेफड़े अक्षम हो जाते हैं; वे ऑक्सीजन नहीं ले सकते। यदि आप सांस ले रहे हैं, तो भी ऑक्सीजन रक्त में नहीं जाएगी। यह मस्तिष्क और हृदय और गुर्दे जैसे महत्वपूर्ण अंगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं करेगा।

एम्फीसेमा में आज तक कोई इलाज नहीं है जब तक कि हम फेफड़े को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, हम फेफड़ें को प्रत्यारोपित करते हैं, जो इतना आम नहीं है, बहुत महंगा है। इसलिए, हमारे प्रत्येक शहर में फेफड़ों में गजब का बदलाव चल रहा है। यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर हम सिर्फ *'तू, तू; मैं मैं' करें।*

आइए हम राजनीति को इससे दूर रखें। हम यहां बैठकर यह न कहें कि एमपी नहीं था, उनके मंत्री ने यह किया है, उनके मुख्यमंत्री ने यह किया है, आदि। आइए हम सब मिलकर अपने बच्चों को, अपने देश को, अपने लोगों को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वातावरण देने की दिशा में काम करें, और कम-से-कम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने का प्रयास करें।

प्रदूषण का अठारह प्रतिशत योगदान इस उद्योग द्वारा किया जाता है। हम उद्योग पर इस बात की जांच क्यों नहीं कर सकते कि वे किस तरह के प्रदूषण का कारण बन रहे हैं? निर्माण कार्य कवर के तहत क्यों नहीं किया जा सकता है? जब भवन बन रहे हैं, तो उन्हें कवर किया जाना चाहिए। अन्यथा, सीमेंट हवा में प्रवेश करता है जिसे हम सांस लेते हैं। जानअनजाने हम माननीय सदस्यों की तरह सिगरेट पी रहे हैं। वहां बैठे एक सदस्य ने कहा।

28 जून, 2019 को लोक सभा में एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में, माननीय पर्यावरण मंत्री - वह थोड़ी देर पहले यहां बैठे थे - ने कहा था कि केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और शमन के लिए 2018 में एक व्यापक कार्य योजना को अधिसूचित किया था। मैं माननीय वित्त मंत्री से क्या जानना चाहती हूँ। मंत्री जी, आश्वासन के बारे में क्या है, सर? वह अब वहाँ नहीं है। मुझे नहीं पता कि कौन उसके लिए जवाब देगा। केवल अधिसूचना से मदद नहीं मिलेगी। हमें निगरानी करनी होगी कि वास्तव में जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है। निगरानी और कार्यान्वयन अनिवार्य है।

जैसा कि मैंने कहा, उसके बाद भी, बिजली उत्पादन भी प्रदूषण को जन्म दे रहा है। आज भी जीवाश्म ईंधनों से अधिकांश बिजली का उत्पादन होता है और उससे प्रदूषण हो रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ने की प्रतिबद्धता के बारे में क्या? विद्युत का चालीस प्रतिशत उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है।

2016 में, भारत सरकार ने 2022 तक 10,000 एम.डब्ल्यू. हाइब्रिड, पवन, सौर संयंत्रों के कामकाज को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय पवन, सौर, हाइब्रिड ऊर्जा नीति का मसौदा तैयार किया

था। इसकी क्या स्थिति है, हम नहीं जानते! 2016 में फिर से भारत सरकार ने 2020 तक 175 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण स्थापित करने का निर्णय लिया था। उस स्थिति के बारे में क्या? क्या हम जलवायु परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं?

<u>अपराह्न 05.07 बजे</u> (श्री कोडिकुन्नील सुरेश *पीठासीन हुए*)

मुझे कुछ जलवायु संसदों में भी भाग लेने का सौभाग्य मिला है जहां अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की बैठकें जहां ये बातें हुईं चर्चा की गई थी। लेकिन जब मैं अबू ढाबी में होने वाले इस तरह के सम्मेलन में भाग लेने के लिए अनुमति और एन.ओ.सी. मांगती हूँ, तो मुझे सरकार से एन.ओ.सी. नहीं मिलता है। मैं अपने देश को समृद्ध करती हूँ, लेकिन हमें एन.ओ.सी. एस. नहीं दिए जाते हैं।

वायु गुणवत्ता को खतरनाक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की उपस्थिति से आंका जाता है। मैंने ओज़ोन परत के बारे में बात की। औद्योगिक, आवासीय क्षेत्रों में सल्फर डाइऑक्साइड की वार्षिक सांद्रता 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। हमारे पास यह 100 से अधिक पर है। नाइट्रस ऑक्साइड 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। 10 माइक्रोन आकार का पार्टिकुलेट मैटर 60 प्रति घन मीटर से कम होना चाहिए। 2.5 माइक्रोन आकार का पार्टिकुलेट मैटर 40 प्रति घन मीटर से कम होना चाहिए। और हमारे पास जो खतरनाक गुणवत्ता है वह एक आपातकालीन बेंचमार्क है जिसमें ये 300 या 500 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के स्तर पर हैं।

यदि सीसा के साथ प्रदूषित वायु सांस में है, तो लोग मर सकते हैं। लोग कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से मर सकते हैं। एक माननीय सदस्य के रूप में। सदस्य कह रहे थे, क्या देश का सारा प्रदूषण दिल्ली में बस गया है? नहीं। मेरे पास माननीय वित्त मंत्री की प्रतिवेदन है जिसमें लिखा है कि 10 माइक्रोन आकार के कण 212 प्रति घन मीटर पर बिहार में मौजूद हैं; चंडीगढ़ में यह 105 है; दिल्ली में यह 278 है; रांची में यह 196 है; मुंबई में यह 119 है; पुणे में यह 107 है, इत्यादी। मैं इस लंबी सूची से पढ़ना नहीं चाहती।

इसलिए, सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रयास निश्चित रूप से प्रशंसनीय हैं उनके पास आठ राष्ट्रीय मिशन हैं, अर्थात् राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत के लिए मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय मिशन। यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है।

मुझे यकीन है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम सब मिलकर इसके प्रति काम करें ताकि हम अपने भविष्य के लिए स्वच्छ वातावरण दे सकें। दिल्ली नहीं, कोलकाता नहीं, देश नहीं, मैं दुनिया, हमारे ग्रह के बारे में बात कर रही हूँ। आइए हम सब मिलकर अपने ग्रह को बचाएं।

धन्यवाद, महोदय।

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी (राजमपेट): वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बात करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद, महोदय। यह अभी एक ज्वलंत मुद्दा है। हमें स्थिति की गंभीरता और इस मुद्दे के परिमाण को समझना होगा। पहले भी कई वक्ता बोल चुके हैं।

हमारे पास दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 होने का संदिग्ध अंतर है। टी.एम.सी.के सदस्य ने उल्लेख किया कि हमारे पास 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 9 हैं। इसलिए, अगर यह स्थिति है, तो मुझे लगता है, यह कार्य करने का समय है। हमारे पास भी इसके लिए पर्याप्त समय नहीं है और हर दिन अब मायने रखता है।

हम प्रदूषण की समस्या को निरंतर शहरीकरण, औद्योगीकरण, और बहुत कम समय में ऑटोमोबाइल की संख्या में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। हमारे पास वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, और निलंबित कणों जैसे विभिन्न प्रदूषक हैं। दहनशील गैसों या ऑटोमोबाइल से उत्सर्जन का 95 प्रतिशत से अधिक पी.एम2.5 है। पी.एम2.5 एक कणीय पदार्थ है जिसमें 2.5 माइक्रोग्राम से कम वायुगतिकीय व्यास होता है। यह बहुत छोटा है। जैसा कि वक्ताओं ने पहले उल्लेख किया है, यह हमारे श्वसन प्रणाली के माध्यम से अंगों में आसानी से जा सकता है। यह अंगों को दबा सकता है और यह बहुत खतरनाक है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी प्रतिवेदन में कहा है कि पी.एम2.5 का अनुमेय स्तर 25 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर 24-घंटे का है। मैं एक प्रतिवेदन साझा करना चाहूँगा जो 3 नवम्बर को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी, विशेषकर दिल्ली में, 24 घंटे की अवधि के दौरान पीएम 2.5, 625 माइक्रोग्राम था। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमत स्तरों से 24 गुना अधिक है, जो बहुत अधिक है। इसलिए, यदि ऐसा है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारी राजधानी में रहने वाले लोगों की स्थिति क्या है। केवल हमारी राजधानी ही नहीं, महोदय, पूरे देश में, हमें वायु प्रदूषण के इस खतरे को रोकने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। यह

दिल्ली में विशेष रूप से जटिल है क्योंकि बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल और पराली जलाने के कारण भी। उनके पास मुंबई, चेन्नई और कोलकाता की तुलना में अधिक ऑटोमोबाइल हैं।

भारत में, अध्ययनों से पता चला है कि स्वास्थ्य जोखिम के कारण मौतों का तीसरा सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण है। स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान् के अध्ययनों से पता चला है कि 2017 में भारत में लगभग 1.2 मिलियन मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुई थीं। इसलिए, हमें इस तरह से कार्य करने की आवश्यकता है जहां आम जनता उनकी बिना गलती के प्रभावित न हो।

वायु प्रदूषण एक समूह 1 कार्सिनोजेन है और यह अत्यधिक विषाक्त है और सामग्री सिगरेट से उत्पन्न धुएं के समान है। धूम्रपान अब और फिर होता है। लोग धूम्रपान करते हैं, लेकिन प्रदूषित शहरों में, आप 24 घंटें के लिए धूम्रपान जितना अच्छा धूम्रपान करते हैं। यदि ऐसा है, तो यह अर्थव्यवस्था पर एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। इस स्तर पर, जहां हम मंदी से लड़ रहे हैं और इस विशेष समय पर जहां हम पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को लक्षित कर रहे हैं, हमें खर्च करने की आवश्यकता नहीं है और हमें अपनी बनाई गई समस्याओं को कम करने के लिए अपने खजाने को निकालने की आवश्यकता है। हमें बिना किसी गलती के अपने लोगों का पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए, हमें इस पर कार्य करने की आवश्यकता है और यह अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।

जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो घटनाएं हमारे देश में हुई हैं, उनका सिलसिला हमने देखा है। भारत विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन की चपेट में है क्योंकि हमारे पास एक बड़ी तटरेखा है। समुद्र के स्तर में मामूली वृद्धि भी हमें भारी रूप से प्रभावित करेगी। हमने देखा है कि केरल में पहले क्या हुआ था; हमने देखा है कि चेन्नई में क्या हुआ था; और हमने देखा है कि मुंबई में क्या हुआ। बड़े-बड़े इलाके जलमग्न हो गए। चेन्नई में लोगों ने मुख्य सड़कों पर आने-जाने के लिए नावों का इस्तेमाल किया। यह सब जलवायु परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण है। हमारे पास एक विशाल हिमालयन रेंज भी है जो भारत का प्रवेश

द्वार है। तापमान में थोड़ा भी बदलाव पारिस्थितिकी तंत्र को खराब कर देगा और गिरोह के मैदानों के पूरे संतुलन को प्रभावित करेगा।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल ने भविष्यवाणी की है कि ग्लोबल वार्मिंग भारत में तापमान को बढ़ाएगी और यह औसत से ऊपर होगा। तापमान में इस वृद्धि से हमारे देश पर बहुत विनाशकारी भूमिका होगी। यह चरम जलवायु घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ाएगा।

कृषि संबंधी हमारी संसदीय स्थायी समिति की प्रतिवेदन के अनुसार, समिति ने यह भविष्यवाणी की है कि हमारी चार से नौ प्रतिशत कृषि अर्थव्यवस्था जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होगी। यदि ऐसा है, तो हमारे जीडीपी का लगभग 1.5 प्रतिशत प्रभावित होगा। इन चीजों से बचना चाहिए। हमारे पास 60 प्रतिशत आबादी कृषि पर फल-फूल रही है और एक देश के रूप में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन को खतरे और रोज़गार जाने के कारण बड़े पैमाने पर प्रवासन होगा और हमें इस विशाल प्रवासन को संभालने की स्थिति में रहने की आवश्यकता है। हमारे पास पहले से ही बहुत बड़ा शहरीकरण चल रहा है।

दो-तीन बिंदु हैं जिन पर सरकार ने सकारात्मक कार्रवाई की है। मुझे लगता है, इसे नीचे स्तर तक ले जाना चाहिए। हमने पेरिस समझौते में सहमत के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों को निर्धारित किया है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा पर 40 प्रतिशत निर्भरता के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सौर गठबंधन शुरू किया है। यह एक बहुत अच्छी पहल है। यहां तक कि ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए भारत-वी मानदंड भी एक बहुत अच्छी पहल है क्योंकि यह हवा में पी.एम.2.5 के स्तर को 80 प्रतिशत तक कम कर देगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रुपये की सब्सिडी। 1.5 लाख रुपये प्रति वाहन भी एक अच्छी पहल है।

मैं यह कहकर अपने निवेदन संक्षेप में कहना चाहूँगा कि हमें सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि यह राज्य का विषय है; कुछ लोग कह रहे हैं कि यह एक केंद्रीय विषय है। हम में से हर कोई दूसरी पार्टी को दोष दे रहा है। मैं गारंटी दूंगा कि इस हवा में सांस लेने वाले किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति अस्पताल में समाप्त होने जा रहा है। हमें तुच्छ राजनीति को एक तरफ रखना होगा और

एक साथ काम करना होगा। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का एक प्रसिद्ध उद्धरण है: "यदि आप समय पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप धूमिल अप्रासंगिकता में धकेल दिए जाएंगे।"

[हिन्दी]

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): आदरणीय सभापति महोदय, आज एक महत्वपूर्ण विषय, खासकर गंभीर विषय पर चर्चा इस सदन में हो रही है। मुझे याद है कि पिछले सत्र में मैंने इस विषय पर कॉलिंग-अटेंशन दी थी। ... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): नहीं, पिछले सत्र में नहीं, तब आप मंत्री थे। आप पिछली लोक सभा कहिए। ... (व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत: उस वक्त तो इस विषय पर कॉलिंग-अटेंशन नहीं आई, लेकिन अब आई है। ... (व्यवधान) मैं पिनाकी जी और अपने मित्र, दोनों को बधाई देता हूँ। ... (व्यवधान) मैं इसके लिए चेयर को खास बधाई देता हूँ। ... (व्यवधान) उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेकर इसकी चर्चा आज इस सदन में की है। मुझे वह दिन याद आता है जब "अल" गोर ने एक फिल्म बनाई थी। वह फिल्म पूरी दुनिया में इतने लोगों तक पहुंची कि लोग गंभीरता से पर्यावरण-प्रदूषण विषय को देखने लगे। वे यह विषय सुनते थे, लेकिन इस विषय का गंभीर परिणाम क्या होगा, वह उन्हें थोड़ा सा महसूस होने लगा। जब आगे चलकर क्लाइमेट चेंज के विषय पर पेरिस की बात हुई। पेरिस में एग्रीमेंट हुआ, यूनाइटेड नेशंस में भी इसकी बात हुई, तब जाकर उस एग्रीमेंट को लेकर पूरी दुनिया आगे काम करने लगी। दुर्भाग्यवश अमेरिका के राष्ट्रपति उस एग्रीमेंट से दोबारा पीछे हटे हैं। वही "अल" गोर, जिन्होंने यह शुरू किया था, उनको इस कार्य के लिए आगे चलकर नोबल पुरस्कार मिला। उस वक्त क्योटो एग्रीमेंट का पालन करने की बात हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कहां से शुरू हुआ? यह मानव की उत्क्रांति के साथ हुआ। यह कैसी उत्क्रांति थी? यह इंडस्ट्रियलाइजेशन की उत्क्रांति थी। औद्योगीकरण की तरफ जैसे ही हम मुड़े, यह शुरू हो गया। मैं अंतर्मुख होकर कभी सोचता हूँ कि क्या हम हर

चीज का इम्पैक्ट सोचते हैं या नहीं? सोशल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ग्लोबल इम्पैक्ट। हम इम्पैक्ट नहीं देख रहे, बल्कि निर्णय को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं।

महोदय, हमने अभी इस वर्ष, खासकर महाराष्ट्र ने इतना बड़ा अनुभव लिया है। 50-60 सालों में मैंने नहीं देखा कि बारिश इतनी देर तक होती है। यह क्लाइमेट चेंज है। बारिश सिर्फ हुई नहीं, बेमौसम बारिश की वजह से बाढ़ आई और ऐसी बाढ़ आई कि वह भी जिंदगी में किसी ने नहीं देखी। शहर डूबते रहे। ओडिशा में भी यह हुआ था। सागर के तट से पानी शहर के अंदर तक घुसा। जितना कचरा हम सागर में डालते हैं, उतना वापस उसने हमारे पास फेंक दिया। प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती है। हम अगर सोचें तो हम ही प्रकृति पर अत्याचार कर रहे हैं और ऐसा अत्याचार कर रहे हैं कि छोटी से छोटी चीजों का हमें ध्यान ही नहीं आ रहा है।

प्रकाश जी, मुम्बई, पुणे और दिल्ली में भी जो नई इमारतें खड़ी हो रही हैं, वे पूरी कांच की खड़ी हो रही हैं जो पूरी तरह से एयरकंडीशन्ड हैं। आप कभी उस बिल्डिंग के बाहर दस गज या बीस-पचीस मीटर के रेडियस पर टेम्प्रेचर देख लें, तो वातावरण के टेम्प्रेचर और उस बिल्डिंग के बाजू वाली जगह के टेम्प्रेचर में आपको 5-10 डिग्री का फर्क महसूस होगा। हम जो निकाल रहे हैं, वह फिर से वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। अभी हम दिल्ली के आसपास पराली जलाते हैं। उस मुद्दे पर मैं बाद में आता हूँ। ये सारी चीजें औद्योगिक क्रांति के कारण हुई हैं। उत्क्रांति की आवश्यकता थी। आवश्यकता क्यों महसूस हुई? सबसे बड़ी वजह यह रही कि जरूरतें बढ़ती गईं और जरूरतें किसकी बढ़ती गईं? इंसानों की बढ़ती गईं, इंसानों की संख्या भी बढ़ती गई। भारतवर्ष की जनसंख्या कितनी बढ़ी, यह आप गिरिराज जी को बताएं।

डॉ. निशिकांत दुबे: गिरिराज जी, यह आप पर ब्लेम लगा रहे हैं।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): नहीं, ये मेरे मित्र हैं, मुझ पर ब्लेम नहीं लगा रहे हैं।

श्री अरविंद सावंत: भारत की जनसंख्या इतनी बढ़ी कि बेरोजगार हाथों को काम देना पड़ रहा है। बेरोजगार हाथों को क्या करना है? किसान अपनी फसल से अपना जीवन-निर्वाह नहीं कर सके, तो ये औद्योगिक क्रांति

की तरफ चले गए। औद्योगिक क्रांति में जो उत्सर्जन प्रकृति में हो रहा था, वह प्रकृति का टेम्प्रेचर बढ़ा रहा था। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तापमान पहले ही एक डिग्री बढ़ चुका है। वर्ष 2016 इस दुनिया का सबसे गर्म साल महसूस किया गया था। अब वायु और पानी की बात आई। आज गैसों का उत्सर्जन कितनी तेजी से हो रहा है? गाड़ी की बात आती है। कार्बन डाई ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन इन सबसे प्रदूषण हो रहा है। उन्होंने मास्क पहनाकर प्रोटेस्ट कर दिया। सिर्फ प्रोटेस्ट करने से काम नहीं होगा। सरकार को बांध दीजिए। सरकार ने कदम उठाए हैं। यहां आया तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, सरकार ने कदम उठाए हैं।

मैं आज दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने महाराष्ट्र में नाणार प्रोजेक्ट लाने की कोशिश की थी। कभी सोचा था कि नाणार प्रोजेक्ट से क्या साइड इफेक्ट होने वाले थे? वे कौन लोग हैं, जिन्होंने रत्नागिरी में जाकर जमीन खरीद ली? वे वहां के लोग नहीं हैं, सब बाहर के लोग हैं और उनको मालूम था कि यहां प्रोजेक्ट आने वाला है। गरीब किसानों की जमीन सस्ते में खरीद ली। उन किसानों को क्या पता, वहां क्या होने वाला है? 1700-1800 हेक्टेयर जमीन कौड़ियों के भाव में, अगर मैं नाम लूं तो बुरा नहीं लगना चाहिए, रत्नागिरी की जमीन खरीदने वाले गुजरात स्टेट के लोग थे। ये सारी चीजें बाद में लोगों को समझ में आती हैं, लेकिन अच्छा हुआ हमारी सरकार ने सही समय पर निर्णय लिया और नाणार प्रोजेक्ट वापस लिया गया, जैतापुर प्रोजेक्ट वापस लिया गया। उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होता, इसके बारे में सोचा नहीं गया था। अभी भारत पेट्रोलियम बेचने की बात हो रही है। भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कम्पनी बनी थीं, जिसमें से भारत पेट्रोलियम को हम बेच रहे हैं। आगे इस कम्पनी का क्या होगा, मुझे नहीं पता है? जब हम उसको कर रहे थे तब हमने उसके सोशल इम्पैक्ट को नहीं देखा था। हमारी मुम्बई में मेट्रो प्रोजेक्ट लेकर आए, उससे प्रदूषण भी कम होने वाला है। हम गोरेगांव की आरे कालोनी में गए। मुम्बई शहर में संजय गांधी उद्यान और गोरेगांव है। उसकी 1700 हेक्टेयर जमीन में से 30 हेक्टेयर जमीन ले ली। पेड़ काटने की शुरूआत हुई तो लोगों ने इसकी भर्त्सना की और आंदोलन किया। हमें कोर्ट का पता नहीं,

क्योंकि हम इसे फॉरेस्ट नहीं कहते हैं तो उन्होंने भी इसे फॉरेस्ट मान लिया। आप फॉरेस्ट को छोड़िए, आपने एक रात में 2700 पेड़ काट दिए और हम प्रदूषण पर चर्चा कर रहे हैं, हम पर्यावरण की चर्चा कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके लिए और कहीं जगह उपलब्ध नहीं थी। थोड़ा खर्च ज्यादा होता और वह चलता, लेकिन मुम्बई जैसी घनी आबादी वाला शहर, जहां डेढ़-दो करोड़ लोग रहते हैं, उसमें दो ही जगह ऑक्सीजन देने वाली हैं, एक संजय गांधी उद्यान और दूसरा गोरेगांव आरे कॉलोनी। मुम्बई शहर को यहीं से ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहां अच्छी चर्चा लेकर आए हैं।

मैं केमिकल कम्पनीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं एस्टिमेट कमेटी में था और गंगा रिज्यूविनेशन का प्लान आया था। मैंने उस समय कहा था कि इसको जोनवाइज़ कीजिए। गंगा के उद्गम से लेकर 25-50 किलोमीटर तक पूरा प्रदूषण मुक्त कीजिए। हमने पूरा प्रदूषण मुक्त किया है। एक ही साथ इधर भी और उधर भी, लेकिन फिर पीछे कानपुर से आ रहे हैं। इनको दिल्ली का दिखा कानपुर का नहीं दिखा। यह भी तो गलत है। कानपुर में भी तो चमड़े की कम्पनी का पानी गंगा में जाता है जो नदी को प्रदूषित कर रहा है। हमने रिवर कनेक्टिविटी की बात की थी, जिसको आधे रास्ते में छोड़ दिया है। अब बाढ़ आयी है। प्रकाश जी, आपको उसको छोड़ना नहीं है क्योंकि सरकार अपनी है, आगे भी चलेगी और चलती रहेगी। लेकिन एक काम जो रिवर कनेक्टिविटी का था, हम देख रहे हैं कि सूखा भी है, ओले भी गिर रहे हैं और बाढ़ भी आ रही है। लोगों को पीने का पानी नहीं है और बाढ़ आ रही है। पटना में बाढ़ आयी है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है।

पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हर राज्य में है। मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ, केन्द्र सरकार ने उस बारे में बहुत बड़ा कदम उठाया है और राज्यों को भी उसमें शामिल किया हुआ है। लेकिन आज भी केमिकल कम्पनियों का प्रदूषित पानी हमारी नदियों को प्रदूषित कर रहा है। उनके एफल्यूएंट्स नदी में जा रहे हैं। अब उसी पानी को हम खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाहे यह गंगा

नदी की बात हो या कोलकाता के नजदीक आप जाएंगे तो आपको गंदा पानी मिलेगा। उसी से खेती होती है और उससे भी बीमारियां होने वाली हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ।

मैं इम्पैक्ट की बात करता हूँ। थोड़ा सा हटकर बताना चाहता हूँ कि जब इलेक्ट्रोनिक्स आने लगा तो बैंक्स में लोग आंदोलन करने लगे कि कर्मचारी हटाए जाएंगे क्योंकि कम्प्यूटर आ गया है। सही बात है, तो कम्प्यूटर मैन्युफ्रैक्चर होगा। हम तो सारी चीजें चीन से लेते हैं। क्या करते हैं, यह पता नहीं है। लेकिन कम्प्यूटर आ गया। अब उस वक्त कभी सोचा नहीं कि इलैक्ट्रॉनिक्स वेस्ट का क्या होगा। अब पता चल रहा है कि इलैक्ट्रानिक्स वेस्ट के लिए हमारे पास पॉलिसी क्या है? इलैक्ट्रॉनिक्स वेस्ट्स को हम कैसे निपटाएंगे? आज-कल चल रहा है कि बैट्री वाली गाड़ियां लानी चाहिए। अच्छी बात है, जरूर लानी चाहिए। ... (व्यवधान) मैं बस दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। ... व्यवधान) क्या आपने कभी बैटरी अपशिष्ट के बारे में सोचा है? क्या आप जानते हैं कि यह लिथियम है? हम कह रहे हैं फ्यूल फॉसिल, हमारा पैसा बचने वाला है, तो बैट्री कहां से आने वाली है? बैट्री में भी डॉलर जाने वाला है। क्या हमारे पास लीथियम है? वह भी हम खरीदने वाले हैं। जो बैट्री कल इस्तेमाल में नहीं रह जाएगी तो उसको कहां फेंकेंगे? यह ज्यादा खतरनाक है। लिथियम बैटरी स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरनाक है। क्या हमारे पास कोई योजना है? हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं। क्या आपके पास स्क्रैप नीति के लिए कोई योजना है? पुरानी-पुरानी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, दिल्ली की सरकार करे, एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने से काम नहीं होगा। इसमें ठोस कदम उठाने होंगे।

मैं आखिर में एक मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। सर, ओज़ोन लेयर, क्या हमने कभी इसके बारे में सोचा है? ओज़ोन लेयर को छिद्र गिरा है। सूर्य की किरणें जब ओज़ोन लेयर छेद कर के नीचे आएंगी तो बीमारी पैदा करेगी। अब ओज़ोन को मेंटेन करते समय, हम प्रकृति के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आप फायरवर्क्स की बात करते हैं, हम तो बहुत अत्याचार कर रहे हैं। पहले हम प्रकृति के ऊपर अत्याचार करना कम करें और जो हमारे संत-ज्ञानी तुकाराम जी कथनी है

" वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे, पक्षीही सुस्वरे आडविती"

मतलब कि बर्ड्स भी सिंग करते हैं कि यह जो पेड़ है, वही बड़ा हो कर जंगल बनेगा। अब सबसे बड़ा और पुराना, ओरिजिनल जो हमने जीरो बजट कहा था किसान पर, एग्रीकल्चर पर हमने जीरो बजट कहा, इसका मतलब क्या है? ट्रेडिशनल खेती करो। गोबर कहां मिलता है? क्या किसान के पास आज है? गाय-भैंस आज कहां हैं? बहुत कम हो गए हैं, सब ट्रैक्टर से करते हैं। जब गोबर था तो डांस नहीं थे, मक्खी-मच्छर नहीं थे। अब ये सारी चीजें उल्टी हो रही हैं, तो प्रकृति की तरफ जाने की आवश्यकता है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि इस विषय को चर्चा के लिए लाया गया और आपने मुझे अपनी बात रखने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ। "यदि आप हरियाली का रुख नहीं करेंगे, तो हम बर्बाद हो जाएंगे"।

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): सभापति महोदय, मुझे बोलने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, नियम-193 के अंतर्गत जो विषय माननीय सदस्य के द्वारा सदन में लाया गया है, वह अत्यंत ही गंभीर और संवेदनशील है। इसका महत्व मानव जीवन पर अत्यधिक प्रभावकारी है और इसके दूरगामी परिणाम भी होने वाले हैं।

माननीय सभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की आबादी लगभग 130 करोड़ है, जिसमें आधे से अधिक बच्चे और युवा हैं, अत: यह सोचना बहुत ही आवश्यक है कि ग्लोबल वार्मिंग के साथ-साथ वायु प्रदूषण क्यों हो रहा है एवं उसे कैसे रोका जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण हैं प्रकृति से छेड़खानी। वृक्ष काटे जा रहे हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण वगैरह इसके कारण हैं, जिससे सभी अवगत हैं।

आज हमने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया तो हमारी आने वाली पीढ़ी को गंभीर परिणाम भुगतना होगा। यह पूरे विश्व के लिए चुनौती भरा कार्य है।

मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि विश्व के साथ भारत भी एक कदम आगे बढ़ कर इस चिन्ता को ध्यान में रखे।

विशेषज्ञों का कहना है कि इसका सबसे अधिक असर बच्चों पर देखा गया है। इसलिए हमें यह कोशिश करनी है कि देश के भविष्य को बचाएं, बच्चों पर ध्यान केन्द्रित करें। जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और बढ़ते तापमान का सबसे अधिक असर भारत के बच्चों पर पड़ रहा है। खासतौर पर नवजात शिशु कुपोषण और सांस से होने वाली बीमारियों के शिकार हो जाते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक है। इसके 14 शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित 20 शहरों की सूची में अव्वल हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण की हालत ऐसी हो गई है कि

माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हेल्थ इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी है। यह हमारे देश की राजधानी की हालत है। अन्य शहरों में भी कमोबेश यही हालत है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूँ कि वे अपने-अपने क्षेत्र में आम लोगों के साथ मिलकर, बच्चों, बुजुर्गों के साथ मिलकर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन से बचने एवं प्रकृति की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठायें। समाज में जागरूकता लाने के उपायों पर चर्चा करें एवं इसके सार्थक परिणाम के बारे में लोगों को अवगत करायें।

महोदय, इस संबंध में मैं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मौसमी हालात को बदलने के लिए जल-जीवन, हरियाली अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार पाँच मोर्चों पर एक साथ काम करेगी। ये पाँच मोर्चे निम्न प्रकार हैं। इसमें तालाबों, आहर-पाइन की उड़ाही, पौधे लगाना, रेनवाटर हार्वेस्टिंग तथा उन इलाकों तक नदियों का पानी पहुँचाना, जहाँ सूखा पड़ता है, इसके अलावा सोलर लाइट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का कहना है कि जल और हरियाली रहेगी तभी जीवन सुरक्षित रह सकता है। इसके लिए उन्होंने कहा कि जागरूकता के साथ-साथ सड़कों के किनारे पेड़ लगाना, बाकी सार्वजनिक जगहों और निजी जगहों पर भी वृक्षारोपण किया जाएगा। यह एक ऐतिहासिक पहल है। अगर जल-जीवन हरियाली अभियान को सही तरीके से जमीन पर उतारा जाएगा तो हमारा आने वाला कल सुरक्षित और खुशहाल हो जाएगा।

महोदय, जल-जीवन-हरियाली अभियान से बिहार में करीब 24 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसे तीन वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। अभी तक 19 करोड़ वृक्षारोपण हो चुका है।

इससे राज्य में ग्रीन बेल्ट में बढ़ोतरी होगी और यह पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसी प्रकार जल संचय से भू-जल स्तर को मैन्टेन करने में सहायता मिलेगी और गर्मी के दिनों में जो पीने के पानी की किल्लत होती है, उससे भी निजात मिल सकती है। नदियों की सफाई और उसके विस्तार से उन इलाकों में भी पानी पहुँचाया जा सकता है, जहाँ सूखे की स्थिति बनी रहती है। अतिवृष्टि के

समय एक जगह से दूसरी जगह पानी का बहाव भी किया जा सकता है और किसानों को सिंचाई की समस्या से भी बचाया जा सकता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे नेता और बिहार के माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी की दूरगामी सोच जल-जीवन-हरियाली अभियान की तर्ज पर पूरे देश में इस योजना को अविलम्ब लागू किया जाए। इसकी मानीटरिंग के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी दी जाए। इसके लिए जो उचित धनराशि की जरूरत हो, उसे केन्द्र सरकार पूर्णरूपेण वहन करे और राज्य सरकार का पूरा सहयोग भी ले।

अत: बिहार ने विश्व की वर्तमान समस्या ग्लोबल वार्मिंग से निजात पाने तथा सम्पूर्ण जीव-जगत के रक्षार्थ जल-जीवन-हरियाली जैसे अभियान की जो शुरूआत की है, वह भविष्य में "सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:" के सूत्र वाक्य को चरितार्थ करेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): महोदय, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैंने भी नियम 193 के अंतर्गत नोटिस लगाया था। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले हफ्ते देश के अखबारों की सुर्खियाँ थी कि हम दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में रह रहे हैं। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में हमारे देश की पार्लियामेंट है। मैं बिल्कुल भी डिनायल मोड में नहीं जीना चाहता, मैं साफगोई से बात करना चाहता हूँ। स्टैण्डिंग कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट की मीटिंग थी। यह सच्चाई है कि उस दिन दिल्ली में उस मीटिंग को अटेन्ड करने कई सांसद इसलिए नहीं आए, क्योंकि वे डर रहे थे कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत है। तीस में से केवल चार मेम्बर्स आए। यह हम लोगों के लिए शर्म की बात है। जिस देश की राजधानी में, जिस शहर में हर तीसरे मिनट एक बच्चे की मौत हो रही हो, जिस देश की राजधानी को गैस चैम्बर कहा जा रहा हो, आज हम वहां बैठ करके, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर इसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। सरकार ने इसी साल शुरू में 'नैशनल क्लीन एयर प्रोग्राम' लॉन्च किया और सरकार ने कहा

कि हम अगले 5 सालों में 100 शहरों में 20 से 30 प्रतिशत प्रदूषण कम करेंगे। हम पूरे तरीके से उसका समर्थन करते हैं। लेकिन, धरातल पर सच्चाई कुछ और है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स हैं, माफ कीजिएगा, वे क्या करते हैं, क्या जिम्मेदारी निभाते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। मैं वह अल्फाज़ और वह सच्चाई यहां बयां करना नहीं चाहता। आज जो स्थिति हो गयी है, यह सवाल केवल दिल्ली का ही नहीं है, बल्कि यह पूरे देश का सवाल है। मेरा लोक सभा क्षेत्र दिल्ली, एन.सी. आर. से लगा हुआ है। हमारे पास इंटेग्रेटेड पॉलिसीज की कमी है। यह सच्चाई है।

अभी शिव सेना के हमारे माननीय सांसद कह रहे थे। पिछले हफ्ते तक वे केन्द्र सरकार में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे। हम पॉलिसीज तो ले आए, एलान कर दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च होंगे, लेकिन हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वाले रो रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब, हमारे व्हीकल्स इसलिए नहीं बिक रहे हैं कि एलान कर दिया गया कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ ही नहीं रहे हैं।

मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रचार चल रहा है कि दिल्ली के आस-पास जो प्रदूषण है, उसके लिए किसान जिम्मेदार हैं। किसानों के पास कोई लॉबी नहीं है। वे अपनी बात सही तरीके से नहीं रख सकते, वे मीडिया में अपनी पी. आर. एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो केवल किसानों को इस बात के लिए दोषी ठहरा दिया जाए कि वे पराली जला रहे हैं, इसलिए प्रदूषण हो रहा है। मेरे ख्याल से कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं। यह बात ठीक है कि वह भी एक पॉइंट है। इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी वजह से भी प्रदूषण हो रहा है, लेकिन केवल किसानों की वजह से ही प्रदूषण नहीं हो रहा है।

यहां पर किस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि मेरे क्षेत्र में अभी नैशनल हाईवे का एक्सपैन्शन हो रहा है। क्या वह किसी मानक के तहत दिल्ली के अन्दर, दिल्ली के आस-पास या पूरे देश में जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं, चाहे वे केन्द्र सरकार के चलें या प्रदेश सरकार के चलें, क्या उन प्रोजेक्ट्स में मानकों का पालन किया जाता है? कहीं उसे ढक करके जो गाइडलाइंस हैं, क्या उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है? यह नहीं किया जाता है।

मान्यवर, मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी सरकार की एक ऐम्बिशन है, इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इकोनॉमी जल्द से जल्द फाइव ट्रीलियन की हो जाए। इसी के साथ क्या यह सच्चाई नहीं है कि प्रदूषण की वजह से जीडीपी ग्रोथ 8.5 परसेंट के टोटल में कमी आती है, क्या यह एक अहम मुद्दा नहीं है? हम लोग यहां बैठकर चर्चा करते हैं। मैं जानता हूँ कि किस तरीके से इस देश में जो लॉबिज़ हैं, हर कॉरपोरेट लॉबी अपना फायदा उठाती है। दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन कुछ लोग बहुत बड़े ब्रांड ऐम्बैसडर बन कर कह रहे हैं कि फलां कंपनी की एयर प्यूरीफायर लगाइएगा, तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि हमारे इस सदन के कोई सदस्य भी उसके ब्रांड एम्बैसडर होंगे या होंगी, लेकिन सच्चाई यही है।

मान्वयर, मैं उन टेक्निकैलटिज़ में नहीं जाना चाहता हूँ। मेरे से पहले कई सदस्यों ने इसके बारे में बोला है। साइंटिफिक प्वाइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हैं, जिस प्रकार से लंग्स कैंसर होता है, उससे कितनी मौतें होती हैं। यह बात सच है कि हम यहां एयर कंडीशन चैम्बर में बैठकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जरा उनके बारे में भी सोचिए, जो गरीब लोग हैं। जो लोग झोपड़ी में रहते हैं, जब सर्दी होती है, तो वे लोग आग जलाकर हाथ तापते हैं। जब गर्मी होती है, तो आप एयर कंडीशन चैम्बर में बैठकर आराम करते हैं या भाषण करते हैं, लेकिन वे लोग इन्हीं एयर कंडीशनर द्वारा छोड़ी गई प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार तथा माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ। मैं अपने पर्यावरण मंत्री जी को जानता हूँ कि वह इस कॉज के लिए बहुत सीरियस हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे मंत्री जी इंटीग्रेटेड पॉलिसी के बारे में सभी मिनिस्ट्रीज तथा डिपार्टमेंट्स को लेकर कुछ ऐसा लाँग टर्म प्लान बनाए कि हमारे आने वाली नस्ल एवं बच्चे प्रदूषण से निजात पा सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर इस महत्वपूर्ण चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

[हिन्दी]

चेयरमैन सर, अभी तक हमारे बहुत साथियों ने पिछले तीन घंटों से इस इश्यू पर बात की है। उस टेक्निकैलटिज़ तथा मेडिकल इश्यू पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अगर हम मुख्य रूप से देखें, तो अभी वर्ल्ड के टॉप टेन मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में हमारी कौन सी सिटी है? इस आउट ऑफ टेन सिटीज़ में नाइन सिटीज़ हमारे कंट्री की हैं। अगर हम टॉप ट्वेन्टी में देखें, तो बीस में से पन्द्रह सिटीज़ इंडिया की हैं। हम भारतीय हैं। चाहे दिल्ली, यू. पी., गुजरात या हरियाणा हो, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, उसमें पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज के लिए गवर्नमेंट को काफी सीरियसली सोचना पड़ेगा। यह बात हम इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, व्हिकल का पॉल्यूशन तथा इस तरह के डिफरेंट पॉल्यूशन से हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है। इसका इफैक्ट कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ रहा है।

अभी इससे पहले प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में भी चर्चा हुई। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर यहां पर हैं। उनके रिप्लाई में डिटेल में बताया जाएगा। इस काउंसिल को फॉर्म होने के बाद काफी इश्यूज को आप लोगों ने आडेंटिफाई किया है। उन इश्यूज़ में वाटर के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, ग्रीन इंडिया के बारे में, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब आइटम्स आपने लिस्ट आउट कर दिये। यह एक अच्छी चीज है। एक पॉलिसी के रूप में, नैशनल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ दि क्लाइमेट चेंज में उतने हाई लेवल पर टेक अप कर रहे हैं, तो हम इसे क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? इसके क्या कारण हैं? अभी कंट्री में एक इमरजेंसी जैसी हालत हो गई है। पोल्यूशन के बारे में नॉट ओनली इंडियंस, फॉरेनर्स भी बात कर रहे हैं।

मलेशिया में हमारी जान-पहचान का कोई व्यक्ति है। हमने उनसे कहा कि हम अभी दिल्ली में हैं, अगर आपको आना है, तो आप दिल्ली में आइए। वह बोला कि दिल्ली में नहीं आएंगे, आप हैदराबाद में कब पहुंचेंगे, हम हैदराबाद में आएंगे। हम बोले क्यों भाई? वह बोला कि हम लोग मीडिया में, पेपर्स में सब देख रहे हैं। दिल्ली में पोल्यूशन काफी ज्यादा है, इसकी वजह से वहां नहीं आएंगे। इवेन फॉरेनर भी हमें कमेंट कर रहा है।

हाउस में इस पर चर्चा के लिए लीडर्स मीटिंग में हम सब एग्री हुए। जो भी कंट्री का मेन इश्यू रहता है, बिल्स के साथ-साथ उन इश्यूज़ के ऊपर डिसकस करने के लिए सभी लीडर्स की बात हुई थी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लीडर्स मीटिंग में एक बात कही कि अपोजीशन के जो भी सदस्य हैं, वे लोग कांस्ट्रक्टिव सजेशंस दे दें, गवर्नमेंट उसे जरूर टेक अप करेगी। यह बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद स्पीकर साहब ने भी यही कहा है। क्लाइमेट चेंज के बारे में, पोल्यूशन के बारे में बात करनी है, तो एक-एक पार्टी से बात करने के बाद आज हमें इस पर चर्चा करने का मौका मिला है।

हम इसके बारे में कुछ सजेशंस देना चाहते हैं। तेलंगाना के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब ने लास्ट 5 ईयर से हरितहारम चला रखा है। इसका मतलब पेड़ उगाने से है। पूरे हाउस और कंट्री के लोग भी इसे जानें। एक बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर, जो हम अपने स्टेट में चला रहे हैं, उसे हम यहां लेकर आना चाहते हैं। पिछले 5 साल में 176 करोड़ रुपये का प्लांटेशन हमने डाला है। कंट्री की पॉपुलेशन 130 करोड़ है। केवल तेलंगाना में 176 करोड़ रुपये का प्लांटेशन हमने किया है।

ग्राम पंचायत के एक्ट में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने चेंज करके उसमें यह प्रोविजन रखा है कि हर एक ग्राम पंचायत में एक नर्सरी होनी चाहिए। अभी 12,751 हमारे यहां ग्राम पंचायत हैं और 12,751 नर्सरीज़ भी हमारे यहां बनाई गई हैं। हमने अर्बन पार्क्स डेवलप किए हैं। सिटीज के बगल में गवर्नमेंट की लैंड हो, फॉरेस्ट लैंड हो, वहां हम लोगों ने अर्बन पार्क्स डेवलप करना शुरू कर दिये। कंट्री में अभी तक किसी स्टेट ने ऐसा नहीं किया होगा। हम लोगों ने 77 अर्बन पार्क्स क्रिएट करके पब्लिक को दिए हैं। ईवेन मेरी कांस्टीट्युएंसी खम्माम में हमारे टाउन के बगल में बहुत लैंड पड़ी हुई थी, वहां हमने अर्बन पार्क डेवलप कर दिया।

हमारे यहां मंकी की प्राब्लम बहुत ज्यादा थी। हमारे चीफ मिनिस्टर ने सोचा है कि मंकी के लिए पार्क बनाया जाए, जो वह खाता है, उसके लिए हम लोगों ने पार्क बना दिया। इस तरह से चेंजेज लाना चाहिए। इसके साथ-साथ हम लोगों ने एक्ट में एक प्रोविजन किया है। हम जो पेड़ लगाते हैं, उसको बचाने की जिम्मेदारी सरपंच को दी है। अगर 100 पेड़ लगाए हैं, 85 पर्सेंट पेड़ नहीं बचने पर एक्ट में यह प्रोविजन रखा है कि उस सरपंच को हम लोग निकाल सकते हैं। सरपंच को यह भी पॉवर दी है कि वह सरपंच किसी गांव में जाकर, जो गंदगी करता है, पोल्यूशन करता है, छोटी-छोटी दुकानें हैं, उनको फाइन करने का भी प्रोविजन दिया है। वह पांच हजार, पचास हजार और एक लाख तक की पैनल्टी लगा सकता है। उस तरह से हम लोगों ने काफी चेंज किया है। म्युनिसिपैलिटी एक्ट में भी चेंज कर रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी में एक्ट चेंज करके उसमें भी हम लोग ऐसा प्रोविजन करना चाहते हैं। जिस तरह अर्बन पार्क का किया है उसी तरह म्युनिसिपैलिटी एक्ट में भी चेंज करना चाहते हैं।

इंडिया में किसी भी स्टेट में फॉरेस्ट को डेवलप करने का काम पिछले पांच सालों में नहीं किया गया, जबकि हम लोगों ने तीन परसेंट फॉरेस्ट डेवलप कर दिया है। पहले 33 परसेंट का फारेस्ट था, जो अब 23 परसेंट हो गया है। करीब-करीब पिछले 60-70 वर्षों से दस परसेंट फॉरेस्ट खत्म हो गया था। हम लोगों ने तीन परसेंट फॉरेस्ट डेवलप किया है। इसे करने की वजह से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2018-19 में तेलंगाना स्टेट को फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए बेस्ट स्टेट बताया गया है। मैं सभी लोगों को अपने स्टेट में आने का निमंत्रण देना चाहता हूँ। देखने से विश्वास होता है। कृपया स्वयं को मातृ प्रकृति में अपना योगदान देखने के लिए तेलंगाना जाएं। इसी बात के साथ आपने जो भी टाइम दिया, मैं कुछ और बात कहना चाहता था, आपने जो भी टाइम दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

डॉ. अमर सिंह (फतेहगढ़ साहिब): सभापति महोदय, आपने मुझे इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लाइमेट चेंज और एयर पॉल्यूशन पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मंत्रालय के माननीय मंत्री जी बैठे हैं और हम लोगों की बातें सुन रहे हैं। क्लाईमेट चेंज पर बोलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जो क्लाईमेंट चेंज की रिपोर्ट आ रही है वह बहुत डरावनी है। रेन का पैटर्न चेंज हो रहा है। अब बारिश कम पड़ती है। दूसरी डिस्ट्रबिंग रिपोर्ट ग्लेशियर के बारे में है। मैंने पहले भी इस विषय को उठाने की कोशिश की थी। नार्थ इंडिया की सारी की सारी नदियां, जिसमें गंगा भी शामिल है, सभी ग्लेशियर फेड रिवर्स हैं। जो स्टडी आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि ग्लेशियर का साइज बहुत स्पीड से कम हो रहा है। हम सोच नहीं सकते कि जो पहले फ्लड होने वाला है, मैं पंजाब के लिए वरिड हूँ, हमारी पांचों की पांचों नदियां रेन फेड हैं। उनका क्या होगा? जब उसमें पानी नहीं आएगा, इरिगेशन नहीं होगा, बिजली नहीं बनेगी।

<u>अपराह्न 05.57 बजे</u> [**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुई*]

मैं यह इश्यू आपको फ्लैग कर रहा हूँ। आज मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। इस पर बहुत गहराई से देखने की जरूरत है। इससे सभी को अफैक्ट होना है लेकिन एग्रीकल्चर और फामर्स सबसे ज्यादा अफैक्ट होंगे। जब भी मेरी अपनी कंस्टीट्यूएंशी में बेमौसम बारिश होती है, इस बार पैडी मंडियों में पड़ी थी, सारा पैडी भीग गयी, किसको बताए कि मेरी पैडी भीग गयी। सबसे ज्यादा मार किसानों को पड़ती है। दानिश अली जी ने भी इस बारे में सही बोला। यहां अभी ज्यादा एयर पोल्यूशन और खासकर दिल्ली के संदर्भ में डिसकशन चल रही है। अगर यहां की सरकार इसे गैस चैंबर कह रही है और हम सभी मानते हैं कि बहुत बुरी हालत है।

सायं 06.00 बजे

माननीय अध्यक्ष: अगर सदन की इजाजत हो तो आधा घंटा समय बढ़ा दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरम्बुदुर): आपातकाल क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): श्री. बालू, मैं किसी को यह नहीं कह रहा हूँ कि आप सदन का विस्तार कीजिए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आप साढ़े छ: तक तो सदन चलने दीजिए, कम से कम छ: बजे की परंपरा तो बदलने दीजिए। आप सबकी सहमति हो तो साढ़े छ: बजे तक सदन की कार्यवाही बढ़ाई जाए।

कुछ माननीय सदस्य: जी हां, सहमति है।

माननीय अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही साढ़े छ: बजे तक बढ़ाई जाती है।

डॉ. अमर सिंह: बहुत-बहुत शुक्रिया।

माननीय अध्यक्ष: आपके लिए समय बढ़ाया है।

डॉ. अमर सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने समय दिया। मैं तो पहले ही सरकार का धन्यवाद कर चुका हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर डिसकशन रखा है।

जहां तक दिल्ली को स्पेशल रैफरेंस में रखकर वायु प्रदूषण की बात हो रही है, इसमें रीज़न सबको पता हैं, मेरे से पहले बहुत वक्ताओं ने कारण बोल दिए हैं। डस्ट है, व्हिकल पाल्युशन है, इंडस्ट्री का पाल्युशन है जो पावर से आ रहा है, यहां सब कुछ बोल दिया गया है, मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहता हूँ।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप फोरेस्ट एन्वायर्नमेंट मिनिस्टर हैं। मैं कई बार आपके रोल के बारे में सोचता भी हूँ, आपका रोल बहुत कन्फलिक्टिंग है। आप एक ओर इंडस्ट्री को परमिशन पर परमिशन दे रहे हैं और दूसरी ओर हम कह रहे हैं कि एन्वायर्नमेंट को प्रोटेक्ट कीजिए। हम सबको विश्वास है कि आप बैलेंस बनाएंगे क्योंकि आपको तरीके सब मालूम हैं। आपकी मिनिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। जब खबर पढ़ते हैं कि आपने सब इंडस्ट्रीज़ को परमिशन दे दी तब फिक्र भी होता है। आपने वाइल्ड लाइफ की तो बहुत परमिशन्स दी हैं, यह आपको देखना है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके कामकाज और आपके निर्णय लेने पर टिप्पणी करने वाला कोई नहीं हूँ। आपको इंडस्ट्री और एन्वायर्नमेंट में बैलेंस बनाना होगा। इनके रीज़न्स पर भी आपको एक्शन प्लान भी बनाना है। एनडीए का छठा साल शुरू हो गया है। मैं अपने मुंह से कोई नेगेटिव कमेंट नहीं देना चाहता हूँ। आप छठे साल में कोई प्रॉपर एक्शन प्लान तो क्लाइमेट चेंज और दिल्ली के एयर पाल्युशन पर लेकर आइए। आपको सारे रीज़न्स पता हैं, मैं इन रीज़न्स के बारे में नहीं बोलूंगा।

मैं किसानों के बारे में जरूर बोलना चाहता हूँ। मैं पंजाब से आता हूँ और मेरी कांस्टीटुएंसी भी रूरल है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई कमेंट नहीं दे सकता हूँ। किसानों पर क्रिमिनल केस दर्ज हो रहे हैं। किसान पराली जलाता क्यों है? हमें इसका कारण समझना होगा। उसे गेहूँ दो हफ्ते के अंदर बीजना होता है, यह कारण है। वह शौक से नहीं जलाता है। हम जिन मशीनों के बारे में कह रहे हैं, इससे उसका पांच से दस हजार प्रति एकड़ खर्च बढ़ रहा है। क्या स्माल फार्मर इसे कर लेगा? हम चीजें सजैस्ट कर देते हैं कि यह

मशीन ले आओ, वह मशीन ले आओ, वह कहां से लाएगा? स्माल और मार्जनल फार्मर तो पहले ही इकोनामी में डिस्ट्रैस है। देश का 70-80 परसेंट किसान डिस्ट्रैस में है। वह कहां से मशीनें लेकर आएगा? उसके ऊपर जो भार डाला जा रहा है, केंद्र सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी ले, कम से कम पंजाब सरकार की तो कोई जिम्मेदारी की हालत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के प्रैशर में सरकार ने कह दिया कि ढाई हजार रुपये प्रति एकड़ देंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि क्या हालत होने वाली है। वहां पैसे कितने हैं, यह हम सबको मालूम है।

मेरा दूसरा सुझाव है। पहले हम पल्सेज़ इम्पोर्ट करते थे, अब एडिबल ऑयल कितना कर रहे हैं, सरकार को फिगर्स का पता है। पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान के लिए अल्टरनेटिव क्रॉप कर दीजिए, प्रोक्योरमेंट एनाउंस कर दीजिए कि 100 परसेंट प्रोक्योरमेंट करेंगे तो कोई पराली नहीं जलेगी, न कोई पैडी बीजेगा, न ऐसा होगा। यह फैसला तो आपको ही लेना पड़ेगा।

हम तो आपसे ही विनती करेंगे कि यह फैसला लीजिए। पंजाब की हालत यह है, जब मैं 1953 में पैदा हुआ था, मुझे याद है जब देश में फूड्स की स्कारसिटी हुई थी, तब हम लोगों ने पंजाब के किसानों से कहा कि फसल उगाओ और कंट्री को सरप्लस करो और आज हम उन पर क्रिमिनल केस कर रहे हैं। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर की वजह से पंजाब के किसानों को कैंसर हो रहा है। हमारे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि उनको कैंसर क्यों हो रहा है। आप इसकी भी एक स्टडी कराइए कि पंजाब में इतना कैंसर क्यों हो रहा है और पराली क्यों जलाई जा रही है? इसका भी सोलूशन कीजिए। मुझे पता है कि आप समाधान खोजने में सक्षम हैं। आप बहुत शिक्षित मंत्री हैं। हम लोगों की ओर से पिनाकी मिश्रा जी ने कहा था, हम सब लोगों की ओर से आप प्रधान मंत्री जी को बोलिए कि वे कोई टास्क फोर्स हेड करें। क्योंकि जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण बहुत बड़े मुद्दे हैं। उसे एक कार्य बल का नेतृत्व करने दें। जहां आप सब लोग रहे और कोई बड़े फैसले लीजिए। हम सभी पॉजीटिव फैसले का समर्थन करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री गौतम गंभीर (पूर्वी दिल्ली): माननीय। वक्ता महोदय, चर्चा का विषय एक ऐसी चीज है जो हम में से हर एक को, चाहे हमारी जाति, पंथ, आयु और धर्म कोई भी हो, प्रभावित करती है।

वास्तव में, यह हमें प्रभावित कर रहा है जब हम खड़े होते हैं और संसद में इसके बारे में बात करते हैं। अब समय आ गया है कि हम इन गंभीर मुद्दों पर राजनीतिकरण बंद करें। जनता समझदार है और वर्तमान स्थिति जलवायु आपातकाल की है। दिल्ली हमारी राजधानी है और यह सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। राज्य अब विषम सम, निर्माण स्थलों को बंद करने, आदि जैसी इन नौटंकी से दूर नहीं हो सकता है। उन्हें क्या करना है ताकि वे इस स्थिति में न पहुंचें? हमें दीर्घकालिक स्थायी समाधान की आवश्यकता है। हमें अपने बच्चों से भविष्य चोरी करना बंद करने और दोषारोपण खेल खेलना बंद करने की आवश्यकता है। यह जिम्मेदार होने और कार्य करने का समय है।

जब मैं जमीन पर बदलाव की बात करता हूँ, तो मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोत जो गाजीपुर लैंडफिल है को उजागर करना चाहूँगा। यह एशिया का सबसे बड़ा कचरे का पहाड़ है। जो कोई भी दिल्ली में है, उसे वहां जाना चाहिए और उस जगह के 200 मीटर के भीतर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। वे निश्चित रूप से अनुभव करेंगे कि नरक में क्या होना है। इसे सुलझाना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

हमने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। हम हर असेंबली के लिए बैलिस्टिक सेपरेटर्स और कम्पोस्ट मशीन लेकर आए हैं। प्रदूषण से लड़ने के लिए, हमने रु. 90 की स्प्रिंकलर, रोड क्लीनर और औद्योगिक आकार की वैक्यूम सफाई मशीनें खरीदी हैं ताकि हम कम से कम बड़े प्रदूषण कणों को कम कर सकें।

मैं 30 फीट एयर प्यूरीफायर स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा हूँ। विचार यह है कि हम अपनी जनता को जीने के लिए एक बेहतर जगह दें।

एक अन्य प्रमुख मुद्दा पराली जलाना है। हमें इस संकट को हल करने के लिए विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के लिए मिलकर काम करने की रणनीति तैयार करनी होगी। केवल किसानों को उनकी फसल जलाने के लिए दंडित करना पर्याप्त नहीं होगा। हमें बुवाई और फसल के मौसम को स्थानांतरित करने जैसे अभिनव तरीकों की खोज शुरू करनी होगी ताकि वे सर्दियों के आगमन के साथ मेल न खा सकें। इसके लिए, हमें किसानों को अन्य फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहन भी देना होगा।

[हिन्दी]

मैं अपनी बात इस बात से खत्म करना चाहता हूँ कि एक-दूसरे को ब्लेम करने से या फिर इस मुद्दे को इलेक्शन की नजरों से देखने का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हमारे देश के लोगों ने अपना कीमती वोट एक-दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए नहीं बल्कि एक बढ़िया काम करने के लिए दिया है। हम सभी को डिस्कशन और क्रिटिसिज्म लेना आना चाहिए। एयर पॉलूशन्स से इंडिया में हर तीन मिनट में एक बच्चे की मौत होती है। यह कोई मजाक की बात नहीं है। हम सभी को शार्टकट मारने की बजाए लांग टर्म सोलूशन्स के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चों को इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। धन्यवाद।

[अनुवाद]

एडवोकेट ए.एम. आरिफ (अलप्पुझा): धन्यवाद, स्पीकर महोदय, मुझे इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का अवसर देने के लिए।

अपना भाषण शुरू करने से पहले, मुझे माननीय मंत्री सदस्य, कुंवर दानिश अली द्वारा उठाए गए आरोप के संबंध में एक बात स्पष्ट करनी है। सदस्य कुंवर दानिश अली ने आरोप लगाया कि शहरी विकास पर स्थायी समिति के अधिकांश सदस्य वायु प्रदूषण पर चर्चा के लिए समिति की बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे दिल्ली में वायु प्रदूषण से डरते थे और उन्होंने कहा कि यह सभी के लिए शर्म की बात है। महोदय, मैं इस समिति का सदस्य हूँ और उस बैठक में मेरी अनुपस्थिति का कारण डरावना वायु प्रदूषण नहीं बल्कि यह था कि मुझे समिति की बैठक का नोटिस 48 घंटे पहले ही मिला था। इसलिए, मैं इस कम समय में नहीं आ सका। केवल इस अल्प सूचना के कारण अधिकांश सदस्य समिति में भाग लेने नहीं आ सके। मैं राज्य के मंत्रियों की तारीख के अनुसार कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल रहा हूँ। इसलिए, मैं उनसे अपने विचारों को सही करने और अपने आरोपों को वापस लेने का अनुरोध करता हूँ।

महोदय, हम भारत में पर्यावरण प्रदूषण के सबसे बुरे इतिहास से गुजर रहे हैं। लेकिन यहां तक कि प्रदूषण के लिए कुख्यात देशों के बीच भी, भारत हवा के लिए खड़ा है जो लगातार और महाकाव्य रूप से भयानक है। 4300 शहरों में एयर मॉनिटरिंग स्टेशनों से 2016 तक माप और गणनाओं पर ड्राइंग, जिन्होंने मार्च में बताया कि भारत के शहरों को सबसे अधिक नुकसान होता है। देश में सतह और भूजल दोनों तनाव में हैं। लगभग 86 प्रतिशत जल निकाय गंभीर रूप से प्रदूषित हैं। भारतीय शहर कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनमें पर्यावरणीय मुद्दे भी शामिल हैं जिनका उन्हें सामना करना चाहिए।

उन सभी पर सबसे अधिक दबाव वायु प्रदूषण का मुद्दा है। 2016 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन में पाया गया कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत के थे। यह अनुमान लगाया गया

है कि 2016 में, भारत में वायु प्रदूषण के कारण नौ लाख से अधिक मौतें हुईं। देश में खराब हवा के कारण पांच साल से कम उम्र के 100,000 से अधिक बच्चों की मौत हो जाती है। दिल्ली, भारत का राजधानी क्षेत्र, जो लगभग 19 मिलियन लोगों का घर है, दमघोंटू हवा के लिए कुख्यात है। हम दिल्ली में सांस नहीं ले सकते। यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है क्योंकि हवा में प्रदूषक बेहद जहरीले स्तर तक बढ़ गए हैं।

महोदय, माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव- क्रमागत श्री प्रधानमंत्री, जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) जारी की गई। जलवायु परिवर्तन पर परिषद द्वारा आठ राष्ट्रीय मिशन बनाए गए थे। दुर्भाग्य से, परिषद वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समयबद्ध तरीके से ये उपाय किए जाएं। हमें पराली को जलाने के खिलाफ नई तकनीकों का पता लगाने का भी प्रयास करना चाहिए।

हाल के पर्यावरण अध्ययनों से पता चलता है कि अलप्पुझा सहित केरल के कई जिले, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है और एर्नाकुलम 25 साल के भीतर समुद्र में डूब जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, अरबी समुद्र का समुद्र स्तर दो मीटर तक बढ़ जाएगा। हमें भयावह स्थिति का अनुमान लगाना होगा और जल्द से जल्द इसका समाधान निकालना होगा। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह इसे स्वीकार करे। पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के खतरे को जल्द से जल्द रोकने के लिए गंभीर कदम।

[हिन्दी]

कुंवर दानिश अली: अध्यक्ष महोदय, मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने ऐसा कहा है कि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग अटेंड करने एमपीज इसलिए नहीं आए कि दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा था। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि 30 सदस्यों में से केवल चार सदस्य आए थे, मैं उनमें से किसी का नाम नहीं बताना चाहता हूँ कि किसने मुझसे कहा, क्योंकि यह ठीक नहीं है, लेकिन एक संसद सदस्य ने मुझसे कहा था कि इतने पोल्यूशन में कैसे आएं। उसके बाद भी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि शॉर्ट नोटिस मिला, इसलिए नहीं आए। यह बात ठीक है कि शॉर्ट नोटिस मिला, लेकिन उस मीटिंग की गंभीरता को

माननीय सदस्यों को देखना चाहिए था कि वह मीटिंग किस मुद्दे पर थी। कितना भी शॉर्ट नोटिस था, उनको आना चाहिए था।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सदन की समितियों पर सदन में चर्चा नहीं होती है।

معزّز ہوں۔ چاہتا کرنا وضاحت ایک میں صاحب، اسپیکر جناب:(امروہہ) علی دانش کنور ایم۔پیز۔ کرنے اٹینڈ میٹنگ کی کمیٹی اسٹینڈنگ کہ ہے کہا ایسا نے میں کہ کہا نے ممبر **30** کہ ہوں چاہتا کہنا ریکارڈ آن میں ۔ تھا زیادہ پالیوشن میں دہلی کہ آئے نہیں لئے اس بتانا نہیں نام کا کسی سے میں ان میں تھے۔ آئے ہی ممبران **4** صرف سے میں ممبران ممبر معزّز ایک لیکن ہے، نہیں ٹھیک یہ کیونکہ کہا، سے مجھہ نے کس کہ ہوں چاہتا کہہ ممبر معزّز بھی بعد کے اس آئیں۔ کیسے میں پالیوشن اتنے کہ تھا کہا سے مجھ نے ملا، نوٹس شارٹ کہ ہے ٹھیک بات یہ آئے۔ نہیں لئے اس ملا، نوٹس شارٹ کہ ہیں رہے کس میٹنگ وہ کہ تھا چاہئیے دیکھنا کو ممبران معزّز کو سنجیدگی کی میٹنگ اس لیکن تھا۔ چاہئیے آنا کو ان تھا، نوٹس شارٹ بھی کتنا تھی۔ پر مُدعے

[अनुवाद]

श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार (थेनी): वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय।

महोदय, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एन.सी.ए.पी.) जनवरी 2019 के दौरान परिवहन, घरेलू ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में शुरू किया गया था, जिसमें देश भर में वायु प्रदूषण को रोकने और कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से अंतिम कार्रवाई की गई थी और इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक प्रदूषण कम करना था।

मैं अपनी पार्टी की ओर से सरकार की सराहना करना चाहूँगा और इस समयबद्ध कार्रवाई को हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शुभ मार्गदर्शन में हमारे माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर की एक व्यापक रणनीति करार दूंगा।

महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए प्रोत्साहन/कदमों के कारण मेरा राज्य, तमिलनाडु, भारत में प्लास्टिक-प्रदूषण मुक्त राज्य बनने वाला पहला राज्य है।

जीवाश्म ईंधन की बड़े पैमाने पर खपत भी वातावरण को बाधित करने वाले प्रमुख कारणों में से एक है। सरकार पहले ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा कर चुकी है। हालांकि, उन वाहनों की लागत, सीमित संख्या में सेवा सुविधाओं, स्पेयर पार्ट्स आदि के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों का औसत उपयोग बहुत कम है। इसलिए, देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

भले ही जलवायु परिवर्तन का प्रभाव चिंताजनक स्तर पर हो, लेकिन लोगों में कोई जागरूकता नहीं है। इसलिए, जमीनी स्तर पर पहल किए जाने की आवश्यकता है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना

चाहूँगा कि देश भर के बहु-राज्य सहकारी बैंकों के पंजीकरण की अनुमति दे। मैं माननीय मंत्री से सभी स्तरों पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने, और विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय स्तर पर स्वस्थ वातावरण के महत्व को जाना जाना चाहिए। तदनुसार, जलवायु परिवर्तन के विषय को स्कूलों में शामिल किया जाना चाहिए और राज्यों को उनकी बोर्ड स्तर की परीक्षाओं में जलवायु परिवर्तन को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के प्रभावी उपाय करके, हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को काफी कम कर सकते हैं।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं दिल्ली का सांसद हूँ और दिल्ली का सांसद होने के नाते पूरे देश में एयर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन पर जो स्थिति बनी हुई है, उस पर लगातार हमारे पास कई जानकारियां आती हैं, जो चिंताजनक हैं। आपने इस इश्यू पर इतनी बड़ी डिबेट करने का मौका दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपसे यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन स्टेट सब्जेक्ट है। जब यह स्टेट सब्जेक्ट है, तो क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि कोई स्टेट जानबूझ कर इस बारे में बहानेबाजी करता रहे, तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट तय की जाए। उसके लिए ऐसी कुछ कार्रवाई हो और जनता के बीच बताया जा सके कि आप अपनी रिस्पोंसेबिल्टी से भाग रहे हो।

अध्यक्ष जी, दिल्ली के बारे में दो-तीन बातें आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के लिए जैसा मेरे साथी गौतम गंभीर जी ने कहा, दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को दूर करने के लिए यहां लोकल बॉडीज के पास राज्य से लगभग 9 हजार करोड़ रुपये के फंड्स आते हैं, जिन्हें दिल्ली सरकार ने जानबूझ कर रोक दिया है। जैसा मेरे साथी ने कहा कि स्प्रिंकलर मशीन, जो गाड़ी चलती है और धूल पर पानी का छिड़काव किया जाता है। उस मशीन को खरीदने के लिए जो फंड दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा आना चाहिए था, उसे हमें सैंट्रल गवर्नमेंट से लाना पड़ा। हम देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसके लिए हमें सौ करोड़ रुपये का अलग से बजट दिया। हमारे सांसद साथी कहीं भी देख सकते हैं कि एक गाड़ी पानी का छिड़काव करती हुई चलती है।

अध्यक्ष जी, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए एमसीडी के, लोकल बॉडीज के जो फंड्स आने चाहिए थे, उनके लिए भी हमें सैंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ा, क्योंकि पूरी दिल्ली त्राहि-त्राहि कर रही है। मैं एक और विषय आपके सामने लाना चाहता हूँ। आज हम सदन में यह कह सकते हैं कि नरेन्द्र मोदी जी द्वारा एयर पॉल्यूशन को दूर करने के लिए हमें समय-समय पर सहायता दी जा रही है, उसी की वजह से

अलग से 125 करोड़ रुपये का बजट दिल्ली में लोकल बॉडीज को मिला है और आज हम सदन में कह सकते हैं कि डेढ़ साल में दिल्ली में कूड़े के तीन पहाड़ों को समाप्त कर देंगे और एयर पॉल्यूशन पर हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी।

महोदय, हम भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि हम भी किसान के बेटे हैं। अगर पराली से किसी को समस्या है, तो क्यों न पराली को खरीदने के लिए राज्य सरकार कोई योजना बनाए। हम भी अपने कई साथियों से सहमत हैं, क्योंकि कोई किसान शौक से पराली नही जलाता है। लेकिन हमारी दिल्ली में प्रदूषण से बचने के लिए जो ऐड किया गया, उसका बजट 200 करोड़ रुपये का है और मात्र 50 करोड़ रुपये में हम एनसीआर की पराली खरीद सकते थे, जो हमारी दिल्ली की सरकार ने नहीं किया। इस पर भी यहां से कुछ न कुछ निर्देश जाना चाहिए। इस विषय को उठाने के लिए आपने हमें मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका बहुत आभार प्रकट करूंगा कि वायु प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज, दोनों बहुत महत्वपूर्ण और बड़े मुद्दे हैं, जिनके लिए पूरा विश्व परेशान है, पर भारत सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि हमारे यहां मानसून और किसानी का बहुत बड़ा हिस्सा प्रकृति पर निर्भर करता है। किस तरह से प्रकृति अपना रूप बदल रही है, उससे बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो रही हैं।

अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले दो वाक्य पढ़ना चाहूँगा: -

"खिड़की की सलाखों से जब झांक कर देखा तो
किसी को कीचड़ में कमल तो किसी को चांद पर दाग
नजर आया।"

वायु प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है, जिसमें एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ हम आने वाली संत**ति**यों को क्या दे कर जाएंगे, उसकी भी जिम्मेवारी है। इन दोनों के बीच में हम लोगों को एक धारा चलानी है, ताकि भारत का विकास हो सके और हम आने वाले जेनरेशन को इस बात की शिकायत का भी मौका न दें कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें धरती दी है, उस धरती को हमने सही सलामत आने वाले जेनरेशन को नहीं दे पाएं।

अध्यक्ष जी, यह भारत की खूबसूरती है। वेदों के एग्जैक्ट डेटिंग के बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन हमारे यजुर्वेद में यह लिखा गया है कि हे! धरती मां, आप हमें कामधेनु की तरह निरंतर जीवन यापन करने की सारी सुविधाएं प्रदान करो, पर इसका भी हम ध्यान रखें कि आपको कोई कष्ट नहीं हो। इतनी बड़ी बात, आज से दस हजार वर्ष पहले कही गई थी, आज हम उसका पालन उस तरह से नहीं कर पाते हैं। हमारे पूर्वजों की परंपरा थी कि हमारे लिए हिमालय पूजनीय है, नदियां पूजनीय हैं, पेड़ पूजनीय हैं। यह एक सांस्कृतिक विरासत थी कि हमें अपने पहाड़ों, नदियों और जंगलों की रक्षा करनी है। भारत की पूरी संस्कृति नदियों के साथ चली है, हिमालय के साथ चली है, लेकिन आज के समय में एक बहुत ही दु:खद पहलू हो गया है। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे को उठा दिया है, जो एक द्वंद

बन गया है, इंडिया वर्सेज भारत। आप किसानों को दोष देने का प्रयास कर रहे हैं, आप पराली को दोष देने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं पिनाकी मिश्रा जी, मनीष तिवारी जी, सभी का आभारी हूँ कि उन्होंने बिल्कुल साफ-साफ डेटा दिया है कि किसानों को दोष दिया जाता है, वह सरासर गलत है और जो आप बोलते हैं कि पराली से प्रदूषण होता है, लेकिन टिहरी का एक डाटा है कि दिल्ली की गाड़ियों से निकलता धुआं, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के निर्माण का मुख्य कारण है। इस ओजोन के कारण गेहूँ की फसल में बीस से तीस प्रतिशत कमी होने का अनुमान लगाया जाता है। कल अगर सभी किसान यह कहना शुरू कर दें कि आप अपनी सभी गाड़ियां बंद कर दें, क्योंकि इससे हमारा गेहूँ उत्पादन प्रभावित होता है, तब दिल्ली का क्या होगा? यह सभी चीजों के बीच में बैलेंस बनाना है। इसके लिए यह बहुत आवश्यक है। हम अपनी गलतियां नहीं देखते हैं। इसी दिल्ली की सरकार ने फरवरी में हलफनामा दिया था कि हम आठ महीनों में तीन हजार बस देंगे, एक हजार इलेक्ट्रिक बस देंगे। आज क्या हुआ है, यह पूरी दिल्ली जानती है और देश भी जानता है।

अध्यक्ष महोदय, 10 सालों में डीजल गाड़ियों को खत्म करना था, उसका क्या हुआ, किसी को पता नहीं है। यहां तक कि 1500 करोड़ रुपये का एक एम्बियंट एयर फंड 15 साल पहले बना था। मणिक्कम जी ऐतराज करेंगे कि मैं शीला दीक्षित जी का नाम क्यों ले रहा हूँ, यह कांग्रेस की सरकार में बना था। उस 1,500 करोड़ रुपये का आज की सरकार ने क्या किया, यह किसी को नहीं पता है। उस समय का जो एम्बिएंट एयर फंड है या तो उसमें से कुछ लूट लिया गया या उसका उपयोग ही नहीं किया गया। उसके बाद अब किसानों को दोष देना शुरू करते हैं।

इसी तरह से आज दिल्ली मेट्रो का जो फेज़-4 का प्रोजेक्ट है, उसको जान-बूझकर रोका जा रहा है। आज दिल्ली मेट्रो के कारण कितना प्रदूषण रुका है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार फेज-4 का जो प्रोजेक्ट कर रही है, उसको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि इतनी लंबी-चौड़ी बातें कही गईं कि हम सभी स्थानों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सब-स्टेशंस बनाएंगे। ऐसा लगता है कि

पूरी दिल्ली का मतलब कनॉट प्लेस के अगल-बगल के दो-चार स्टेशंस ही हैं। इस तरह की चीजों पर कहीं-न-कहीं विचार करना पड़ेगा।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। उनकी आत्मा में पर्यावरण बसा हुआ है। गुजरात के मुख्य मंत्री के तौर पर उन्होंने रीन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए जिस तरह के इनिशिएटिव लिए थे, वे अपने आप में ऐतिहासिक हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने गुजरात में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के लिए जो कुछ किया, हमने उसी को बाद में जेएनएनयूआरएम में लिया। यह अलग बात है कि उसमें भी कुछ राजनीति कर ली गई।

मुझे श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के साथ पेरिस एग्रीमेन्ट में जाने का सौभाग्य मिला है। पूरा विश्व अगर पेरिस एग्रीमेन्ट में किसी देश की बात कर रहा था तो वह केवल और केवल भारत की बात कर रहा था। उन सभी को लगता था कि भारत इस कमिटमेंट में साथ नहीं देगा, जबकि भारत ने बहुत जोर-शोर से पेरिस एग्रीमेंट में साथ दिया, सेल्फ डेक्लेरेशन किया और पर्यावरण संरक्षण पर जो माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में आज एनडीए की सरकार कार्य कर रही है, उसका एक-एक प्रयास ऐतिहासिक है। कितने वर्षों तक कैम्पा फंड पड़ा रहा, कोई उसे देखने वाला नहीं था, लेकिन जब हमारी सरकार आई, हमने इसी संसद में पिछली बार कानून बनाया और कैम्पा फंड के चलते कई प्रोग्राम हुए। बिहार सरकार भी जल-जीवन-हरियाली मिशन कर रही है। इस तरह की बहुत सारी प्लांटेशन की योजनाएं, नए पेड़ों को लगाने की योजनाएं, सबको देखने को मिलीं।

अध्यक्ष जी, इसके अलावा भारत सरकार ने यह कदम भी उठाया है कि हम सीधे भारत स्टेज- 4 से भारत स्टेज– 6 पर जाएंगे। इसके लिए भी मैं भारत सरकार को, जावड़ेकर जी को, धर्मेन्द्र प्रधान जी को और प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

उसी तरह से, इन्होंने फेम-2.0 में ई-व्हीकल्स के लिए 10 हजार करोड़ रुपये दिए हैं ताकि ज्यादा-से-ज्यादा विद्युत-चलित कारें लाई जा सकें। आज सुबह मुझे पहली बार माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी की विद्युत-चलित कार देखने का मौका मिला। इसके लिए भी मैं भारत सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

इसके अलावा, जो बायो-फ्यूल से संबंधित नई पॉलिसी बनी, जिसमें **10** प्रतिशत इथेनॉल को जोड़ने का प्रबंध किया गया, यह एक बड़ा कदम है, क्योंकि किसानों को चीनी के सही दाम नहीं मिल पा रहे थे। इसलिए यह नैशनल बायो-फ्यूल पॉलिसी आने के बाद ज्यादा-से-ज्यादा चीनी मिलें इथेनॉल बनाने के प्रति अपनी रुचि दिखाएंगी। केवल इथेनॉल में ज्यादा पैसे देने के कारण किसानों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। इसके साथ ही, देश के पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है, उसमें भी कमी आएगी।

इसके अलावा, जो नये मेट्रो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। मैं भारत सरकार का इसके लिए भी आभार प्रकट करता हूँ। श्री गडकरी जी को मैं बधाई देना चाहूँगा, उन्होंने एक सौ नदियों को जोड़कर जो इनलैंड वाटरवेज़ का निर्माण किया है, उससे नदियों की एक निश्चित गहराई भी बनेगी। यह सभी जानते हैं कि नदियों के द्वारा कम पैसे और कम इंधन खर्च करके अधिक मात्रा में सामान ले जाए जा सकते हैं। इसके लिए भी मैं अपनी सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

सौभाग्य योजना के कारण हर घर में लकड़ी जलाना कम हुआ। ... (व्यवधान)

सर, अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई है।

माननीय अध्यक्ष: नहीं, अब आपकी बात समाप्त हुई।

डॉ. संजय जायसवाल: सर, अगर आप आदेश करें, तो मैं परसों बोल सकता हूँ।

अभी मैंने अपनी एडवाइस भी नहीं दी है।

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी एडवाइस लिखित रूप में दे सकते हैं।

डॉ. संजय जायसवाल: सर, परसों बोलने के लिए मुझे समय दे दीजिए।

इसी तरह उज्ज्वला योजना का काम हुआ। हम लोगों को पराली के लिए भी एक स्कीम बनानी होगी। इन लोगों ने जो किया है, मैं अमर सिंह जी के साथ इत्तेफाक रखता हूँ। पंजाब ने जो एक सब-सॉयल वॉटर पॉलिसी बनाई, उसके चलते भी ये सारी दिक्कतें हो रही हैं कि इससे पहले आप गेहूँ नहीं बो सकते हैं। इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए, जैसे गुजरात सरकार एमिशन ट्रेडिंग स्कीम लाई है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

<u>सायं 06.31 बजे</u>

[अनुवाद]

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 20 नवम्बर, 2019/29 कार्तिक, 1941 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2019 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित